महानगर नई दिल्ली रविवार 8 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (12+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

निर्भया कांड : दया याचिका वापस लेने की मांग की दोषी ने

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली में 2012 में निर्भया के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा ने शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दया याचिका वापस लेने की मांग की। उसने कहा कि बिना उसकी सहमति के दया याचिका भेजी गई थी।

दोषी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया कि उसकी कथित दया याचिका तिहाड़ जेल प्रशासन ने गलत इरादे से और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर आपराधिक साजिश के तहत बिना उसकी सहमति के भेजी और जिसे गृह मंत्रालय ने उन्हें अग्रेषित किया है। शर्मा ने कहा कि दया याचिका दायर करने से पहले उसके पास अब भी कानूनी विकल्प मौजूद हैं, क्योंकि उसने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपचारात्मक याचिका दायर नहीं की है। उसने लिखा कि इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेरे या मामले के अन्य दोषियों की बाकी पेज 8 पर

मेरी सहमति नहीं थी

दोषी विनय शर्मा ने कहा, बिना मेरी सहमति के दया याचिका भेजी गई थी। मेरे पास अब भी कानूनी विकल्प मौजूद हैं।

जिंदगी की जंग हार गई उन्नाव कांड पीड़िता

देश में गम और गुस्सा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

जिंदा जला दी गई उन्नाव बलात्कार पीड़िता के शुक्रवार देर रात सफदरजंग में दम तोड़ने के बाद से देश में गम और गुस्से की लहर है।

पीड़िता के गांव में सन्नाटा पसरा, सुरक्षा बढ़ाई गई

पिता और भाई ने कहा, आरोपियों को गोली मार दी जाए या फांसी पर लटका दिया जाए

दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन

उसके शव को परिजन गांव ले गए हैं। वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्नाव पीड़िता के परिजनों ने अपनी बेटी के लिए हैदराबाद बलात्कार मामले की तरह इंसाफ की मांग की है, जिसमें चारों आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। उन्नाव पीड़िता के पिता ने कहा कि आरोपियों को तुरंत गोली मार दी जाए या फांसी पर लटका दिया जाए। पीड़िता के भाई ने कहा कि आरोपियों का भी वही हश्र होना चाहिए जो उसकी बहन ने झेला। पीड़िता की मौत के बाद से देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

पीड़िता की मौत की सूचना के बाद शोक में डूबे उसके परिवार को इस बात का दुख है कि वे बेटी को बचा नहीं पाए, जबकि वह जीना चाहती थी और आरोपियों को सजा दिलाना चाहती थी। उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता को शुक्रवार रात को कथित तौर पर पांच लोगों ने आग लगा दी थी। उसे 90 फीसद जली हालत में विमान से दिल्ली लाया गया और यहां सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाकी पेज 8 पर

शुक्रवार को नई दिल्ली में लोगों का प्रदर्शन।

'वो जीना चाहती थी'

पीड़िता की मौत की सूचना के बाद शोक में डूबे उसके परिवार को इस बात का दुख है कि वे बेटी को बचा नहीं पाए, जबकि वह जीना चाहती थी और आरोपियों को सजा दिलाना चाहती थी।

'मैं उसे बचा नहीं सका'

पीड़िता के भाई ने कहा, मेरी बहन को तभी न्याय मिलेगा जब उसके साथ क्रूरता करने वाले आरोपियों का भी वही हश्र हो जो उसने झेला। उसने मुझसे मिन्नत की कि भाई मुझे बचा लो। मैं दुखी हूं कि मैं उसे बचा नहीं सका।

धरने पर अखिलेश, परिजनों से मिलने पहुंचीं प्रियंका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

उन्नाव कांड पीड़िता की मौत के बाद विपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा।

मौर्य और साक्षी महाराज को विरोध का सामना करना पड़ा

पीड़िता की मौत की खबर मिलने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में विधानभवन के सामने धरना दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दिवंगत लड़की के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचीं और बसपा प्रमुख मायावती ने राज्यपाल बाकी पेज 8 पर

धरने पर बैठे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव

पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचीं प्रियंका गांधी

उन्नाव मामले में त्वरित अदालत में चलेगा मुकदमा : योगी -खबर पेज 8 पर

मानवाधिकार आयोग ने शुरू की हैदराबाद मुठभेड़ की जांच

हैदराबाद, 7 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के एक दल ने हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के चार आरोपियों के कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की शनिवार को मौके पर जाकर जांच शुरू की।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दल ने महबूबनगर के सरकारी अस्पताल का भी दौरा किया जहां चारों आरोपियों के शव पोस्टमार्टम के बाद रखे गए हैं। एनएचआरसी ने मामले में मुठभेड़ में चार आरोपियों के मारे जाने पर संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को जांच के आदेश दिए थे। देश में मानवाधिकार की सर्वोच्च संस्था ने कहा था कि मुठभेड़ चिंता का विषय है और इसकी सावधानीपूर्वक जांच किए जाने की जरूरत है।

आयोग के दल ने किया घटनास्थल का दौरा

दल ने महबूबनगर के सरकारी अस्पताल का भी दौरा किया

एनएचआरसी ने कहा, 'आयोग की राय है कि इस मामले की जांच बेहद सावधानीपूर्वक किए जाने की जरूरत है। इसी के अनुरूप, उसने अपने महानिदेशक (अन्वेषण) को तत्काल एक तथ्यान्वेषी दल मामले की जांच के लिये मौके पर भेजने को कहा है।' आयोग के दल के यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर चट्टनपल्ली गांव में मुठभेड़ स्थल तथा शहर के बाहरी इलाके में स्थित टोल प्लाजा का दौरा करने की भी उम्मीद बाकी पेज 8 पर

मारे गए आरोपियों के खिलाफ हमले का मामला दर्ज

हैदराबाद, 7 दिसंबर (भाषा)।

हैदराबाद में पिछले महीने एक महिला पशु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। इन चारों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश), धारा 176 और भारतीय शस्त्र कानून बाकी पेज 8 पर

मुठभेड़ स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी। (फाइल फोटो)

केरल : हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की सुरक्षा अचानक हटाई

कोच्चि, 7 दिसंबर (भाषा)।

केरल पुलिस ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीके पाशा की सुरक्षा शनिवार को अचानक वापस ले ली। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश विभिन्न मामलों से निपटने में माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार की नाकामी को लेकर मुखर रहे हैं। न्यायाधीश पाशा ने कहा कि उनकी निजी सुरक्षा में तैनात चार सशस्त्र पुलिसकर्मियों को सरकार ने हटा दिया है। उन्होंने कहा, 'शुक्रवार को गृह सचिव स्तर पर यह फैसला लिया गया। पुलिसकर्मी आज (शनिवार) अपना कार्य पूरा कर चले गए।' सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे समय में अचानक सुरक्षा हटा ली गई है जब वे केरल में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों की धमकी का सामना कर रहे हैं। हाल ही में अट्टापाडी में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में चार माओवादियों की कथित हत्या समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सुरक्षा वापस लिए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे। बहरहाल, पुलिस की अभी कोई टिप्पणी नहीं मिल पाई है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे समय में अचानक सुरक्षा हटा ली गई है जब वे केरल में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों की धमकी का सामना कर रहे हैं।

पाक को सबक सिखाने में सेना सक्षम : राजनाथ

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 7 दिसंबर।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी हरकत से बाज आए वरना भारतीय सेना उसे करारा सबक सिखाएंगी। उन्होंने पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश करार दिया। जो अपने यहां आतंकवादी पैदा करता है। उन्हें प्रशिक्षण देता है और भारत जैसे शांतिप्रिय देश में शांति फैलाने का काम करता है। वे शनिवार को देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। परेड के दौरान कैडेट्स पर हेलिकॉप्टर से फूल बरसाए गए।

भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में शामिल कैडेट्स को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री सिंह ने बाकी पेज 8 पर

रक्षा मंत्री ने पड़ोसी राष्ट्र को चेताया

भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए

झारखंड : दूसरे चरण में 64.39 फीसद हुआ मतदान

सिसई, 7 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शनिवार को शाम पांच बजे मतदान संपन्न होने तक 64.39 फीसद मतदान दर्ज किया गया। हिंसा की एक घटना को छोड़कर दूसरे चरण में सभी बीस सीटों के लिए लगभग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि दूरदराज के बाकी पेज 8 पर

बंधक बनाए 18 भारतीयों को छुड़ाने की कवायद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

नाइजीरिया में समुद्री लुटेरों ने हांगकांग के झंडे वाले एक मालवाही जहाज 'एमटी नेव कॉन्सटलेशन' को अगवा कर लिया और चालक दल के सभी 19 सदस्यों को बंधक बना लिया है। उनमें 18 भारतीय हैं। एक व्यक्ति तुर्की मूल का है। जिन्हें अगवा किया गया है, उनमें जहाज के इंजीनियर और उनकी पत्नी भी शामिल हैं। तीन दिसंबर को इस जहाज को अगवा किया गया था। विदेश मंत्रालय के नाइजीरिया स्थित दूतावास ने शनिवार को इस बारे में वहां की सरकार से बातचीत शुरू की है। समुद्री लुटेरों से संपर्क कर बंधकों को छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नाईजीरिया में भारतीय मिशन ने इस जहाज के भारतीय चालक दल के अपहरण का मुद्दा वहां की सरकार के सामने उठाया।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को इस बारे में विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा। उनके पत्र बाकी पेज 8 पर

नाइजीरियाइ समुद्री लुटेरे। (फाइल फोटो)

समुद्री लुटेरों ने हांगकांग के झंडे वाले मालवाही जहाज को किया अगवा

अगवा कर लड़की से सामूहिक बलात्कार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में एक नाबालिग लड़की को सरेराह अगवा कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। रात करीब 11 बजे मुख्य आरोपी अपने दोस्तों के साथ आया और उसने पानी पीने को दिया, जिसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई। सुबह करीब छह बजे उसे होश आया। पीड़ित परिवार ने पता चलने पर पुलिस को सूचना दी।

उनका आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में दो दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। जिला पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल का कहना है कि इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। पीड़िता ने बताया कि उसके माता-पिता नहीं हैं। वह अपनी दादी और बुआ के साथ रहती है। वह सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उसकी बुजुर्ग दादी बीमार रहती हैं।

इस कारण वह बीते एक दिसंबर को मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जा रही थी, तभी गांव के एक लड़के ने सरेराह उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। विरोध करने पर वह नहीं माना और उसे एक खाली मकान में ले गया। बाद में एक कमरे के अंदर उसे धकेल दिया और बाहर से ताला लगा दिया। मकान के आसपास सुनसान रहता है। मदद के लिए वह चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। उसी रात करीब 11 बजे लड़का फिर से आया। देर रात होने की वजह से वह डर गई। उसने कहा कि वह पानी पी ले फिर उसे घर छोड़ देगा। वह उसकी बातों में आ गई। पानी पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई। पीड़िता ने बताया कि इसके साथ आरोपी ने बलात्कार किया। उसका आरोप है कि तीन अन्य लड़कों ने भी उसके साथ बलात्कार किया।

पीड़िता की बुआ ने बताया कि जब वह काफी देर तक नहीं लौटी तो लड़की की तलाश शुरू कर दी। रात करीब आठ बजे वह पुलिस के पास पहुंचे तो उसने पहले तो उनकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन जब पीड़ित परिवार ने उन पर बाकी पेज 8 पर

दो दिन बाद दर्ज हुआ मामला

दिल्ली पुलिस ने कहा रात भर इंतजार करो, सुबह खुद लौट आएगी, जानकार के घर गई होगी

पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर दो दिन बाद दर्ज किया मामला

दरअसल

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के तीन जज प्रेस के सामने आए थे **न्यायिक सुधार** कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ 'ठीक-ठाक नहीं'

जजों की मुखरता को सीजेआइ ने ठहराया जायज

जोधपुर (राजस्थान), 7 दिसंबर (भाषा)।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा पिछले साल किया गया संवाददाता सम्मेलन महज खुद में सुधार करने का एक उपाय भर था।

गौरतलब है कि एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ ने 12 जनवरी 2018 को संवाददाता सम्मेलन किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि शीर्ष न्यायालय में सब कुछ 'ठीक-ठाक नहीं' है और कई ऐसी चीजें हुई हैं जो अपेक्षित से कहीं कम हैं।बाद में, उसी साल न्यायमूर्ति रंजन गोगोई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) दीपक मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर इस शीर्ष पद पर नियुक्त हुए थे।

यहां राजस्थान उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन के दौरान न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, 'मेरा मानना है कि इस संस्था (न्यायपालिका) को खुद में सुधार करना चाहिए और निसंदेह यह उस समय किया गया, जब संवाददाता सम्मेलन किया गया था जिसकी काफी आलोचना हुई थी। यह खुद में सुधार करने के एक उपाय से ज्यादा कुछ नहीं था और मैं इसे उचित ठहराना नहीं चाहता।'

सीजेआई ने कहा, 'सभी न्यायाधीश प्रतिष्ठित थे और विशेष रूप से न्यायमूर्ति (रंजन) गोगोई ने काफी क्षमता का प्रदर्शन किया तथा न्यायपालिका बाकी पेज 8 पर

प्रतिशोध का रूप न ले न्याय

न्याय कभी जल्दबाजी में फटाफट नहीं होना चाहिए। न्याय को कभी प्रतिशोध का रूप नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना है कि न्याय उस वक्त अपनी विशेषता या स्वरूप खो देता है जब यह बदले का रूप धारण कर लेता है। खुद में सुधार लाने के उपायों की न्यायपालिका में जरूरत है लेकिन उन्हें प्रचारित किया जाए या नहीं, यह बहस करने का विषय है।'

रविवारी
8 दिसंबर, 2019

विवाह, धोखा और कानून
विदेशों में बसे युवाओं-युवतियों का विवाह के बाद अपने जीवन साथी को छोड़ कर भाग जाना चिंता की बात है। इसी को ध्यान में रख कर पंजीकरण कानून बने। वे कानून कितने कारगर हैं या उनमें क्या कमियां हैं, बता रहे हैं श्रीशचंद्र मिश्र।

• कहानी/ मीरा सीकरी • प्रसंग/ विनोद शाही • मुद्दा/ मोनिका शर्मा • शख्सियत/ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

सर्दियों में करें कपड़ों की खास तैयारी • सुमन बाजपेयी

•कविता/ जितेश कुमार •कहानी/ इंद्रजीत कौशिक

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Varun S/O-Kishori Lal R/O A-7/60, Ground-Floor, Sector-17, Rohini, Delhi-110089. Have Changed My Name To Varun Arora. 0040523367-5

I,Jyothi Santhosh W/o Nitin Jain R/o H.NO-1204,Tower-7 Panchsheel Pratishta Plot no.-16 Sector-75 Noida GBNagar, UP have changed my name to Jyothi Gandhi Permanently. 0040523370-1

I,ARNAV is legal Son/of SANJAY BHATNAGAR resident of-B1/2, Sector-13,R.K.Puram, New.Delhi-66,have changed my name from,ARNAV to ARNAV BHATNAGAR vide-Affidavit dated-04/12/2019, before Notary Public (Area Patparganj, TrilokPuri, Regd.No.1903) 0040523383-2

I, Yusra Saifi D/o Akhiruddin Khan R/o J-30A Gali No-7 J-Extn. Laxmi Nagar Delhi-110092 have changed my name to Yusra Khan. 0040523339-2

I, Yogesh H Assudani S/O Hari Krishan Assudani R/O-40./96. C.R.Park, Kalkaji New Delhi 110019. Changed My Name To Yogesh Assudani. 0040523402-5

I, Vandana Angel Loyall W/o Pradeep Singh Chauhan R/o Flat No-50, 1st Floor Rosewood Appartment, Pocket-A, Sector-13, Dwarka Delhi-110078 Have Changed My Name to Vandana Chauhan. 0070687202-1

I, Sultan Mohammad S/o Sabir Ali Khan R/o-D-10/4, 3rd-Floor, Okhla-Vihar, Jamia-Nagar, N.Delhi-110025,changed my name from Sultan Mohammed to Sultan Mohammad,for all purpose. 0040523368-6

I, Sohan Bansal S/o Jai Bhagwan R/o-D-11/82 Block-D, Pkt-II,Sec-8 Rohini Delhi-110085.have changed my minor daughter's name Ritika to Ritika Bansal. 0040523402-3

I, Sourabh Kumar, am legally son of JC-673341L, Nb Sub/MT Ajay Kumar,presently Resident of-Village: Lalpura, The-Hansi, Distt-Hissar, State-Haryana, have changed my Name from Sourabh Kumar(Old-Name) to Sourabh(New-Name)vide-affidavit dated-04/12/2019 before-Delhi-Court. 0040523367-3

I, Sohan Lal S/o Jai Bhagwan R/o-D-11/82 Block-D Pkt-II Sec-8 Rohini Delhi-110085 have changed my name to Sohan Bansal. 0040523402-2

I, Sidra Saifi D/o Akhiruddin Khan R/o J-30A Gali No-7 J-Extn. Laxmi Nagar Delhi-110092, have changed my name to Sidra Khan. 0040523339-1

I, Shkhar Gosh S/O-Brahm Dev Ghosh R/O-146A-320 Ews Janta-Flats Chilla-Village Chilla Saroda Khadar Delhi-110091. Changed My Name To Shekhar Ghosh. 0040523367-9

I, Shiv Shanker S/o Gopi Ram Singhal R/o-116 Vidya-Vihar Apartment Sector-9 Rohini Delhi-110085, changed my name to Shiv Shanker Singhal permanently. 0040523365-3

I, Seema Devi W/0-Shyam Lal R/0-Wz-64c Plot.No-10, A.S.P. Mukherjee-Park Tilak-Nagar Delhi-110018.Changed My Name To Charu. 0040523381-3

I, Sameena W/o Akhiruddin Khan R/o J-30A Gali No-7 J-Extn. Laxmi Nagar Delhi-110092 have changed my name to Sameena Parveen. 0040523339-3

I, Sadhna W/O-Kaveesh Gupta H.No-T-11, 1c, Ozone-Park Appartment, Sector-86, Faridabad, Haryana-121001have Changed My Name To Sadhna Gupta. 0040523367-8

I, Ranbir Singh S/o Chet Ram R/o H.no-358, Block-16, Dakshin Puri Extension Delhi-110062 Have Changed My Name to Ranbir Singh Thakur. 0070687200-1

I, Rajive Sareen S/O Vishwanath Sareen H-No.A-329 Dda Flats New Ranjeet Nagar New Delhi-110008. Changed My Name To Rajeev Sareen. 0040523367-6

I, Rajesh Kumar S/O Rajan Malhotra R/O Wz-1672, First Floor, Multani Mohalla, Rani Bagh, Delhi-110034. Changed My Nameto Rajesh Malhotra. 0040523365-10

I, Rajesh Jaiswal, S/o-S.B.Jaiswal, R/o-35, Naval-Apartments, 14,Vasundhara Enclave,Delhi, East/Delhi-110096,have changed the name of my minor son Krishna Jaiswal aged 14-years and he shall hereafter be known as Krushna R Jaiswal. 0040523402-9

I Sunil S/O-Balbir Add-203, Bichh-Patti, Jhoud Wali Choupal, FatehPur Beri, New Delhi 110074. Changed My Name To Sunil Kumar. 0040523367-2

I Harjeet Singh Mission S/o-Balwant Singh Mission R/o-5A/41 Vishnu-Garden-Extn Tilak-Nagar Delhi.have changed my name to Harjeet Singh. 0040523381-2

व्यक्तिगत

I, Raj Kumar Sharma S/o-Suraj Bhan R/o-B-7 4th-Floor Vijay-Vihar Phase-II Sector-4, Rohini Delhi-85, changed my name to Raj Kumar Vashist. 0040523381-1

I, Raj Kumar S/O-Shobha Ram R/O-C-19,Gharonda Neem Ka Banger, Patparganj-Village Delhi-110091.Have Changed My Name To Rajkumar Choudhary.For All Future Purposes. 0040523367-4

I, Rahul S/O Umesh Kumar R/O E-152, Shastri Nagar, Delhi-110052 have changed name to Rahul Mahawar for all Purposes. 0040523365-9

I, REKHA RANI W/o Sanjay Arora R/o 5/43-A, Moti Nagar, Delhi-110015, have changed my name to MANJU ARORA. 0040523336-1

I, Praveen Kumar Sharma S/o Madan Lal Sharma R/o-1/9171, Galino-4, West-Rohtashnagar, Shahdara, Delhi-110032 have changed my name to Praveen Sharma, permanently. 0040523365-8

I, Nirmala Kumar Singhal W/o Shiv Shanker Singhal R/o-116, Vidya-Vihar Apartment Sector-9, Rohini Delhi-110085 changed my name to Nirmal Singhal permanently. 0040523365-2

I, Nasima Parween D/o Taj Mohammad R/o-R-235, Jogabai-Extension, Jamia-Nagar, N.Delhi-110025, changed my name from Nasima Begum,to Nasima Parween,for all purpose. 0040523368-1

I, Mohammad Mansur S/O Abdul Satar, H-No.-239, Street No-3 Near Ayesha-Masjid Old Mustafabad Delhi-110094. Changed My Name To Mohammad Mansoor. 0040523402-4

I, Manoj Kumar R/O-Rz-16a/15/9a, Gali-2, Main-Sagarpur, NewDelhi.Have Changed My Minor Son's Name,From Kartik To Kartik Suryavanshi,For Future. 0040523367-1

I, Manisha W/o Sumit Gupta R/o S-237 Ground Floor, Uppal Southend, Sector-49 Gurgaon-122018 Have Changed My Name To Manisha Gupta. 0040523365-6

I, Lalita Agrawal W/O-Arun Kumar Agarwal, R/O-6/52, F-1, Media-Enclave, Sector-6, Vaishali-Ghaziabad, U.P-201010. Changed My Name To Lalita Agarwal. 0040523381-4

I, Km Nidhi D/o Vijay Arora R/o S-364, Shakarpur, School Block, Delhi-92 have changed my name to Nidhi Arora for-ever and also inform that my mother's name is wrongly written in my 10th School Certificate as Anita instead of Anita Arora. 0040523346-1

I, Kaveesh Kumar Gupta S/O-Santhi Swaroop Gupta H.No-T-11, 1c, Ozone-Park Appartment, Sector-86, Faridabad, Haryana-121001, Changed My Name To Kaveesh Gupta. 0040523367-7

I, Jyoti Kailey D/o Saroop Singh R/o H.No.-21, Phase-1, Ajitvihar, Dhilwan Road, Jalandhar-144023, have changed my name to Prabhjot Kaur. 0040523367-10

I, Inderjit Kaur W/o Gulab Singh R/o-C-112, 1st-Floor, Moti-Nagar, Ramesh-Nagar, N.Delhi-110015 have changed my name to Inderjeet Kaur, permanently. 0040523365-7

I, Hemant S/o Lal Chand R/o M-600, 1st floor, Orchid island, Sector-51, Samaspur Gurgaon-122003 Have Changed My Name to Hemant Khattar. 0070687199-1

I, Harmeet Kaur Oberoi W/o Amrit Pal Singh R/o-A-7/57 Sector-16 Rohini Delhi-110085, changed my name to Harmeet Kaur permanently. 0040523365-4

I, Deepmala Gupta W/o Mukesh Gupta R/o H-156, Rama Krishna Vihar Apartment, 29 I.P.Extn. Patparganj, Delhi-110092, have changed my name to PRERNA GUPTA for all purposes. 0040523344-1

I, Deepankar Sood S/o Ashok Kumar Sood R/o M-132, Rama Krishna Vihar Apartment, Plot NO.29, I.P. Extn, Patparganj, Delhi-110092 have changed my name to Deepaunkar Sood for all future purposes. 0040523337-2

I, Deepali Sharma D/o Deepak Sharma, R/o-1146, Block-47, DDA-Flats, Kalkaji, N.Delhi-110019, have Embraced Islam,and Renounced Hinduism, with effect from 15/04/2018 0040523368-4

I, Deepali Sharma D/o Deepak Sharma R/o-1146, Block-47, DDA-Flats, Kalkaji, N.Delhi-110019, changed my name from Deepali Sharma to Zainab Fatimah,for all purpose. 0040523368-5

I, Akhruddin Khan S/o Mithan Khan R/o J-30A Gali No-7 J-Extn. Laxmi Nagar Delhi-110092 have changed my name to Akhiruddin Khan. 0040523339-4

I, Ahmar Khan S/o Vikar Khan R/o-H.No.C-3, Jogabai-Extension, Jamia-Nagar, N.Delhi-110025, changed my name from Ahmar to Ahmar Khan,for all purpose. 0040523368-3

I, Aakash Mahani S/o Gulshan Mahani R/o Plot No.196, SF-2, Kailash Puram, Govind Puram, Ghaziabad, UP-201013 have changed my name to Aakkash Mahanni for all future purposes. 0040523337-

मैं, अविरल बिंदल S/O राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, R/O of 90/56, मालवीय नगर, नई दिल्ली, ने अपना नाम बदल कर अविरल अग्रवाल कर लिया है। एफिडेविट IN-DL92428323633953R तारीक 5-12-2019। 50159495

I, Daya Kaur Boora D/o Ganga Datt,Legally Wedded Spouse of Ishwar Singh, Residing.at-RZK-62, New Roshanpura, Najafgarh New Delhi-43,have Changed my name from Daya Kaur Boora to Daya Kaur.My Date of birth is-06.04.1963. Both Names Daya Kaur Boora and Daya Kaur Pertain to the Same Person. I,Shall at all times hereafter in all records,Deeds be Known as only Daya Kaur. 0040523328-2

I, Karin D/o Joseph Swami R/o-R-3, Block-R, Mohan Garden,Uttam Nagar,Delhi-110059,have changed my Name to Karin Joseph. 0040523383-1

I, Nazreen Shakeel, w/o Surmeet Singh, r/o 331,C-32/A, blk-C,Rajgarh -Colony opp. Community-Center, Gandhi-Nagar, Delhi-110031 after-marriage have changed name Nazreen Kaur. 0040523402-8

I, Balvinder Singh S/O Harnam Singh R/O 5 L-69 Nit-Faridabad Have Add Surname To Balvinder Singh Chhabra For All. 0040523365-1

I, Azaharuddin Siddique S/o Sarajuddin Siddique R/o-D-17/3, Batla-House, Jamia-Nagar, N.Delhi-110025, changed my name from Azaharuddin to Azaharuddin Siddique,for all purpose. 0040523368-2

I, Astitva S/o Prem Prakash Agarwal R/o 143- A, Pocket-6, MIG Flats, Mayur Vihar Phase-3 Delhi-110096 Have Changed My Name to Astitva Agarwal. 0070687192-1

I, Arvinder Pal Kaur W/o Inderjeet Singh Narang, R/o A-2/B134C, Ekta Appartments, Paschim Vihar, New Delhi-110063 have changed my name to Arvinder Kaur for all purposes. 0040523342-1

I, Arun Kumar Antal S/o Ramesh Kumar R/o House no-688, Pana-begwan, Bawana, Delhi-110039 Have Changed My Name to Arun Kumar. 0070687196-1

I, Arun Arora R/o-352,Bhera Enclave, Paschim-Vihar, New-Delhi-110087,have changed my minor daughter's name from Dipka Arora to Deepika Arora,for all,future purpose. 0040523402-1

I, Arun Agrawal S/O-Badri Prasad Agarwal R/O-6/52, F-1, Media-Enclave, Sector-6, Vaishali-Ghaziabad, U.P-201010. Changed My Name To Arun Kumar Agarwal 0040523381-5

I, Anmol Sharma D/o Satya Pal Sharma R/o C-2/30-B, Keshavpuram, Delhi-110035 have changed my name from Anmol to Anmol Sharma for all future purposes. 0040523362-1

I, Amrit Pal Singh S/o Mohinder Singh R/o-A-7/57, Sector-16, Rohini Delhi-110085, changed my minor daughter's name Prableen Kaur to Prabhleen Kaur Kathuria permanently. 0040523365-5

I Vandana Devi W/O Ram Narayan Tripathi 15615598X Rank Hav, R/O village. Kapri khurd P. O. Bhawanipur,Teh-Basti Sadar, Distt.Basti, U.P.272001, have changed my name to Vandana Tripathi after marriage for all purposes. 0070687237-1

I, Arun Kumar 592 NA/54 Near Panchayat Bhawan Kharika, Telibagh, Lucknow. In my service record my son's name is wrongly entered Yesh Saini. In future my son's name is known as Yash Saini. 0060071389-3

I, Arun Kumar 592 NA/54 Near Panchayat Bhawan Kharika, Telibagh, Lucknow. In my service record my wife's name is wrongly entered Shama Devi. In future my wife's name is known as Shyama Saini. 0060071389-2

I, Arun Kumar 592 NA/54 Near Panchayat Bhawan Kharika, Telibagh, Lucknow. In my service record my daughter Senha Saini, D.O.B is wrongly entered 26/08/1996. In future my daughter's D.O.B is known as 07/08/1995. 0060071389-1

I, ANOOP KR JAIN S/o SAT-NARAIN JAIN R/o RZP-161, 03, Palam, Raj Nagar-2, Delhi-110077, have changed my name to ANOOP KUMAR JAIN. 0040523329-1

I Deepak Tegta- S/O Kriparam Tegta R/O Plot no-877, P.O.Waknaghat Tehsil Kandaghat Distt. Solan H.P.173234, have finally changed my name to Samraat Kapoor for all purposes. 0070687205-1

I Abhishek S/o Manoj Kumar Choudhary R/o-RZ-59/104, Gali.No-8 Durga-Park, ND-45,have changed my name to Abhishek Choudhary for all future purposes. 0040523328-1

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client Mr. Rajinder Kumar Gupta S/o Balbir Singh Gupta R/o RU-11 First-Floor, Pitampura Delhi-34 has misplaced/lost the Original DDA Possession Letter, Site Possession & NOC Electricity and Water Connection slip of MIG Flat No-11, Block-RU, First-Floor Pitampura Delhi-34 has been lost. An NCR on this effect has been logged vide L.R. No. 1930898/2019 Dated 28.11.2019. Any person(s) claiming any right, interest having any objection or found in possession of original documents may write/contact with above named person at above address phone no.9212000752 within 15 days of publication of this notice.
The person claiming any right, interest objection with respect to this property can personally inform or write to **Dy. Director (LAB)H or Director (H)-1** D-Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

Dev Raj Sukhija (Advocate)
Enrl No. D-64/1995

खोया+पाया

I Rajesh Kumar S/o Sh.Mool Chand R/o E-282, Tagore Garden, Delhi-110027 have lost original GPA & Will executed on 24-09-1998 by Shyam Sunder & Umesh Kumar in favour of Manju Gupta of Shop Pvt. No.1, of Property No.A-21, Radhey Shyam Park Extension, Delhi-110051. Finders may contact at Mobile No.9560847652. 0040523330-3

I, Narinder arora S/o-Ashok kumar arora R/o-2/43 rameshnagar new-Delhi-15. Have lost my original-cerificate/ arksheet Class-10th(1996) Rollno-6120720 class-12th(1998) Rollno-6217709 CBSE-Delhi. 0040523381-9

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Marksheet of Main Secondary Examination of Year 2014, Roll No.8636013 issued by CBSE has been actually lost. Name of Candidate: Shubham S/o Bal Kishan, R/o 521/20, Gali No.4A, Vijay Park, Maujpur, Delhi-110053, Tel.9891276865. 0040523345-1

It is to inform that original registered lease deed Doc. No. 493, Book -1,Vol-115, Page 81 to 85 dated 18.3.1947 Khatoni No.1483 has been lost/ misplaced . Any person finds above documents requested to contact : Mr. Sanjay Adlakha, Plot No. 34B, Block-1, NEA, Pusa Road , Karol Bagh , Delhi-5, Ph. 9811021432. 0040523361-1

I Anita W/o Late Harish Kumar R/o 12-A, Gali No.5, Kundan Nagar, Laxmi Nagar, Delhi-110092 have lost original GPA, Sale Agreement, Receipt, Affidavit & Will all executed on 20-02-1991 by Prabhu Dayal Arora in favour of Om Parkash all executed & original Will executed on 26-02-91 by Om Parkash in favour of Satnam Singh of Property No.84, Kundan Nagar, Laxmi Nagar, Delhi-110092. Finders may contact at Mobile No.8447104150. 0040523330-2

I, KISHAN Kumar S/o-Nishan Singh R/o-D-48 Amanvihar Kirari Suleman-Nagar Delhi-86, have lost my original certificate class-10th (2012) Rollno-8735008 class-12th (2014)Rollno-9706611 CBSE-Delhi. 0040523381-10

LOST & FOUND

We, FLSmidth Pvt. Ltd, through its representative Birendra Kumar Sharma S/o Sh. Amichand Sharma R/o Mohalla Kanugo, Bawal (Distt Rewari)-123501 have lost file containing original documents- Occupation Certificate, Building Approval Plan, Possession Letter & Allotment Letter in respect of Industrial Property at Plot No. 402, Udyog Vihar, Phase 3, Gurugram favouring FLSmidth P. Ltd. Finder may Pls contact at address above or at Mobile No. 8818009178

सार्वजनिक सूचना

अधोहस्ताक्षरी अपने मुवक्किल एल.आई.सी. हाउसिंग फा.लि. की ओर से सूचित करता है कि राजमती देवी और उनके पुत्र संतोष कुमार, एल.आई.सी. एच.एफ.एल. से गृह ऋण ले रहे हैं। विक्रय-विलेखों की श्रृंखला में मूल मुख्तार-ए-आम, जो कि राज कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र द्वारा शंकर राम के हक में निष्पादित है तथा जो दिनांक 21.12.1995 को पुस्तक संख्या-4, खण्ड-74 के पृष्ठ संख्या-329 से 334, क्रमांक-923, उपनिबंधक-तृतीय, निबंधन कार्यालय लखनऊ में विधिवत् पंजीकृत है, कहीं खो गया है, जिस किसी वित्तीय संस्था अथवा व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्तियां अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा बंधक धारक एवं बंधककर्ता का कोई दायित्व नहीं होगा।

एल.आई.सी. एच.एफ.एल.
एरिया आफिस-आलमबाग,
कानपुर रोड, लखनऊ।
फो नं.- 0522-24229995

हस्ता/-
ओ.पी. जौहरी
एडवोकेट
342/18 नौबस्ता, लखनऊ
मो.नं.-7753916910

रिक्त स्थान

SATYUG DARSHAN INSTITUTE OF EDUCATION & RESEARCH
(B.ED. COLLEGE ONLY FOR GIRLS)
Affiliated to CRSU, Jind, Approved by NCTE, Jaipur
Village Bhopani, Lalpur Road, Faridabad -121002

Invites Applications for the following posts in **B.Ed.**

- **PRINCIPAL**
- **ASST. PROFESSOR**
  • **Perspective in Education** (1) • **Pedagogy of Science** (1) • **Social Science** (1) • **English** (1) • **Mathematics** (I) • **Hindi** (1) • **Specialized courses** (Part time staff)
- Specializes cources (Part time Staff)
  Health and Physical Edu. (1)
  Fine Arts (1)
  Performing Arts (1)
- **NON-TEACHING**
  • Librarian (1) • Office cum Account Asst. (1) • Office Asstt. cum Computer Operator (1) • Store Keeper (1) • Technical Asstt. (1) • Lab Asstt (1) •Lab Attendant (1)

PLEASE NOTE:
– Only female candidates NEED to apply for Teaching Posts.
– UGC-NET qualified candidates/ Ph.D. holders will only be entertained.
– Salary negotiable.
– Qualifications according to NCTE Regulations 2014 CRSU Jind.
The Eligible candidates should apply with one copy of application and testimonials to college and other to **Dean College Developmental Council, CRSU JIND -126102** within **21 days** of publication of this advt.

Contact: 0129-2345556
9034001030 / 8800559093
E-mail: info.sdier@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलगण शारदा देवी व इनके पति नरेश बाबू निवासीगण ई-341 बी, गली नं. 6, ई ब्लॉक वैस्ट करावल नगर, दिल्ली-94 (अन्य परिवार की तरफ से भी) अपने पुत्र विवेक और उसकी पत्नी संध्या उर्फ लक्ष्मी को उसके दुर्व्यवहार व बदनेकचलनी के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करके, समस्त संबंध विच्छेद कर लिये हैं। यदि कोई व्यक्ति, फर्म, निगम, संस्था बैंक इत्यादि विवेक व संध्या उर्फ लक्ष्मी से कोई भी संव्यवहार करता है या विवेक व संध्या उफ लक्ष्मी कोई भी विधिक या अविधिक कार्य करते हैं तो उसके लिये मुवक्किलगण व उनके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

ध्रुब चित्र (एडवोकेट)
Enrl. No. D/1394/2000

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client **SUNITA W/O LATE RAM CHANDER R/O H. NO. K-37, GURUDAWARE WALI GALI, KRISHANA NAGAR, SINGHU BORDER ROAD, NARELA, DELHI-110040** have disowned their son namely **BHARAT KUMAR** and his wife **SMT. SUPRIYA** from their entire movable and immovable, properties as they have gone out of control of my client and their entire family has severed all the relations from them. If anybody deals with him and with his wife it shall be entirely at their own risks, cost and consequences. My client shall not be responsible in any manner for any kind of his deed, act and conduct.

Sd/-
(KRISHAN KUMAR)
ADVOCATE
CH. NO. 803, 8TH FLOOR,
LAWYERS CHAMBER BLOCK,
DISTT. COURT ROHINI,
DELHI-110085
MOB: 9810233261

PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO GENERAL PUBLIC AT LARGE that my client JALDEEP KUMAR JAIN R/o D-148, Preet Vihar, Shakarpur, East Delhi, Delhi-110092 has severed all his connections from his son namely Sh. RAHUL JAIN and has disowned him from all movable and immovable properties in all manners on account of his misconduct and misbehviour beyond control. Henceforth, my client shall not be responsible for acts, deeds and things of his abovenamed sonand anyone dealing with him in any manner shall be doing so at their own risk and responsibility and my client is not responsible in any manner.

Sd/-
RISHABH GUPTA
(Advocate)
D-2/9, Model Town-III
Delhi-110009

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Abdul Latif R/o B-218, Gali No. 10, Gaurav Nagar IInd., Prem Nagar, Kirari Suleiman Nagar, New Delhi-110086, has severed all his relations with his younger son Salim Ahmad and his wife Smt. Shahana Begum both R/o B-218, Gali No. 10, Gaurav Nagar IInd., Prem Nagar, Kirari Suleiman Nagar, New Delhi-110086 for being not dutiful and & obedient. My client has disowned them from all his movable and immovable properties. Whosoever deals with them in any manner, shall be doing so at his/her, own risk and responsibility. My client shall not be responsible for the same.

Sd/-
Manu Minocha
(Advocate)
Ch. No. 438, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

OUR CLIENT SH. SARDARE SAINI F/O IMARAT SAINT R/O HOUSE NO. 34, VILLAGE MANAULI CHHAJJUPUR, PO MURADNAGAR, TEHSIL MODI NAGAR GHAZIABAD-00201001 HAS SOCIALLY BOYCOTT AND HAS SEVERED HIS ALL RELATIONS WITH HIS SON PAWAN SAINI, HIS WIFE SEEMA SAINI AND HIS CHILDREN SACHIN SAINI. ON THE BASIS OF SOME POWER OF ATTORNEY PURPORTED TO HAVE BEEN EXECUTED BY OUR CLIENT HEREBY DISOWN/ DISENTITLE / DISINHERIT HER SAID SON, DAUTHER-IN-LAW AND THEIR CHILDREN FROM HIS ALL MOVEABLE AND IMMOVEABLE PROPERTIES HENCEFORTH. ANYBODY DEALING WITH HIM SHALL BE DOING SO AT THEIR / HIS OWN RISK AND CONSEQUENCES AND OUR CLIENT SHALL HAVE NO CONCERN WITH ANY ACTIVITIES OF HIS SAID SON AND HIS FAMILY MEMBERS IN ANY MANNER WHATSOEVER.

Sd/-
AKASH SAINI (ADVOCATE)
47 Bhagwan Nagar, New Delhi-110014

PUBLIC NOTICE

I Priyanka D/o Satya Pal Residing at 783 Prem Gali-3E, Multani Mohalla, Gandhi Nagar, Delhi-110031 hereby undertake that I, PRIYANKA want to change my name to PRIYANK and gender as male. I PRIYANKA henceforth be known as PRIYANK S/o SATYA PAL. The above statement made by me is true & correct to the best of my knowledge & belief. If any legal issue arises in this regard at any Stage, I will be personally responsible for the same and, The Department of Publication will not be liable for any consequences arising therefore. PRIYANKA

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Mrs. Saba Aslam, W/o Late Noor Ul Islam, Daughter in law of Late Anwar Ul Islam, R/o Flat No. 183, 3rd Floor, Second Tower, Opposite Surya Hotel, Zakir Bagh, New Friends Colony, New Delhi-110025, is one of the legak heir of Late Anwar Ul Islam and as Such Co-owner of Property Bearing Flat No. 183, in Dr. Zakir Hussain, Memorial Co-operative Group Housing Society Ltd., Zakir Bagh, M.M Ali Road, New Delhi-110025. Any Person dealing with the sale, mortage or any transactions related to the above said property shall not do it without the written consent of my client, and if it is done without her consent then the same shall be treated as null and void.

ASHISH SHARMA (Advocate)
Ch. No. 464 Saket Court New Delhi

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I Smt. Harsheela Saluja W/o. Sh. Pankaj Saluja R/o. G-194, Third Floor, Pushkar Enclave, Paschim Vihar, N.D.-63 Allottee/Purchaser of Shop No. 24, Area measuring 9.35 (Sqr. Mtrs.) Pkt-B-4 L.S.C. Mkt. Paschim Vihar ND has applied for conversion of the aforesaid flat from lease hold to free hold vide application No. F-51(24)95/CE in DDA. Allotment letter, Possession letter, N.O.C. to Electric and Water connection and Agreement to Sale of the above Shop have been lost. An F.I.R. to this effect has been lodged in the Police Station. Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contract with above named person at above Address/ Phone No. 9811121958 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to Deputy Director (CE) A-Block, IInd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

संपत्ति

Sale of 1000 Sq.Ft. (Approx.) Basement of K-25, Kailash Colony, New Delhi-110048 at circle rate of Rs. One Crore & Fifty Lakhs. Interested parties contact by E-mail: nks397@gmail.com 0040523330-4

"TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

I state that my Client, is purchasing the Ground and Basement Floor of property bearing number K-73, Hauz Khas Enclave, New Delhi-110016 ("Said Property").
If anyone has any or claims any right, title, interest, ownership, possession, lien, encumbrance, mortgage, gift, inheritance, agreement, arrangement, understanding, HUF rights, dispute, demand, charge or claim of any nature whatsoever in the Said Property or any part thereof or has any sort of dispute/ litigation or otherwise has any objection for its sale, then such person shall forthwith along with valid documentary proof within next 10 days of this notice, contact or notify me at the contact details mentioned below, within 10 days from the date of publication of this notice.

Mr. Kushal Gupta
(Contact details Address: S-241, Basement, Greater Kailash-I, New Delhi-110048, gupta.90kushal@gmail.com)"

सभी के लिए न्याय सुलभ होना चाहिए : कोविंद

जोधपुर, 7 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्याय की महत्ता को रेखांकित करते हुए शनिवार को कहा कि सभी के लिए न्याय सुलभ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या हम, सभी के लिए न्याय सुलभ करा पा रहे हैं? इसके साथ ही उन्होंने न्याय प्रक्रिया के खर्चीला होते जाने की बात भी की।

राजस्थान हाई कोर्ट के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा कि पुराने समय में, राजमहलों में न्याय की गुहार लगाने के लिए लटकाई गई घंटियों का उल्लेख होता रहा है। कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर राजा से न्याय पाने के लिए प्रार्थना कर सकता था। क्या आज कोई गरीब या वंचित वर्ग का व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर यहां आ सकता है? उन्होंने कहा कि यह सवाल सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ही हम सब ने, सभी के लिए न्याय सुलभ कराने का दायित्व स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या हम, सभी के लिए न्याय सुलभ करा पा रहे हैं?

राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान दिवस के दिन कही गईं अपनी बातों को दोहराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस के दिन मैंने जो बातें सुप्रीम कोर्ट में साझा की थीं उनमें से कुछ प्रमुख बातों को मैं यहां दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी न्याय की प्रक्रिया में होने वाले खर्च के बारे में बहुत चिंतित रहते थे। उनके लिए हमेशा दरिद्रनारायण का कल्याण ही सर्वोपरि था। उनका अनुसरण करते हुए हम सबको अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए : क्या प्रत्येक नागरिक को न्याय सुलभ हो पाया है?

कोविंद ने अपने संबोधन में न्याय प्रक्रिया के खर्चीले होने का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मैं भलीभांति यह समझता हूं कि अनेक कारणों से न्याय-प्रक्रिया खर्चीली हुई है, यहां तक कि जन-सामान्य की पहुंच के बाहर हो गई है। विशेषकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना आम परिवादी के लिए नामुकिन हो गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर हम गांधीजी की प्रसिद्ध कसौटी को ध्यान में रखते हैं, अगर हम सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करते हैं तो हमें सही राह नजर आ जाएगी। मिसाल के तौर पर, हम निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराके जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं।

बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर देश दुखी : जैन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने देश में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं पर रोष व्यक्त करते हुए इस विषय को संसद में सांप्रदायिक रूप देने वाली कांग्रेस से माफी मांगने को कहा है। विहिप के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महासचिव डॉ सुरेंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर संपूर्ण देश दुखी है और अपराधियों को कठोरतम दंड देने की मांग कर रहा है। पीड़िताओं की क्रूर हत्या पर राजनीति करना इस अपराध से कम क्रूर अपराध नहीं है।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का यह कथन, एक ओर मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही थी और दूसरी ओर सीता माता को जिंदा जलाया जा रहा था, घोर निंदनीय और आपत्तिजनक है।

दिव्यांग महिला का शव मिला, हत्या की आशंका

बुलढाणा, 7 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में बुलढाणा जिले के खेरड़ा गांव में शनिवार को 50 वर्षीय दिव्यांग महिला का शव मिला।

पुलिस ने बताया कि महिला अविवाहित थी और उसका नग्न शव सुबह करीब सात बजे उसके आवास से मिला। पुलिस ने संदेह जताया कि शनिवार तड़के लीलाबाई खरात नाम की इस महिला की हत्या की गई है। जलगांव जामोद पुलिस थाने के निरीक्षक सुनील जाधव ने कहा कि सूचना मिलने के बाद एक पुलिस दल और एक डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए एक सरकारी अस्पताल भेजा गया है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।

पलामू में महिला ने एक साथ चार बच्चियों को दिया जन्म

मेदिनीनगर, 7 दिसंबर (भाषा)।

पलामू जिले के चैनपुर सामुदायिक अस्पताल में शनिवार को एक 30 वर्षीय महिला ने एक साथ चार बच्चियों को जन्म दिया। हालांकि, इनमें से एक बच्ची की जन्म के आधे घंटे के बाद ही मृत्यु हो गई।

पलामू के सिविल सर्जन डॉ जॉन एफ कैनेडी ने बताया कि चैनपुर प्रखंड के पिंडरा गांव की संजय भुइयां की पत्नी रीता देवी ने एक साथ चार बच्चियों को सामान्य प्रसव से जन्म दिया। उन्होंने बताया कि चारों नवजात का वजन सामान्य से कम था। इनमें से एक बच्ची अस्वस्थ थी, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि तीनों बच्चियों को मेदिनीनगर सदर अस्पताल में स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट में भर्ती कर उनकी विशेष देखभाल की जा रही है।

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client S.Jagjit Singh Chawla s/o Late Balwant Singh Chawla R/o 9/51A, 1/F Sanatan Dharam Mandir, Moti Nagar, New Delhi-110015 have disowned/ debarred his son S.Vaninder Singh Chawla, daughter-in-law Amit Kaur & grand children Charanleen Kaur and Master Meharpreet Singh all R/o Chander Vihar, Near Vikas Puri, New Delhi from his all assets,moveable & immovable properties located at anywhere & also severed all relations with them. Any person/s dealing with them, shall be at his/her own risk. **Jagdish Chandra Trikha (Advocate), M-4, Civil Side, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.**

PUBLIC NOTICE

My clients Jitender Kumar Verma S/o Shri Chunna Lal Verma and his wife namely Smt. Shilpi both R/o H. No. M-139-A, Badarpur, Saurabh Vihar, Jaitpur, South Delhi, Delhi-110044 have severed all their relations from their son namely Sumit Verma S/o Shri Jitender Verma and his wife and their children debarred them from all their movable/immovable properties and all assets due to their disobedience, misbehavior and misconduct towards my clients. My clients shall not be responsible for their any acts, deeds and transactions in future.

Sd/-
(Tanya Kathuria)

मौसम
तापमान नई दिल्ली
अधिकतम–23.2 डि.से. सूर्योदय– 7:01
न्यूनतम– 9.8 डि.से. सूर्यास्त– 17:25

नाम और डॉक्टर की ड्यूटी के अलावा कुछ भी नहीं बदला

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

जघन्य बलात्कार झेलने वाली लड़कियां इतनी पीड़ा के बाद भी जीना चाहती थीं। लेकिन हमारा दर्द है कि हम उन्हें लाख कोशिशों के बाद भी बचा नहीं पाए। यह कहना है, सफदरजंग में पीड़ितों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का। सफदरजंग अस्पताल निर्भया के अलावा ऐसी बर्बरता का शिकार हुई कितनी ही पीड़ितों की मौत का गवाह बन चुका है। यहां के डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी घटनाओं पर लोगों के आक्रोश के बाद भी कहीं बदलता कुछ नहीं है सिवाय पीड़िता के नाम व डॉक्टरों की ड्यूटी रोस्टर के।

सफदरजंग के बर्न आइसीयू में भर्ती उन्नाव पीड़िता ने शुक्रवार रात दम तोड़ दिया। इलाज में लगे डॉक्टरों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वह काफी बुरी हालत में थी। बलात्कार व जलने की असहनीय पीड़ा व जलन के इन पलों में भी वह जिंदगी से निराश नहीं थी, जीना चाहती थी। पर हमारी मजबूरी कि हम उसे बचा नहीं पाए। वह यहां जिस हालत में आई थी बचा पाना नामुमकिन था। वह 90 फीसद जल चुकी थी। जिसकी वजह से उसकी सांस की नली व खाने, बोलने की नली सूज गई थी। शरीर से बहुत फ्लूइड बह रहा था। वह बेसुध सी हालत में थी। वह कुछ कहना चाहती थी जो साफ समझ में तो नहीं आ रहा था लेकिन जितना समझ में आया उसके मुताबिक वह जीने की बात कह रही थी। उसे तुरंत वेंटीलेटर पर शिफ्ट किया गया। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ सुनील गुप्ता ने कहा कि वह साफ बोल नहीं पा रही थी। टूटी-फूटी व सांय-सांय करती आवाज में जितना सुनाई पड़ा उसमें यही समझ में आ रहा था कि वह जीना चाहती थी। पीड़िता के अखिरी शब्द थे कि वह बच तो जाएगी ना? ऐसी पीड़ा व ऐसी बर्बरता की शिकार हुई उन्नाव की बलात्कार पीड़िता की हालत पहले ही बेहद नाजुक थी उसके लिए अगले 48 घंटे भी निकाल पाना मुमकिन नहीं लग रहा था।

अस्पताल इससे पहले निर्भया व दूसरी कई पीड़ितों को दम तोड़ते देख चुका है। निर्भया मामले में इलाज दल के अगुआ रहे एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्र ने कहा कि जब निर्भया कांड हुआ था तो भी

बलात्कार पीड़िताओं को जिंदगी की जंग हारते देख रहा सफदरजंग अस्पताल

ऐसी ही बर्बरता का चरम देखने को मिला था। वह भी अखिरी दम तक जीने की अदम्य चाहत नहीं छोड़ पाई थी। मिश्र ने कहा कि किसी बीमारी से पीड़ित मरीज दर्द से हार कर निराश हो भी जाते हैं व जीने की आस व इच्छा ही छोड़ देते हैं। लेकिन इन पीड़ितों में इतनी बर्बरता झेलने के बाद भी निराशा नहीं दिखती। निर्भया ने भी कहा था कि वह जीना चाहती है। उन्होने बताया कि निर्भया कांड के समय उमड़े जनाक्रोश को देखते हुए हमने उसे यहां से सिंगापुर भेजने का फैसला लिया था। वर्ना हमारे यहां इलाज की ऐसी कोई सुविधा नहीं जो न हो। हम उसका यहां भी उसी तरह से इलाज कर सकते थे जैसा किसी भी दूसरे विकसित देश में होता। लेकिन हमारा दर्द था कि उसे बचा पाना मुमकिन नहीं। उस हालत में यहां उसके अंतिम पलों में या मौत की घोषणा पर जनसैलाब को संभालना मुमकिन नहीं होता। उन्होंने कहा कि लोगों के आंदोलन को देखते हुए लग रहा था कि हालात बदलेंगे लेकिन बदलता कुछ नहीं है। सिवा इसके कि निर्भया की जगह पीड़िता कोई और होती है और इलाज करने वाले डॉक्टरों में तब कोई और व अब कोई और ड्यूटी पर है। रोज बलात्कार के नए मामले सामने आते ही जा रहे हैं।

प्रदर्शन कर रही महिला ने बच्ची पर डाला ज्वलनशील पदार्थ

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए बलात्कार के खिलाफ सफदरजंग अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रही एक महिला ने अपनी छह साल की भतीजी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि वक्त रहते उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल के ही इमरजेंसी वार्ड में भेज दिया। महिला की पहचान आरती (35) के तौर पर की गई है।

उन्नाव की घटना के बाद मामले की पीड़िता की मौत हो जाने के बाद इसके विरोध में एक महिला सफदरजंग अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह नारे लगाते हुए कह रही थी कि जब कल मेरी बेटी का कोई बलात्कार कर देगा और उसे जिंदा जला तड़प-तड़प कर मरने के लिए छोड़ देगा। इससे अच्छा है कि वह आज ही मर जाए। महिला ने कहा कि बच्चियों का कोई हक बचा ही नहीं है कि देश में वह सुरक्षित महसूस करें। मेरे भाई की बच्ची है। वह नहीं चाहती कि किसी दरिंदे का शिकार उसकी भतीजी बने।

जांच में पता चला कि महिला सरिता विहार के मदनपुर खादर इलाके की रहने वाली है। वह अविवाहित है और अपने भाइयों के साथ ही रहती है। कुछ समय से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है।

कथाकार स्वयं प्रकाश का निधन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

हिंदी के कथाकार स्वयं प्रकाश का शनिवार सुबह मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। परिजनों के मुताबिक वे पिछले एक माह से रक्त कैंसर से जूझ रहे थे। उन्हें तीन चार दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुंबई के सांताक्रूज स्थित विद्युत शव दाहगृह में उनका शनिवार को अंतिम संस्कार किया गया। स्वयं प्रकाश हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सतर्कता अधिकारी और हिंदी अधिकारी रहे थे। प्रगतिशील लेखक संघ की मुखपत्रिका 'वसुधा' और बच्चों की चर्चित पत्रिका 'चकमक' के संपादक रहे स्वयं प्रकाश के एक दर्जन से अधिक कहानी संग्रह और पांच उपन्यास प्रकाशित हैं। उन्हें साहित्य अकादेमी ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपी बच्चों की पुस्तक 'प्यारे भाई रामसहाय' के लिए बाल साहित्य का अकादेमी पुरस्कार दिया था। उनकी आत्मकथात्मक कृति 'धूप में नंगे पांव' का प्रकाशन इसी वर्ष हुआ था।

चुनाव में सभी उम्मीदवारों को आवेदन का मौका देगी भाजपा

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

70 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सभी प्रत्याशियों को आवेदन का मौका देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया आगामी हफ्ते में शुरू होगी। प्रक्रिया के तहत पार्टी के सभी नेता, विधायक, पूर्व विधायक और अन्य नागरिक जो इस बार पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं वे अपना आवेदन पार्टी को दे सकेंगे। इस प्रक्रिया के बाद ही पार्टी 70 नामों की छंटनी की प्रक्रिया शुरू करेगी।

पार्टी का मानना है कि इस पहल से पार्टी का हर नेता अपना पक्ष रख सकेगा और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी लोगों को आवेदन का मौका दिया जा सकेगा। प्रक्रिया के तहत आवेदन नहीं करने वाले बाद में टिकट के लिए दावा नहीं कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में उन कार्यकर्ताओं की शिकायत भी दूर हो जाएगी, जो हमेशा यह शिकायत रखते हैं कि उनके क्षेत्रीय जिला अध्यक्षों, प्रभारी व नेताओं ने उनके नाम की सिफारिश नहीं की। इसके लिए पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को दो दिन का समय देगी। इस तय समय सीमा में जो भी आवेदन सामने आएंगे वे शामिल होंगे। इस नामों पर आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान ही करेगा।

कार्यकर्ता कर रहे हैं टिकट की मांग

संगठन का विस्तार करने के लिए तैनात किए जाने वाले विस्तारक ही भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली का टिकट चाहते हैं। भाजपा इनकी तैनाती पार्टी के विस्तार कार्यों के लिए करती है और इनकी भूमिका नए लोगों को संगठन से जोड़ना होती है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हुई बैठक के बाद यह नाराजगी सामने आने शुरू हुई है। बैठक में ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट नहीं देने का फैसला लिया है। इस मामले में टिकट की चाह रखने वालों को यह पद छोड़ने तक की सलाह भी पार्टी ने दी है। इसके बाद पार्टी के कुछ विस्तारकों की नाराजगी सामने आई है।

दस साल से नहीं जीते नेताओं पर है बड़ा सवाल

20 साल से अधिक समय से भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। सूत्र बताते हैं कि बीते सालों में सभी वरिष्ठ नेता जीत का दावा जरूर करते रहे हैं लेकिन अपनी सीट को नहीं बचा पाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न बीते दस सालों के गंभीर संकट का है। पार्टी निगम में एक बड़ा फार्मूला पेश कर चुकी है। इसमें नए चेहरों को पार्टी ने प्राथमिकता दी थी और एक बार फिर से बहुमत पाया था। ऐसा ही समीकरण बनता है तो बार-बार हार का मुंह देखने वाले नेताओं को टिकट मिलने में इस बार परेशानी आ सकती है।

इलाहाबाद बैंक — मण्डलीय कार्यालय, मेरठ, 55 दी माल, मेरठ कैन्ट

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54 के अधीन और धारा 13(12) तथा सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उधारकर्ता/जमानतकर्ता का विवरण नीचे दिये गये कोलम में सूचना में उल्लिखित रकम को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनसंदत्त करने के लिए बुलाते हुए एक माँग देय सूचना दिनांक को जारी किया ।

उधारकर्ता/ जमानतकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जा रहा है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति पर दिनांक से **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है ।

ऋणी को विशेष रूप से और लोक को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति से संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया जाता है और सम्पत्ति का कोई संव्यवहार इलाहाबाद बैंक के प्रभार के अधीन होगा । उधारकर्ता / गारंटीकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी का नाम	ऋणी / गारंटर का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	कब्जा नोटिस की तारीख	बकाया राशि
1. श्री गौरव सहाय पुत्र श्री अजीत सिंह	1. श्री गौरव सहाय पुत्र श्री अजीत सिंह (ऋणकर्ता)	एक आवासीय फ्लैट नं. जीडब्ल्यूसी जीएच सी 101 प्रथम तल गोल्डन हाइट्स स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम पावटी, मेरठ क्षेत्रफल 1342 वर्ग फीट	03.05.2019	03.12.2019	रू 35,06,725.00 + ब्याज व अन्य खर्चे

दिनांक– 07.12.2019 स्थान – मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

इण्डियन ओवरसीज बैंक INDIAN OVERSEAS BANK — शाखा: रोहतक मैन शाखा, भिवानी स्टैण्ड, रोहतक

[देखें नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 1.8.2019 जारी कर ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मार्टगेजरों को नीचे वर्णित तिथियों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहां नीचे वर्णित राशि के साथ उस पर आगे की ब्याज, लागतों आदि के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/ गारन्टर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	मांग सूचना तिथि
ऋणधारकः मै. लिवोन बैकर्स प्रा. लि., 9-आर, भू तल, ऑनिक्स हॉस्पीटल के निकट, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक, श्रीमती विमला देवी, 783, ए/10, मोहन नगर, थानेसर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा (यहां के बाद "ऋणधारक" एवं "मार्टगैजर" वर्णित) गारन्टरः श्री प्रवीण ग्रेवाल, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती विमला देवी, 783, ए/10, मोहन नगर, थानेसर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	1) श्रीमती विमला देवी, पत्नी श्री राज पाल के स्वामित्व में खसरा नं. 58/1, तथा 59/2 में शामिल, दर्रा खुर्द, संधू कॉलोनी, वार्ड नं. 5, अब मकान सं. 783-ए/5, मोहन नगर, थानेसर, कुरुक्षेत्र में स्थित भूमि तथा भवन का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः विमला का 30" प्लॉट, दक्षिणः 130" गली 20" चौड़ी, पूर्वः कृष्ण लाल का 60" प्लॉट, पश्चिमः सैनदास का 60" प्लॉट	29.6.2019 को रु. 17,50,443.66 (रुपये सत्तरह लाख पचास हजार चार सौ तैंसालिस एवं पैसे छियासठ मात्र) तथा अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि। कब्जा के अनुसार बकाया देयता रु. 18,56,921.66 (रुपये अठारह लाख छप्पन हजार नौ सौ इक्कीस तथा पैसे छियासठ मात्र) जिसके साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे के ब्याज का भुगतान किया जायेगा।	01.08.2019 कब्जा की तिथिः 5.12.219

तिथिः 8.12.2019, स्थानः रोहतक प्राधिकृत अधिकारीः इंडियन ओवरसीज बैंक

केनरा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **Canara Bank** (A Govt. of India Undertaking) — शाखाः संजय कॉलोनी, फरीदाबाद, फोनः 0129-2441637, ईमेलः cb8429@canarabank.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) (यहां के बाद "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथियों को जारी कर ऋणधारक(कों) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय अधोलिखित खाताओं के समक्ष वर्णित आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के अतिरिक्त नीचे वर्णित राशि के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/गारन्टरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋणधारक का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि	
ऋणधारकः श्री विकास गोयल, पुत्र संतोष गोयल, निवासीः एच. नं. 859, गली नं. 2, नगला रोड, जवाहर कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद (प्रॉप.) मै. गोयल फुटविअर	सरोज गोयल, पत्नी श्री संतोष गोयल के नाम में सारण की राजस्व सम्पदा, तहसील एवं जिला फरीदाबाद में स्थित खसरा नं. 57/23, 18में शामिल प्लॉट नं. 45, माप 200 वर्ग यार्ड्स में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। **सम्पत्ति की चौहद्दीः** उत्तरः प्लॉट नं. 47, दक्षिणः प्लॉट नं. 43, पूर्वः प्लॉट का शेष भाग, पश्चिमः रोड	रु. 15,68,317.00 (रुपये पन्द्रह लाख अड़सठ हजार तीन सौ सत्तरह मात्र) + ब्याज तथा अन्य चार्जेज	मांग सूचना तिथि 8.8.2019 कब्जा की तिथि 5.12.2019
ऋणधारकः श्रीमती स्वीटी, पत्नी ओम भगवान गोयल, निवासीः बी-340, 33 फीट रोड, शिव मंदिर के निकट, डबुआ कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद मै. गोयल ट्रेडिंग कम्पनी	श्रीमती स्वीटी गोयल, पत्नी ओम भगवान गोयल के नाम में प्लॉट नं. 40, खसरा नं. 18, किल्ला नं. 23/1, 23/2, मौजा डबुआ, तह. एवं जिला फरीदाबाद में स्थित आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। **सम्पत्ति की चौहद्दीः** उत्तरः प्लॉट नं. 200-ए, दक्षिणः प्लॉट नं. 198-ए, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः रोड	रु. 42,55,618.00 (रुपये बयालिस लाख पचपन हजार छः सौ अठारह मात्र) + ब्याज तथ अन्य चार्जेज	मांग सूचना तिथि 3.7.2019 कब्जा की तिथि 5.12.2019
ऋणधारकः श्री प्रदीप डोगर, पुत्र घनश्याम डोगर, निवासीः एच. नं. 412, झरसेन्टली सेक्टर-58, बल्लभगढ़ फरीदाबाद (प्रॉप) श्री प्रदीप इलेक्ट्रानिक्स	श्री प्रदीप डोगर, पुत्र श्रीघनश्याम डोगर के नाम में प्लॉट नं. 67, खसरा नं. 5, किल्ला नं. 14, झरसैन्टली (राजीव कॉलोनी) फरीदाबाद, माप 150 वर्ग यार्ड्स में आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 68, दक्षिणः प्लॉट नं. 66, पूर्वः रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 98 का शेष भाग	रु. 4079766.66 (रुपए चालिस लाख उन्यासी हजार सात सौ छियासठ एवं पैसे छियासठ मात्र)	मांग सूचना तिथि 3.7.2019 कब्जा की तिथि 5.12.2019
ऋणधारकः श्री सुमित गोयल, पुत्र राज कुमार गोयल, निवासीः 3406-3407, 60 फीट रोड, नगला चौक के निकट, जवाहर कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद (प्रॉप) मै. सुमित गोयल एंड कम्पनी	श्रीमती अनीता गोयल, पत्नी राज कुमार गोयल के नाम प्लॉट नं. 2323/11, जवाहर कॉलोनी-II, एनआईटी, फरीदाबाद में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 99, दक्षिणः प्लॉट नं. 97, पूर्वः प्लॉट नं. 98 का शेष भाग , पश्चिमः सड़क	रु. 2731544.00 (रु. सत्ताईस लाख इक्कतीस हजार पांच सौ चौआलिस मात्र)	मांग सूचना तिथि 22.7.2019 कब्जा की तिथि 5.12.2019

तिथिः 8.12.2019 स्थानः फरीदाबाद हस्ता./ प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है — **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** शाखा : 5/1, डी.बी. गुप्ता रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली -110055

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ताओं / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार और गारंटर का नाम	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
उधारकर्ता मैसर्स मेटल एम्पोरियम इसके प्रोप. श्री जतिंदर पाल सिंह आहूजा पुत्र करतार सिंह आहूजा द्वारा गारंटर (1) श्रीमती शरण जीत कौर आहूजा पत्नी श्री जतिंदर पाल सिंह (2) श्री अनिल धवन पुत्र किमती लाल धवन	सम्पत्ति नं. XV 8309/1 भूतल, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 22.29 वर्ग मी. जोकि मुलतानी डाण्डा, गली नं. 5, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055 (1) बिक्री विलेख – पंजीकरण नं. 5626 बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 9564 को पेज 67 से 73, दिनांकित 27.10.1997 (2) पंजीकरण नं. 2068, अतिरिक्त बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 9430 को पेज 36 से 41, दिनांकित 10.04.1997 सब रजिस्ट्रार, सब जिला III, नई दिल्ली में पंजीकृत	10-06-2019 / 06-12-2019	रु. 91,03,317.46 दिनांक 31.12.2018 तक ब्याज सहित प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और और अन्य प्रभार इत्यादि

दिनांक 06.12.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

IDBI BANK (CIN-L65190MH2004GOI148838) — **आईडीबीआई बैंक लि.** एनपीए मैनेजमेंट ग्रुप, दिल्ली, पहली मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ई-1, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, फोनः 011-6608 3104/4893

सम्पत्ति की बिक्री हेतु जरिये ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

मैसर्स संतोष ओवरसीज लिमिटेड को प्रतिभूत सुविधा के लिए
श्रीमति नीना मित्तल और श्री आशिष मित्तल की बंधक अचल संपत्ति की बिक्री हेतु

अद्योहस्ताक्षरकर्ता आईडीबीआई बैंक लि. (आईडीबीआई) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिभूत सम्पत्ति की बिक्री हेतु मुहरबंद लिफाफे में बोलीयां/प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं, जिसका आईडीबीआई बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 15 मई 2019 को संघ के सदस्य बैंकों की ओर से कब्जा लिया है।

1. ऋणी का नामः मैसर्स संतोष ओवरसीज लिमिटेड, बंधककर्ता का नामः श्रीमती नीना मित्तल और श्री आशीष मित्तल
2. संबंधित बैंकों के सर्फेसी 13(2) नोटिस के अनुसार संघ के बैंकों के सदस्य का कुल बकाया रु. 468,83,85,365.03 और उस पर ब्याज, एक साथ आकस्मिक शुल्क, लागत, व्यय आदि के साथ, 15 मई, 2019 को दर्ज किए गए कब्जा सूचना में वर्णित विवरण के अनुसार, जो बोली दस्तावेज का हिस्सा है।
3. बिक्री के लिए प्रस्तावित प्रतिभूत आस्ति का विवरण

बिक्री के लिए प्रस्तावित प्रतिभूत आस्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (राशि करोड़ में)	ईएमडी (राशि करोड़ में)
भूमि के सभी टुकडे और भाग अचल संपत्ति के हिस्से में शामिल होते हैं जो संपत्ति खाता संख्या 111, गाटा संख्या 123, रकबा 1.1640 हेक्टेयर पर स्थित है गांव नेकनामपुर उर्फ विशनपुर परगना और तहसील – सिकंद्राबाद, जिला–बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में आथा श्रीमती नीना मित्तल के नाम है। **तथा** भूमि के सभी टुकडे और भाग अचल संपत्ति में शामिल होते हैं संपत्ति खाता संख्या 39, गाटा संख्या 116, रकबा 1.624 हेक्टेयर स्थित है। जिसमें 0.8434 हेक्टेयर गांव नेकनापुर उर्फ विशनपुर परगना और तहसील – सिकंद्राबाद, जिला–बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में श्री आशीष मित्तल के नाम है। एक साथ सभी इमारतों और संरचनाओं और सभी संयंत्र और मशीनरी के साथ संबद्ध है जमीन से यारथायी रूप से कोई भी चीज जुड़ी है।	3.00	0.30

4.

निरीक्षण की तिथि	ईएमडी और बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि
13.12.2019 (प्रातः 11:30 से दोपहर 3:30 बजे तक)	21.12.2019 को सांय 05:30 बजे तक	30.12.2019 प्रातः 11.00 बजे

5. **बोली दस्तावेज में दिखाई देने वाले नियमों और शर्तों का विवरणः**
   1. प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है", "जो कुछ भी है" एवं "बिना कोई आधार के है" आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदारों के आधार पर होंगी।
   2. उपर्युक्त सम्पत्ति उपरोक्त वर्णित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जावेगी।
   3. बिक्री इस नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवसों के समाप्ति पर होगी।
   4. धरोहर राशि निविदा हेतु योग्यता के लिए डीडी/पीओ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड या एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए आईडीबीआई बैंक लि. के पक्ष में खाता सं. 41337000010052, आईएफएससी कोडः IBKL0000413, शाखाः वीडियोकॉन टॉवर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली पर जमा करानी होगी।
   5. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी सर्वाध्य तीन बोलीदाताओं की धरोहर राशि बोलियां खोली जाने की दिनांक से 3 महीनों तक रोक सकता है।
   6. प्राधिकृत अधिकारी सर्वोच्च तीन बोलीयों के मध्य अंतर से बोली की अनुमति दे सकता है।
   7. सफलतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि जमा को घटाकर) विक्रय की पुष्टि होने पर जमा करानी होगी। विक्रय मूल्य का शेष विक्रय पुष्टिकरण के 15 दिवसों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सहमति से की गई समयावृद्धि के भीतर जमा करानी होगी। शेष राशि प्रस्तावित समयावधि में जमा कराने में असफल रहने पर जमा राशि धरोहर राशि को शामिल करते हुए जब्त कर ली जायेगी।
   8. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी अथवा समस्त बोलीयों को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत एवं निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रखता है। यदि समस्त बोलीयां निरस्त हो जाती है तो प्राधिकृत अधिकारी सरफेसी अधिनियम में प्रस्तावित किसी भी प्रकार से सम्पत्तियों को बेचने का अधिकार आरक्षित रखता है।
   9. बोली दस्तावेज में वर्णित प्रतिभूत सम्पत्तियां ऋणी/बन्धककर्ता द्वारा प्रतिभूत लेनदार के पक्ष सृजित किये गये प्रभारों/बंधक किये जाने पर आधारित है जिसका विवरण बोली दस्तावेज में दिया गया है। इच्छुक पक्षों से प्रतिभूत सम्पत्तियों से सत्यापन हेतु तथा बंधक सम्पत्तियों से सम्बंधित उपलब्ध रिकॉर्ड को प्रार्थना पर प्राधिकृत अधिकारी के पास देखने हेतु प्रार्थना की जाती है।
   10. प्रतिभूत लेनदार किसी भी गलती/त्रुटि/विवाद/प्रतिभूत आस्ति में कमी इत्यादि या किसी भी आज्ञा के संपादन अथवा किसी भी कानून द्वारा स्थापित अधिकरण के बकाये हेतु कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है।
   11. प्रतिभूत सम्पत्तियां प्रतिभूत ले

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	24.8 डि.से.	24.8 डि.से.	24.5 डि.से.	25.0 डि.से.
न्यूनतम	9.3 डि.से.	9.3 डि.से.	9.3 डि.से.	9.3 डि.से.

बिल्डरों सा बर्ताव कर रही सरकार

खंड 7-ए की 'छुपी शर्त' को अंधेरे में रखना जनता के साथ जालसाजी

"7-ए के तहत लगभग 40 से 45 फीसद कॉलोनियां नियमित नहीं होने वाली हैं। मेरी अपील है कि केंद्र सरकार के मंत्री जनता को जागरूक करें कि कौन सी कॉलोनियां नियमित नहीं होने वाली हैं।"

अरविंदर सिंह लवली

विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली दिल्ली सरकार दोनों में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का श्रेय अपने नाम लेने की होड़ है। केंद्र सरकार ने 1731 कॉलोनियों को नियमित करने और उसके पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अपना घर किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। दुखद है कि केंद्र और केजरीवाल सरकार जनता को धोखे में रख रही हैं। इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए संसद में बिल लेकर आई, जो एक गैरजरूरी कवायद थी। पांच साल इस पूरे मुद्दे पर निष्क्रिय रहने के बाद केंद्र की नींद अचानक टूटी।

कांग्रेस की खड़ी की गई बुलंद बुनियाद पर कब्जा जमाने की होड़ में भाजपा और आम आदमी पार्टी यह भी ध्यान नहीं रख रही हैं कि चुनावी जीत की हड़बड़ी आगे आने वाली कितनी पीढ़ियों के लिए गड़बड़ी का सबब बनेगी। मकानों के मालिकाना हक के पेच ऐसे उलझेंगे कि मोहल्ले के लोग आपसी झगड़े-फसाद और कचहरियों में उलझे रहेंगे। कांग्रेस इन पर आरोप लगा रही थी कि हमने नियमित करने की प्रक्रिया पूरी की, अधिसूचना जारी हुई लेकिन जमीनों का पंजीकरण क्यों नहीं शुरू हुआ। इसलिए दोनों दलों ने पंजीकरण को ही मूल समस्या समझ लिया है। पंजीकरण कई सारे विषयों में से सिर्फ एक विषय है यह दोनों दलों की समझ से परे है।

इससे पहले 1971, 1977 और 1989 में कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया हुई है और तीनों बार कैबिनेट नोट से ही हुई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में नियमित हुई कॉलोनियां शहरी नियोजन के हिसाब से बेहतरीन हैं। मनमोहन सिंह की अगुआई में 2007 में 2020 का मास्टरप्लान लाया गया था। तब 895 कॉलोनियों की अधिसूचना जारी की गई थी। तत्कालीन मनमोहन सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़े सभी अधिकार शहरी विकास मंत्रालय और राजस्व विभाग को सौंप दिए थे। केंद्र ने तब इसके लिए बाकायदा खाका तैयार किया था। सारे अधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिए थे और उसे इसकी परिधि तय करने को कहा गया था।

यह परिधि दिल्ली सरकार को ही तय करनी थी कि कौन सी कॉलोनी किस जमीन पर बनी हुई है। यहां पर तो सबसे पहला सवाल अरविंद केजरीवाल की दोहरी बातों पर उठता है। केजरीवाल राज्य की शक्तियों को मजबूत करने की बात कह केंद्र पर काम नहीं करने का आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन यहां पर तो जो शक्ति उनके हाथ में थी उसका भी समर्पण केंद्र को कर आए। कांग्रसे कॉलोनी पक्की करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुकी थी तो वे इस प्रक्रिया को दोबार शुरू कर 2015 में फिर से केंद्र के पास गए। इसके पहले 49 दिनों की सरकार में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव ने आदेश जारी किया था कि कॉलोनियों की परिधि दिल्ली सरकार को बनानी है। अगर वो राज्य की शक्तियों और जनता की सुविधाओं को लेकर फिक्रमंद थे तो अपने इसी कदम के खिलाफ क्यों चले गए इस सवाल का जवाब तो उन्हें दिल्ली की जनता को देना होगा।

अवैध कॉलोनियों की समस्या बहुस्तरीय है, जिसमें तीन तरह की जमीनें हैं। पहली तो किसानों की जमीन है जो उन्होंने किसी को बेची और उस पर मकान बने। दूसरी निजी जमीन पर बने मकान हैं, तीसरी सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनियां हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में 70 फीसद मकान निजी जमीन पर हैं जिनका मालिकाना हक लोगों के पास है। लेकिन जो मकान सरकारी जमीन पर बने हैं उनके कागज कैसे पेश किए जाएंगे। कॉलोनियों को पक्का करने में प्रशासनिक स्तर पर भी मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। पहले तो नगर निगम, अनुमंडल अधिकारी (एसडीएम) और पुलिस से ही गुजरना पड़ता था। अब इनके सामने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जांच का पहाड़ भी खड़ा है। डीडीए भी उप-पंजीकार के पास ही जाएगा। विरोधाभास की बात करें तो केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा कि कॉलोनी की परिधि तय करने का काम 31 दिसंबर तक पूरा होगा। जब कॉलोनियों की परिधि ही तय नहीं हुई है तो फिर उसके एक महीने पहले से जमीनों का पंजीकरण कैसे शुरू होगा? ऐसी अनियमितता तो दुनिया में कहीं नहीं होती है।

इन कॉलोनियों के मकानों पर नंबर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने डाले हैं। तो जब तक कॉलोनी का खाका तैयार नहीं होगा तब तक भवन उपनियम कैसे बनेंगे और पंजीकरण कैसे होगा? इन सब प्रक्रिया में चुनाव निकल जाएगा और जनता के हिस्से सिर्फ मायूसी आएगी। अवैध कॉलोनियों को लेकर इस सरकार की नीयत और नीति दोनों के विश्लेषण की जरूरत है। वही मंत्री है, वही विभाग है लेकिन अब तकरीरों में फर्क है। सरकारी जमीन पर ये सुप्रीम कोर्ट में दूसरा रुख लेते हैं और जनता के सामने दूसरी बात कहते हैं। सरकार का यह कदम छलावा भर है और जनता को छलने में भाजपा ने अपना इतिहास रचा है। पहले एसडी शौरी ने अदालत में इसके खिलाफ याचिका लगाई थी और भाजपा ने उन्हें इसके लिए पुरस्कृत भी किया था।

लोगों के सपने पूरे करने के नाम पर केंद्र सरकार जो दिल्ली के लोगों के साथ कर रही है, उसे सीधे शब्दों में जालसाजी ही कहा जा सकता है। 29 अक्तूबर, 2019 को भारत सरकार का राजपत्र निकलता है जिसमें 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की बात होती है। यह आम लोगों के बीच उम्मीद की रोशनी लाता है। लेकिन इसी में सेक्शन 7-ए के तहत निषिद्ध भूमि की सूची डाली गई है, जिसके बारे में लोगों को अंधेरे में रखा गया है। यानी आरक्षित अथवा अधिसूचित वनों में आने वाली भूमि, प्राचीन स्मारकों अैर पुरातत्त्व स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) द्वारा संरक्षित अथवा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित की गई भूमि, जोन-ओ में आने वाली भूमि, यमुना बाढ़ के मैदानों, मौजूदा सड़कों और मुख्य योजना सड़कों के मार्ग में आने वाली भूमि, हाई टेंशन लाइनों के मार्ग में आने वाली भूमि, दिल्ली के रिज क्षेत्र में आने वाली भूमि और वर्तमान समय में किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत आरक्षित अथवा संरक्षित भूमि का इसमें जिक्र है। खंड सात-ए के तहत उल्लेखित इन जमीनों पर बनी कालोनियों को नियमित नहीं किया जाएगा।

दिल्ली में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र, ओखला, शास्त्री पार्क, मुस्ताबाद, करावल नगर, बुराड़ी जैसी लगभग 200 कॉलोनियां ओ-जोन में आती हैं, लेकिन इनका नाम उन 1731 कॉलोनियों की सूची में है जिन्हें नियमित किया जाना है। इसी तरह संगम विहार, देवली, आंबेडकर नगर, छतरपुर जैसे इलाकों में लगभग 150 कॉलोनियां ऐसी हैं जो जंगल की जमीन पर बनी हैं। महरौली जैसी लगभग 70 कॉलोनियां प्राचीन स्मारकों अैर पुरातत्त्व स्थलों और अवशेष अधिनियम के दायरे में आ जाती हैं।

पश्चिमी दिल्ली में मोहन गार्डन, मटियामहल, नजफगढ़, नांगली आदि विधानसभा में लगभग 150 से 200 कॉलोनियां हाई टेंशन तार के नीचे आनी वाली जमीनों पर बसी हैं। रिज और अन्य क्षेत्रों में भी लगभग 200 कॉलोनियां हैं। इससे साफ है कि सेक्शन 7-ए के तहत लगभग 40 से 45 फीसद कॉलोनियां नियमित नहीं होने वाली हैं। मेरी अपील है कि केंद्र सरकार के मंत्री जनता को जागरूक करें कि कौन सी कॉलोनियां नियमित नहीं होने वाली हैं।

अनियमित कॉलोनियों पर केंद्र की गड़बड़ी राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ही दिख गई। नियमित होने वाली 1731 कॉलोनियों में पहला नाम लद्दाख बुद्ध विहार का आता है जो ओ-जोन में यानी नदी के बाढ़ क्षेत्र में आती है। फिर यह कॉलोनी पक्की होने की सूची में कैसे है? चुनाव के लिए जनता को भरमाने में सरकार ने पूरी तरह से आंख बंद कर काम किया है और एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। सबसे अहम बात कि इस पूरी प्रक्रिया में कॉलोनियों के भागीदारों को शामिल नहीं किया गया है। कॉलोनियों के नियमित करने में सरकार निजी बिल्डरों की तरह का व्यवहार कर रही है जिसकी 'छुपी शर्त' आम लोग देख नहीं पाते हैं और ठगे जाते हैं। कॉलोनी की परिधि तय होने, खाका बनने और मकानों में नंबर डालने की प्रक्रिया में कम से कम छह महीने लगेंगे। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही कॉलोनियों का नियमितीकरण ठंडे बस्ते में चला जाएगा और आम जनता ठगी सी खड़ी रह जाएगी।

(लेखक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहने के साथ दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री का पद संभाल चुके हैं।)

मोमबत्ती जुलूस के दौरान पुलिस से झड़प

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

बलात्कारियों को फांसी की मांग लेकर अनशन कर रही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की अगुआई में राजघाट से इंडिया गेट तक लोगों ने कैडल मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने आइटीओ पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। बलात्कार व हत्या के खिलाफ छह महीने में सजा देने के कड़े कानून की मांग को लेकर चल रहा मालीवाल का अनशन पांचवें दिन भी जारी रहा।

मालीवाल के आमरण अनशन के पांचवें दिन बड़ी संख्या में पहुंच कर लोगों ने राजघाट से इंडिया गेट के बीच कैंडल मार्च निकाला। वे दोषियों को फांसी व पीड़ितों को न्याय की मांग के समर्थन में नारे व महिला सुरक्षा की गुहार लगाते राजघाट से दिल्ली सचिवालय होते हुए इंडिया गेट की ओर बढ़े लेकिन पुलिस ने आइटीओ पर बैरिकेड लगा कर उन्हे रोकने की कोशिश की। लि पर लोग बैरिकेड पर चढ़ने व उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार मार कर उन्हे रोकने का प्रयास किया। बताया गया कि बैरिकेड तोड़ने व पुलिस के साथ धक्का मुक्की में कुछ लोग घायल हो गए। वहीं, उन्नाव में जिंदा जलाई गई बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद न्याय की मांग करते हुए राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश भवन पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने देर शाम वहां मोमबत्ती जलाई। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि पूरा देश मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना से आक्रोशित हैं। उन्होंने मांग की कि उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों को फांसी की सजा दिलाए। युवा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा- वे उत्तर प्रदेश भवन पर रोष जताने इसलिए भी जुटे हैं ताकि कहा कि इस मामले में त्वरित न्याय और अपराधियों के खिलाफ के कार्रवाई हो।

रेलवे स्टेशन के बाहर महिला पर तेजाब फेंककर फरार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 सितंबर।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सहजीवन (लिव इन रिलेशन) में रह रहे एक युवक ने अपनी प्रेमिका पर तेजाब फेंक दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही महिला को लोक नायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथिमक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के डिलक्स टॉयलेट अजमेरी गेट साइड के पास एक महिला पर तेजाब फेंकने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही उसे एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। जांच में पुलिस को पता चला कि महिला छह माह पूर्व अपने दोस्त रुद्र विश्वाश के साथ दिल्ली आई थी। दिल्ली आने के बाद दोनों एक साथ रहने लगे। विवाद के बाद महिला आरोपी रुद्र से अलग रहने लगी। आरोपी रुद्र ने कई बार महिला को अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन वह उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई। शुक्रवार को वह महिला से डिलक्स टॉयलेट अजमेरी गेट साइड के पास मिला। इस दौरान उसने उस पर केमिकल फेंक दिया और फरार हो गया। महिला को दाहिनी आंख पर सूजन आ गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

> *उसे* एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई
>
> *जांच* में पुलिस को पता चला कि महिला छह माह पूर्व अपने दोस्त रुद्र विश्वास के साथ दिल्ली आई थी

खबरों में शहर

'देहरी का दीया' का लोकार्पण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

डॉक्टर पीएन सिंह की आत्मकथा 'देहरी का दीया' के लोकार्पण कार्यक्रम में चंद्रदेव यादव ने कहा कि यह पुस्तक लेखक के सहज जीवन का जीवंत दस्तावेज है जिसमें उनके निजी जीवन से लेकर सामाजिक-चिंतक और बुद्धिजीवी की झलक है। गोपाल प्रधान ने कहा कि बौद्धिक और सामाजिक कार्यकर्ता का कोई भेद पीएन सिंह में नजर नही आता, वे साफ-साफ अपनी बात कहते हैं। मुकेश मिरोठा ने कहा कि लेखक ने अपने आत्मसत्य का उजागर किया है, यह उनके संघर्षों को बयान करती है। गोपेश्वर सिंह ने कहा कि पीएन सिंह के लेखन का संसार बहुत व्यापक है। वे निडर बुद्धिजीवी और सामाजिक चिंतक हैं। स्नेहलता नेगी ने कहा कि लेखक के मत में प्रेमचंद का विजन शेक्सपीयर की तरह ट्रैजिक है। प्रेमचंद किसी क्लास में नही बंधते हैं इसलिए उन्हें भारतीय समाज के विकास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। रामजी केसरी ने लेखक के निजी और साहित्यिक जीवन के द्वंद्व को साझा किया। शोध छात्र वरुण भारती ने इस किताब पर आलेख प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष नित्यानंद तिवारी ने लेखक के सामाजिक चिंतक होने पर बल दिया। कार्यक्रम के संयोजक चंद्रदेव यादव ने कहा कि जल्दी ही हम लेखक पर विस्तृत कार्यक्रम करवाएंगे। संचालन सुशील द्विवेदी और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सरोज कुमारी ने किया।

उत्तरी निगम में लाइसेंस के लिए ऑनलाइन व्यवस्था

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने की कवायद के तहत उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने शनिवार को विशेष बैठक बुलाकर कई प्रस्ताव पास किए। प्रस्ताव सदन के नेता तिलक राज कटारिया, उपमेयर योगेश वर्मा, कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने अलग-अलग विषयों पर रखा। कटारिया ने कहा कि मौजूदा समय में शहरी क्षेत्रों में 112 घरेलू उद्योग व गांव आबादी में नौ घरेलू उद्योग चलाने की अनुमति है। इन उद्योगों को दो क्षेत्रों में बांटकर अधिकतम पांच कर्मचारियों की संख्या व पांच ही किलोवाट की पावर से घरेलू उद्योग चलाने की अनुमति है। इसमें 18 फरवरी, 2019 को भारत सरकार ने पांच कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर नौ और पांच किलोवाट को बढ़ाकर 11 किलोवाट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है लिहाजा घरेलू उद्योगों को लाइसेंस देने के लिए निगम ने अपने वेबसाइट पर सेवा की शुरुआत कर दी है। नेता सदन सुरजीत सिंह पवार ने सदन की विशेष बैठक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि निगम एक्ट के मुताबिक केवल एक विषय को ही चर्चा के लिए लिया जा सकता है। यदि एक से ज्यादा विषय है तो उसके लिए साधारण सदन की बैठक करनी चाहिए थी।

हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी की शुरुआत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

उत्तरी निगम ने रमेशनगर समुदाय भवन में हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, वरिष्ठ नागरिक केंद्र और बर्तन बैंक की शुरुआत की। केंद्रों को आस्था वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से शुरु किया है। मौके पर स्थायी समिति के उपाध्यक्ष विपिन मलहोत्रा, सचिव रेखा व अन्य शामिल रहे।

रात्रि उत्सव से सशक्तिकरण का संदेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राजधानी में पहली बार अजमल खां रोड, करोल बाग में दो दिवसीय महिला रात्रि उत्सव 'स्टेप आउट एट नाइट' का गुरुवार और शुक्रवार को आयोजन किया गया। रात में डर से लड़ने का संदेश देने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम यह कार्यक्रम आयोजित किया है। उत्सव का आयोजन विशेष रूप से महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि सांसद और वरिष्ठ वकील मीनाक्षी लेखी थीं।

लेखी ने इस मौके पर कहा कि इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए यह उत्सव करने की योजना बनाई गई है। यहां महिलाओं के लिए शॉपिंग, खानपान और डांस उत्सव के साथ अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी। इस दौरान नुक्कड़ नाटक, पंजाबी गिद्दा, भांगड़ा, राजस्थान का घूमर नृत्य, गुजरात का डांडिया, महाराष्ट्र का लावणी लोक नृत्य, मणिपुर का थांग टा नृत्य, शेर नृत्य और सूफी डांस समेत अन्य लोकनृत्यों की प्रस्तुति भी दर्शाई गई। इसके साथ ही यहां पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत निगम विद्यालयों की प्रतियोगिताओं की विजेता महिलाओं को मीनाक्षी लेखी ने सम्मानित भी किया।

उन्होंने शुक्रवार को संसद में शून्यकाल के दौरान दिए गए अपने भाषण को दोहराया कि हैदराबाद में पुलिस को इसलिए गोली चलानी पड़ी क्योंकि आरोपियों ने भागने की कोशिश की थी और वैसे भी पुलिस को हथियार सजाने के लिए नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पुलिस द्वारा इस मामले में कानून का पालन किया गया।

सौ दिन में 1400 किलोमीटर चलकर पर्यावरण बचाने का संकल्प

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और प्रदूषण रोकने के लिए 1600 किलोमीटर लंबा और पांच किलोमीटर चौड़ा प्रस्तावित हरित दीवार बनाने को लेकर हरितऋषि विजयपाल बघेल की अगुआई में सौ दिवसीय 1400 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू हो रही है। यह यात्रा विश्व पर्वत दिवस पर 11 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर से शुरू होगी और 21 मार्च (विश्व वन्य दिवस) को कुरुक्षेत्र में संपन्न होगी। इस यात्रा में सौ ने ज्यादा लोग चौदह सौ किलोमीटर पैदल चलेंगे।

हर रोज 15 किलोमीटर पैदल चलने के बाद रात्रि में उनका विश्राम होगा। वे जहां रुकेंगे वहां बरगद का पेड़ भी लगाएंगे। यह जानकारी हरितऋषि विजयपाल बघेल ने यहां बुलाई प्रेस कांफ्रेस में दी। सह संयोजक व संरक्षक डीके त्यागी ने कहा- हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण संरक्षण करना है। यहीं वजह है कि सौ दिवसीय 1400 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करने का फैसला किया गया है। इसमें महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी शिरकत कर रहे हैं।

इस मौके पर हरितऋषि विजयपाल बघेल ने बताया कि सरकार सैद्धांतिक रूप से प्रदूषण रोकने के लिए 1600 किलोमीटर लंबा और पांच किलोमीटर चौड़ा हरित दीवार बनाने को लेकर सहमत है। यह हरित दीवार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली के 28 जिलों से होकर गुजरेगी। कुल 8000 वर्ग किलोमीटर के वन व हरित क्षेत्र इसमें रहेंगें। यह सालों में पूरा होगा। इसपर करीब 135 करोड़ पेड़ लगने हैं। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर के ग्लोबल ग्रीन पीस मिशन के बैनर तले गुजरात से पर्यावरण कार्यकर्ताओं की इस पैदल यात्रा में शामिल हर एक व्यक्ति पांच करोड़ कदम चलेगा। और 'सांसे हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम' का नारा समाज को देते हुए आगे बढ़ेगा।

उन्होंने कहा- दिल्ली का प्रदूषण महीनों बीच बहस के केंद्र में था। उन्होंने दावा किया कि स्थिति के लिए केवल पराली व दिवाली ही जिम्मेदार नहीं है। इन दोनों का प्रदूषण में 16 से 17 फीसद योगदान है। बाकी के 83 फीसद के लिए जो कारण जिम्मेदार हैं उसपर सोंचना होगा। उन्होंने कहा-पेड़ लगाना ही एक मात्र स्थायी समाधान है।

उन्होंने कहा-भारत में प्रति व्यक्ति के हिसाब से पेड़ों की संख्या 28 है। जबकि विश्व मानक में यह संख्या 422 होनी चाहिए। विकास के नाम पर देश में लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। इस पर गंभीर चिंतन और विस्तृत कार्य करने की जरूरत है। समाजिक कार्यकर्ता डीके त्यागी ने कहा इस पैदल यात्रा का उद्देश्य अरावली का संरक्षण भी है। यह यात्रा एक तरफ अरब सागर को छुएगी तो दूसरी तरफ दिल्ली तक फैली अरावली को भी स्पर्श करेगी। इस मौके पर विजेंद्र पाल और चंगेज अयुबी, विजय शर्मा आदि समाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

छात्राओं और अध्यापिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

निगम विद्यालयों में छात्राओं और अध्यापिकाओं की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। दक्षिणी निगम के मेयर सुनीता कांगड़ा ने पश्चिमी जोन के मादीपुर और राजा गार्डन क्षेत्र में साफ सफाई और पार्कों की स्थिति का जायजा लेते हुए यह निर्देश दिया।

दिल्ली में भी सामने आई पुलिस की लापरवाही

परिवार का आरोप, गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

सरिता विहार थाना क्षेत्र में जिस लड़की से सामूहिक बलात्कार हुआ उसके परिवार का आरोप है कि यदि पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश करती तो शायद यह वारदात नहीं होती। पर पुलिस ने पीड़ित परिजनों की बात को अनसुना कर दिया। आरोपी ने जिस स्थान से लड़की का अपहरण किया था। वहां अकसर दोपहर के समय सुनसान रहता है। आरोपी ने एक बजे दोपहर में लड़की का अपहरण किया था। वहीं, परिजन लड़की की तलाश में इधर-उधर भटकते रहे। परिजन उन सभी जानकारों के घर जाकर और रिश्तेदारों से फोन कर पीड़िता के बारे में जानकारी लेते रहे। पर पीड़िता के बारे में कुछ पता नहीं चला। 24 घंटे बाद पीड़िता स्कूल से खुद ही घर लौटी। इस बीच पुलिस ने एक बार भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि लड़की कहां है और उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है।

पीड़िता की बुआ ने बताया कि बच्ची दूसरे दिन भी डरी सहमी थी। पहले तो वह तरह-तरह की कहानी बनाती रही, लेकिन जब परिजनों ने कहा कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है तो वह डर गई। इसी बीच उसकी तबीयत भी खराब हो गई। फिर उसने सारी बात परिजनों को बताई। पीड़िता ने बताया कि गांव के ही लड़के ने उसका अपहरण कर लिया था और एक कमरे में बंद कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसने बताया कि सुबह जब उसे होश आया तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसने कपड़े पहने और एक सहेली के घर चली गई। वहां से सहेली के कपड़े पहन कर स्कूल चली गई। अब छुट्टी होने के बाद वह घर लौटी है। पुलिस ने मामला के तूल पकड़ने के दो दिन बाद भले ही मामला दर्ज कर एक आरोपी को पकड़ लिया है। पर पूरा परिवार डरा सहमा है। परिजनों का आरोप है कि उन पर मुकदमा वापस लेने का दवाब बनाया जा रहा है। साथ ही पीड़ित परिवार को तरह-तरह का प्रलोभन भी दिया जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने की आर्थिक मदद

वारदात की सूचना मिलने पर शनिवार को स्थानीय विधायक अमानतुल्ला खान पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और दो लाख रुपए की आर्थिक मदद की। उन्होंने परिवार को दो लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ दिल्ली सरकार खड़ी है। वह सरकार की ओर से वकील का खर्च उठाने को तैयार है।

आज के कार्यक्रम

सभा-संगोष्ठी /प्रदर्शनी

जापानी फाउंडेशन : कार्यशाला 'हार्मोनी' का आयोजन, पांच ए, रिंग रोड लाजपत नगर चार, सुबह दस बजे से, 21 दिसंबर तक।

पहाड़ों में बढ़ी ठिठुरन, दिल्ली की हवा मामूली सुधार के बाद भी बहुत खराब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

देश में एक ओर ठंड और दूसरी ओर बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लाहौल स्पीति में तापमान शून्य से 20 डिग्री नीचे पहुंच गया। वहीं, मैदानी इलाकों में पांच डिग्री तापमान के साथ सीकर सबसे ठंडा रहा। जबकि अरब सागर का चक्रवाती तूफान कम दबाव का क्षेत्र पीछे छोड़ कर कमजोर पड़ चुका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शनिवार की सुबह वायु गुणवत्ता मामूली सुधार के साथ बेहद खराब दर्जे में आ गई। दिल्ली सहित आसपास के शहरों में भी सुबह हवा मामूली रूप से सुधार क र खतरनाक से कुछ बेहतर हुई।

दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में शनिवार को अधिकतम औसत तापमान में तीन से पांच डिग्री की गिरावट देखने को मिली। हिमाचल के लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी से तापमान शून्य से 20 डिग्री नीचे चला गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। पानी की पाइपलाइन से लेकर टंकियों, बोतलों व केन में मिलने वाला पानी तक जम गया है।

उधर, समुद्र तटीय इलाकों में तापमान अधिकतम से तीन से पांच डिग्री अधिक है। समुद्र तटीय इलाकों ओड़ीशा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी व कर्नाटक में बारिश दर्ज की गई। पहाड़ों में आगे बारिश व बर्फ गिरने के आसार हैं। दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में प्रदूषण रविवार को फिर खतरनाक रूप ले सकता है।

दिल्ली में शनिवार सुबह नौ बजकर 45 मिनट पर समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 दर्ज किया गया जबकि शुक्रवार को शाम चार बजे एक्यूआइ 404 के साथ यह गंभीर श्रेणी में था। शनिवार को घने कोहरे को कारण दृश्यता में गिरावट आई। दिल्ली में दृश्यता 200 मीटर, करनाल में 25मीटर व श्रीनगर में 50 मीटर रही। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर तापमान कुछ बढ़ेगा लेकिन 12 को हल्की बारिश के बाद इसमें गिरावट आएगी। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.2 व न्यूनतम 9.8 दर्ज किया गया। हवा में नमी का फीसद 93 दर्ज किया गया।

> दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में शनिवार को अधिकतम औसत तापमान में तीन से पांच डिग्री की गिरावट देखने को मिली।

दिल्ली में मौसम के प्रभाव में आने से प्रदूषक तत्व छितरा नहीं पा रहे हैं जिससे हवा में उनका घनत्व बढ़ गया है। हालांकि शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को इससे मामूली राहत रही।आने वाले दिनों में इसके फिर से गहराने की आशंका है। दिल्ली सहित देश के 21 शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं है यानी यह बहुत खराब दर्जे की पाई गई।

मौसम व प्रदूषण निगरानी प्रणाली सफर के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदूषण फिर बढ़ेगा। प्रभावित इलाकों में यह हवा की गुणवत्ता को बहुत खराब से खतरनाक दर्जे तक की बना सकता है। हवा की रफ्तारअभी कम ही रहेगी। 10 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते 12 व 13 दिसंबर को बारिश का संभवना है। बारिश हुई तो प्रदूषक तत्व धुल सकते हैं।

श्रीनगर हवाईअड्डे पर उड़ानें बाधित, नौ उड़ानें रद्द

श्रीनगर, 7 दिसंबर (भाषा)।

कश्मीर घाटी के अधिकांश भागों में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से श्रीनगर हवाईअड्डे पर नौ उड़ानें रद्द कर दी गईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भारतीय विमानन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि हवाईअड्डे पर दृश्यता केवल 600 मीटर तक ही थी। उन्होंने कहा कि दृश्यता सुधरने के साथ फिर से परिचालन शुरू होगा।

अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर हवाईअड्डे पर विमान परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और घने कोहरे से दृश्यता घटने के कारण कोई भी विमान हवाईअड्डे पर नहीं उतर सका।

न्यूनतम पेंशन 7,500 मासिक किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी पेंशनभोगियों ने शनिवार को रामलीला मैदान में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर रैली का आयोजन किया और रास्ता रोको अभियान चलाया। देश के 27 राज्यों से आए पेंशनभोगियों ने सरकार से आह्वान किया कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। उन्होंने पूरे दलबल के साथ प्रधानमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकाला। अपनी मांगों को लेकर देशभर में वे लगातार विरोध प्रदर्शन करते आए हैं। शुक्रवार शाम पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री दफ्तर के मंत्री जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था और ईपीएफ की शिकायत की थी।

ईपीएस 95 के महासचिव वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर अगले साल की 25 जनवरी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो देशभर में जनआंदोलन होंगे। ये हमारी सरकार से आरपार की लड़ाई है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी आवाज सुनेगी और मांगों को पूर्ण किया जाएगा। पिछले दिनों केंद्रीय श्रम और रोजगार मामलों के मंत्री संतोष गंगवार ने कहा था कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वृद्ध नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लॉन्च किया है। यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है। इसके तहत साठ साल की आयु के लोगों को प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन राशि निर्धारित की गई है।

ईपीएस 95 नेशनल एक्शन कमेटी (एनएसी) के अध्यक्ष, कमांडर अशोक राउत (सेवानिवृत्त) ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि अपनी जीवनभर की पूंजी का एक बड़ा हिस्सा भविष्य निधि में जमा करने के बावजूद भी उन्हें मात्र दो सौ रुपए से लेकर 2500 रुपए मासिक दिया जाता है। ये लाखों पेंशनभोगियों के साथ अन्याय है, जिन्होंने अपनी जीवन निधि को भविष्य में लगा दिया, मगर नतीजा विपरीत निकला है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 4 अक्तूबर, 2016 के अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन की लाभ से भी पेंशनधारियों को वंचित रखा जा रहा है। महाराष्ट्र के बुलडाणा में लंबे समय (350 दिन से) प्रदर्शन कर रहीं शोभा आरस ने कहा कि हमारी तनख्वाह की एक गाढ़ी कमाई भविष्य निधि में चली जाती है। वो हमारा पैसा है, जो हमें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम अपना हक मांग रहे हैं तो सरकार इसे बेजा न समझे। हमारी मांगें कोशियारी कमेटी के दायरे में है। कोशियारी कमेटी ने 2013 में ही तत्कालीन सरकार को अपनी सिफारिशें सुपुर्द कर दी थीं। इसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी और महंगाई भत्ता देने का प्रावधान है। रिपोर्ट में किसी कर्मचारी की असमय मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी को सहायता राशि देने की भी सिफारिश इस कमेटी ने की है।

बलात्कारी के लिए मृत्युदंड से सख्त सजा कुछ नहीं हो सकती : ईरानी

इंदौर (मध्य प्रदेश), 7 दिसंबर (भाषा)।

सामूहिक बलात्कार के बाद युवतियों को जिंदा जलाए जाने की दो हालिया घटनाओं पर देशभर में आक्रोश के बीच केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को कहा कि आधी आबादी की सुरक्षा के लिए सरकार ने दुष्कृत्य के मामलों में मृत्युदंड तक का कानूनी प्रावधान किया है और इससे सख्त सजा कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि समाज को भी 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' जैसी चुनौतियों से निपटने पर विचार करना होगा और पालकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बच्चों को सिखाना होगा कि महिलाओं से सही बर्ताव किया जाए।

ईरानी ने एक सम्मेलन के दौरान दोतरफा संवाद सत्र में कहा कि चर्चा यह भी हो रही है कि बलात्कार के मुजरिमों के लिए और सख्त सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सरकार की ओर से सजा-ए-मौत तक का कानूनी प्रावधान किया गया है। अब सजा-ए-मौत से ज्यादा सख्त सजा और कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि सरकार ने बलात्कार के मुकदमों की तेज सुनवाई के लिए देशभर में 1,023 'त्वरित अदालत' स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद देनी शुरू कर दी है। बलात्कार के मामलों में अदालतों से सजा पाने वाले सात लाख से ज्यादा यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस भी बनाया गया है, ताकि इन लोगों पर नजर रखी जा सके।

ईरानी ने अपील की कि बलात्कार पीड़िताओं की कानूनी मदद के लिए समाज को भी जिला स्तर पर आगे आना होगा, ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि हम एक नागरिक के तौर पर इंसाफ के लिए (सरकारी) संस्थाओं की ओर देखते हैं। बलात्कार की घटनाओं के लिए संस्थाओं, मीडिया, फिल्मों और साहित्य को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन हमें खासकर पालकों के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खयाल रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने महिलाओं की कैसी छवि पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं शुक्रवार संसद में महिला उत्पीड़न के बारे में बोल रही थी, तब दो पुरुष सांसद मुझे मारने के लिए आगे बढ़े। इसका कारण बस यह था कि मैं बोल रही थी। क्या महिलाओं के लिखने और बोलने से भी दूसरी महिलाओं का उत्पीड़न होता है?

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के लिए सरकारी संस्थाएं तो अपने तईं प्रयास कर ही रही हैं। लेकिन आधी आबादी के सम्मान की शुरुआत घरों से होनी चाहिए, क्योंकि परिवार नैतिक मूल्यों की धुरी होता है। उन्होंने कहा कि बलात्कार की घटनाओं और महिलाओं के खिलाफ अन्य अत्याचारों के विषय को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस विषय में हमें 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' जैसी सामाजिक चुनौतियों का भी ध्यान रखना होगा।

बलात्कार से महिलाओं को बचाने के लिए वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता दिए जाने के विचार को सिरे से खारिज करते हुए ईरानी ने कहा कि वह समाज कैसा होगा, जो महिला को एक वस्तु बनाकर अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने की बात करता हो। जो लोग महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता देने की बात करते हैं, उनका रवैया सरासर अमानवीय है।

बलात्कार-हत्या के अपराधियों को सरेआम फांसी देनी चाहिए : लोबो

पणजी, 7 दिसंबर (भाषा)।

गोवा के मंत्री माइकल लोबो ने शनिवार को मांग की कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने और समाज में एक मजबूत संदेश भेजने के लिए बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषी साबित हुए लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए।

माइकल लोबो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ऐसे अपराधियों की सार्वजनिक फांसी देने के लिए कानून में संशोधन लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने हैदराबाद बलात्कार और हत्या मामले के सभी चार आरोपियों की शुक्रवार अल सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के एक दिन बाद यह मांग की।

गोवा के पत्तन मंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बलात्कार और हत्या के दोषियों के लिए सार्वजनिक फांसी की सजा के प्रावधान करने के उद्देश्य से संसद में भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) में आवश्यक संशोधन करना चाहिए।

छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला पर जानलेवा हमला

कोरबा, 7 दिसंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में महिला द्वारा छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक व्यक्ति ने महिला पर हमला कर दिया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उस व्यक्ति की भी जमकर पिटाई कर दी। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं।

कोरबा जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को शहर में 35 वर्षीय महिला पर इंद्रपाल टोंडे ने हमला कर दिया। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने टोंडे की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला से टोंडे अक्सर छेड़छाड़ करता था। छेड़छाड़ से परेशान होकर उसने दूसरे मोहल्ले में किराए का मकान ले लिया था। इसके बाद इस वर्ष सितंबर माह में टोंडे भी महिला के घर के पास ही किराए का मकान लेकर रहने लगा और यहां भी महिला को परेशान करने लगा।

अधिकारियों ने बताया कि अक्तूबर में टोंडे ने अपने मोबाइल से महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। महिला को जब इसकी जानकारी हुई तब उसने आरोपी से इस वीडियो को हटाने के लिए कहा था। लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। तब उसने टोंडे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उन्होंने बताया कि महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने टोंडे को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया था। कुछ ही दिन पूर्व वह जमानत पर छूटा था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार जब महिला काम पर जाने के लिए घर से निकली तब टोंडे ने रास्ते में उसे रोक लिया और उस पर हंसिए से हमला कर दिया। इस हमले में महिला के चेहरे, गर्दन, नाक और कान में गंभीर चोट पहुंची और वह वहीं गिर गई। घटना को अंजाम देने के बाद जब टोंडे वहां से भागने लगा तब लोगों ने उसे दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इससे वह घायल हो गया।

चुनाव ड्यूटी पर तैनात एएसआइ की हृदय गति रुकने से मौत

रांची (झारखंड), 7 दिसंबर (भाषा)। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जारी मतदान में ड्यूटी पर तैनात एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक (एएसआइ) हरिश्चंद्र गिरि की शनिवार को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वह 44 वर्ष के थे।

Applications are invited from eligible candidates for a leading Bank based in Delhi for the following posts and vacancy as shown against each category :

1. Banking Assistant - Male/Female (4)
   Age : Maximum 30 years as on 30/11/2019
   Qualifications : Graduate or its equivalents
   Desirable Qualifications : Computer skill.
2. Driver cum Office Attendant - Male (4)
   Age : Maximum 30 years as on 30/11/2019
   Qualifications : 10th pass
   Desirable Qualifications : Driving license

Pay & allowance as per Bank rule.
Interested candidates may apply through ordinary post, within ten days to: Post Box No.: 7018 New Delhi-110002

IIM LUCKNOW
भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ
प्रबन्ध नगर, आई.आई.एम.रोड, लखनऊ-226013 (उ0प्र0)
रिक्ति
आई.आई.एम. लखनऊ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संस्थान अपने लखनऊ और नोएडा परिसर हेतु अनुबन्ध के आधार पर विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
विस्तृत विवरण हेतु संस्थान की वेबसाइट www.iiml.ac.in देखें।

अनुसूची-II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]

मै. सेन्चुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मै. सेन्चुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	3 मई, 1995
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74899DL1995PLC068152
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय का पताः 1/5783, बलवीर नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	2 अप्रैल, 2019
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की अनुमानित तिथि	3 दिसम्बर, 2019 (आदेश 5 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त की गई)
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नामः विवेक रहेजा पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00055/2017-18/10133
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ईमेलः	पताः जेडी-2सी, 2रा तल, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 ईमेलः vivek@vpgs.in
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः जेडी-2सी, 2रा तल, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 ईमेलः ip.centurycommunication@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	4 जनवरी, 2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने संहिता की धारा 33 के अंतर्गत मै. सेन्चुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है। आदेश 5 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हुई।
एतद्द्वारा मै. सेन्चुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 4 जनवरी, 2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

विवेक रहेजा
तिथिः 7.12.2019
मै. सेन्चुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड के मामले में परिसमापक
स्थानः नई दिल्ली
IBBI/IPA-001/IP-P00055/2017-18/10133

महिलाओं के खिलाफ हिंसा और ज्यादतियां बढ़ीं : राहुल

सुल्तान बाथरी (केरल), 7 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में हिंसा की बढ़ती घटनाओं- खासकर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के लिए शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की।

गांधी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के सम्मेलन में कहा कि आपने देश भर में हिंसा के बढ़ते मामलों को देखा। अराजकता, महिलाओं के खिलाफ ज्यादती के मामले बढ़े हैं। हर दिन हम पढ़ते हैं कि लड़कियों से बलात्कार हो रहा है, उनसे छेड़छाड़ की जा रही है। अल्पसंख्यक और दलित समुदायों के खिलाफ हिंसा के मामले भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती अराजकता की वजह संस्थागत ढांचों का टूटना है।

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि जो व्यक्ति देश चला रहा है वह हिंसा और सत्ता के विवेकहीन इस्तेमाल में विश्वास रखता है।

राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया भारत की तरफ देखती थी, ताकि उसे दिशा मिल सके, लेकिन अब वो हमारी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यह देश नहीं जानता की महिलाओं से कैसे पेश आना चाहिए।

उनकी यह टिप्पणी उन्नाव में बलात्कार के बाद जलाई गई पीड़िता की दिल्ली के अस्पताल में हुई मौत और हैदराबाद कांड के बाद सामने आई है। वायनाड से सांसद ने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, अब यह सबसे बड़ी कमजोरी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश को आगे ले जाने की परिकल्पना नहीं है।

राहुल गांधी ने बाद में यहां एक अस्पताल में मनोचिकित्सा और नशामुक्ति केंद्र के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया। उन्होंने कलपेट्टा में आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किए गए 400 नए स्वयंसेवकों से भी चर्चा की।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **भौतिक कब्जा दिनांक 05, दिसम्बर, 2019** को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं

क0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम और पता	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(3/2)मांग नोटिस की तिथि/बंधक नोटिस के अनुसार रकम राशि	भौतिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	मंगल पांडे नगर, मेरठ	मैसर्स बी के एंटरप्राइजेज प्रोप. विनोद कुमार पुत्र राम सिंह, 840, उत्तराखण्ड कॉलोनी राधा गोविन्द इंस्टीटयूट,के पास,मेरठ	विनोद कुमार पुत्र राम सिंह, 840, उत्तराखण्ड कॉलोनी राधा गोविन्द इंस्टीटयूट, के पास,मेरठ	आवासीय मकान क्षेत्रफल 53 वर्ग गज यानी 44.31 वर्ग मीटर। प्लॉट नं. 20 और प्लॉट नं 21 का हिस्सा खसरा नं. 840, दतावली गेसूपुर, उत्तराखंड नगर कॉलोनी मेरठ। स्वामिनी श्रीमती चन्द्रावती पत्नी राम सिंह सीमायें:-पूर्वः 6.43 मीटर/9 मीटर चौड़ा रास्ता पश्चिमः 6.43 मीटर/ प्लॉट नं 20 और 21 का शेष भाग, उत्तरः 6.78 मीटर प्लॉट नं 20 और 21 शेष भाग, दक्षिणः 7 मीटर/ 6 मीटर रास्ता	15.07.2018 रू.890741.25 दिनांक 01.07.2018 से ब्याज व अन्य खर्चे	05.12.2019 सांकेतिक कब्जे की तिथि 16.10.2018	श्री अविनाश कुमार, 9771430208

दिनांकः- 07.12.2019 स्थानः- मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

कांग्रेस की भी सुनी जाए फैसलों में : चव्हाण

मुंबई, 7 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस राज्य में बनी गठबंधन सरकार का हिस्सा है और निर्णय लेने के दौरान इसकी भी बात सुनी जानी चाहिए।

चव्हाण ने समाचार चैनल एबीपी माझा से कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाली तीनों पार्टियों के बीच संतुलन की जरूरत है। राज्य में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनी सरकार में राकांपा और कांग्रेस सहयोगी हैं। उन्होंने महा विकास आघाड़ी गठबंधन बनाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि तीनों पार्टियां न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर साथ आई हैं और देश के संविधान से बंधी हैं।

इस पर कोई समझौता नहीं होगा। उनसे पूछा गया क्या वह या पृथ्वीराज चव्हाण ठाकरे नीत सरकार का हिस्सा होंगे, तो उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय करना कांग्रेस नेतृत्व का विशेषाधिकार है। अशोक चव्हाण ने कहा, यह मेरे या पृथ्वीराज चव्हाण के बारे में नहीं है।

पार्टी नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संतुलन हो। कांग्रेस को मुखर होने की जरूरत है और निर्णय लेने में उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। मंत्रालयों के आबंटन में विवाद के बारे में किए गए सवाल पर उन्होंने कहा, विभागों के आबंटन पर कोई विवाद नहीं है। 70-80 फीसद विभागों पर एक राय है।

कुछ विभागों को लेकर तीनों पार्टियों को लगता है यह उन्हें मिलना चाहिए। इसे हल करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि सलाह-मशविरा चल रहा है और आबंटन बांटने में कोई विवाद या देरी नहीं हो रही है।

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
अंचल कार्यालयः दिल्ली दक्षिण, प्रथम तल, कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, 1, फैज़ रोड, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110005, फोन : 011-28755514 / 28754642, 7042597411
ईमेल : cb8821rec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
धरोहर राशि तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 09.01.2020 को सांय 5.00 बजे तक

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता कॉर्पोरेशन बैंक से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 10.01.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम, पता, फोन नं. और ई-मेल आईडी	ऋणधारक/गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूति ऋण मांग सूचना की तारीख	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि व समय	ईएमडी प्रेषण खाता और IFSC कोड
1	सोहना शाखा, श्री गंगाधर चंद्रेकर, मो. 9811282557, फोनः 0124-2362050, ईमेलः cb1081@corpbank.co.in	कर्जदार : मैसर्स चौहान मशीनरी स्टोर, प्रोप. श्री धर्मबीर चौहान	भूमि क्षेत्रफल 8 मारला, जोकि रैक्ट. नं. 185, किला नं. 7[1], [5-8] कुल क्षेत्रफल 5 कनाल 8 मारला 8/105 विस्तारित हिस्सा अर्थात तहसील सोहना का रेवेन्यू ईस्टेट के अंतर्गत, जिला गुरूग्राम में स्थित, यह सम्पत्ति धर्म बीर चौहान पुत्र बृज लाल सिंह के नाम है।	₹ 6,44,284.36 मांग सूचना दिनांक 05.02.2018 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 40.52 लाख ₹ 4.052 लाख ₹ 0.50 लाख	10-01-2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	A/C No: 1081013881200101 IFSC Code: CORP0001081
2	फरीदाबाद सैक्टर-14 शाखा, श्री रितेश कुमार, मो. 9099264402, फोनः 0129-2222547, ईमेलः cb1246@corpbank.co.in	कर्जदार : मैसर्स एनसीआर पॉलीकेम प्रा. लि., श्री प्रयांक अग्रवाल पुत्र नरेश कुमार अग्रवाल, श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी नरेश कुमार अग्रवाल, श्री नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री केदारनाथ अग्रवाल	साम्यिक बंधक औद्योगिक प्लॉट नं. जी1-1095, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, तहसील तिज़ारा, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में - रोड, दक्षिण में - अन्य की सम्पत्ति, पूरब में - प्लॉट नं. जी1-1096, पश्चिम में - प्लॉट नं. 1094 साम्यिक बंधक औद्योगिक प्लॉट नं. जी1-1094, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, तहसील तिज़ारा, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में - रोड, दक्षिण में - अन्य की सम्पत्ति, पूरब में - प्लॉट नं. जी1-1095, पश्चिम में - अन्य की सम्पत्ति	₹ 1,44,19,016.47 मांग सूचना दिनांक 13.09.2019 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 86.90 लाख ₹ 8.69 लाख ₹ 0.50 लाख ₹ 93.50 लाख ₹ 9.35 लाख ₹ 0.50 लाख	10-01-2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	A/C No: 1246013881200101 IFSC Code: CORP0001246
3	आया नगर शाखा, श्री शशांक पाण्डेय, मो. 9818372898, फोनः 011-26501282, ईमेलः cb1717@corpbank.co.in	कर्जदार : 1. श्री सुरिन्दर सिंह 2. श्रीमती गुरप्रीत कौर	साम्यिक बंधक अचल सम्पत्ति जोकि यूनिट नं. 06, डीडीए एलआईजी फ्लैट्स, प्रथम तल, ब्लॉक-सी5, प

दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

अर्थशास्त्रियों के बिना अर्थव्यवस्था

हर व्यक्ति अर्थशस्त्री होता है- घरेलू चीजों का बजट तैयार करने वाली गृहिणी से लेकर गाय का दूध बेचने वाले ग्वाले तक और भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली छोटी-छोटी चीजें बनाने वाले छोटे उद्यमी से लेकर बड़े भवन निर्माता तक, जो बड़े-बड़े अपार्टमेंट बना कर बेचता है। ये सभी चाहे मजबूरीवश हो या फिर अपने कारोबार के क्षेत्र विशेष से संबंधित ठेकों, कर आदि से जुड़े नियम-कानूनों के पालन की बाध्यता के चलते हो, कारोबार की सुगमता, अपने ग्राहकों/ समकक्षी कारोबारियों से संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए हो, आर्थिक पहलुओं का ध्यान रखते ही हैं। ये सभी जानकार होते हैं, दरअसल ये सभी तथ्यों से भलीभांति अवगत होते हैं। सबसे बेहतर जाना-पहचाना तथ्य है पैसा। हमारी कहानी में वही नायक होता है, जो आमतौर पर जाने-पहचाने तथ्यों के आधार पर सटीक निर्णय करता है।

मगर नायक तब गलत साबित होता है, जब वह अज्ञात तथ्यों की तरफ मुड़ जाता है- दोनों, ज्ञात अज्ञात और अज्ञात अज्ञात। फिर एक समय के बाद नायक अज्ञात का विशेषज्ञ हो जाता है।

वह नायक किसी राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री भी हो सकता है, और हो सकता है उसने अपने राज्य में बहुत प्रभावशाली ढंग से शासन चलाया हो। लंबे समय तक नायक ने जाने-पहचाने ज्ञात- पैसा- और अन्य सारे ज्ञात और अज्ञात को संचालित किया हो। पर समस्या तब पैदा होती है जब नायक ज्ञात और अज्ञात से अलग दिशा में सफर तय करना शुरू करता है। उस समस्या को कहते हैं- बाजार। और जब बाजार में एक-दूसरे से असंबद्ध करोड़ों लोग हों, और वे भय और अनिश्चितता के वातावरण में अपने-अपने निजी फैसले करते हों, वे अलग-अलग उद्देश्यों से प्रेरित हों, तब बाजार सामान्य समस्या नहीं, बल्कि बहुत बड़ी समस्या बन जाता है।

अगर चूहा और आदमी दोनों को ध्यान में रख एक उत्कृष्ट योजना बनाई जाए, तो वह बाजार में जाकर विफल हो जाएगी। आकार और पैमाना मायने रखता है। परीक्षा पास करने के लिए संतुलित बजट तैयार करने में वैसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, जैसी चुनौतियां सरकार के लिए बजट तैयार करने में पेश आती हैं। इसी तरह एक राज्य चलाने में उन बहुत सारी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, जो देश चलाने में सामने आती हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब बारह साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उनकी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की है। उन दोनों के बीच एक समानता है- ऐसा वे सोचते हैं- और उन्हें सोचना भी क्यों नहीं चाहिए- कि वे दोनों कुशल अर्थशास्त्री हैं, वे भारतीय अर्थव्यवस्था को संचालित करने में सक्षम हैं।

पर काश, वे दोनों भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी गिरावट और फिर आसन्न विध्वंस की जिम्मेदारी ले पाते! पिछली छह तिमाहियों के जो आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें भारत की जीडीपी विकास दर क्रमशः 8.0, 7.0. 6.6, 5.0 और 4.5 है। हर मद से, जैसा कि सुना जा रहा है, प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री चिंतित हैं, मगर वे इसे जाहिर नहीं कर रहे- अभी तक तो ऐसा ही है। प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री की मेहनत में एकदम अंतर है : निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय लेता है और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है। और दोनों के कार्यालयों में परस्पर संदेह और दोषारोपण का खेल चलता है।

अब कहानी के दो मुख्य नायक निरीह प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसे लेकर गरीब और मध्यवर्ग में हाहाकार है। क्या उन बहुत सारी चीजों के बीच 'प्याज' कहीं गलत भी हो सकता है, जिनका हम सामना कर रहे हैं?

इसके अलावा, राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के अनुसार घरेलू खपत घटी है। लोगों को ग्रामीण मजदूरी नहीं मिल पा रही है। उत्पादन की कीमतें घटी हैं, खासकर किसानों के उत्पादन की। दिहाड़ी मजदूरों को महीने में पंद्रह दिन से अधिक काम नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा में काम की मांग बढ़ी है। टिकाऊ और गैर-टिकाऊ दोनों तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में कमी आई है। थोक मूल्य सूचकांक बढ़ कर 1.92 प्रतिशत तक पहुंच गया है और खुदरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4.62 प्रतिशत पर पहुंच गया है। ताप उर्जा संयंत्रों यानी थर्मल प्लांट का उत्पादन 49 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इसका अर्थ है कि बिजली की खपत घटने की वजह से कुल तापीय ऊर्जा क्षमता का आधा हिस्सा बंद हो गया है।

फिर भी सरकार सोचती है कि आसन्न विध्वंसक संकट दूर हो जाएगा। दरअसल, यह सब सरकार अपने अतीत के जिदवश किए गए अतार्किक फैसलों को अविवेकपूर्ण ढंग से छिपाने की मंशा से कर रही है, जैसे नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी, कर आतंकवाद, नियामक अतिवाद, प्रधानमंत्री कार्यालय में संरक्षणवाद और निर्णयों का केंद्रीकरण। नोटबंदी के जरिए 8 नवंबर, 2016 को मानव निर्मित तबाही आई थी। तमाम चेतावनियों के बावजूद सरकार ने स्टाक लेना बंद नहीं किया था। 'द इकोनॉमिस्ट' ने सरकार को अर्थव्यवस्था का 'अक्षम प्रबंधक' कहा था। जब दूसरे विकल्प नहीं बचे, तो मंत्रियों ने झूठ बोलने और प्रपंच का सहारा लेना शुरू कर दिया था।

सरकार ने स्वीकार किया है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है, मगर उसने किसी प्रकार की ऐसी 'संरचनात्मक' गड़बड़ी से इनकार किया है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। सरकार ने इसे 'चक्रीय' समस्या माना है। उसके अनुसार यह बहुत छोटी सी 'मौसमी' समस्या है, जिसका वह आकलन नहीं कर पाई।

भारत की अर्थव्यवस्था बिना किसी अर्थशास्त्री की सलाह और सहयोग के चल रही है। आखिरी आदमी थे डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन। कल्पना कीजिए कि बिना किसी प्रोफेसर के कोई शोध पाठ्यक्रम चलाया जाए या फिर बिना किसी डॉक्टर के कोई गंभीर आपरेशन किया जाए, तो क्या होगा! बिना किसी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के- और अक्षम प्रबंधकों की मदद से- अर्थव्यवस्था को चलाना भी कुछ वैसा ही है।

	प्रतिशत में			
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कृषि विकास दर	6.3	5.0	2.9	2.1
औद्योगिक उत्पादन	4.6	4.4	3.9	2.4
मुख्य क्षेत्र विकास	4.8	4.3	4.4	0.2
एमएसएमई ऋण वृद्धि	0.9	-0.4	2.3	2.7
निर्माण	-1.2	1.7	-1.4	0.7
अंतिम निजी उपभोग खर्च	56.1	56.3	56.9	55.7
बेरोजगारी	9.65	4.03	5.14	7.03

व्यवस्था से हताश लोग

सनसनीखेज वारदात करने वालों का सनसनीखेज खात्मा हो चुका है। हैदराबाद के निकट एक मासूम बेटी का जिस तरह से चार हैवानों ने बलात्कार किया था और फिर उसे जिस बेरहमी से फूंक दिया था, उसकी सही सजा 'पुलिस एनकाउंटर' में दी गई सख्त मौत ही है। दरिंदों का अंत तुरंत और दया शून्य होना चाहिए। पुलिस के बयान के अनुसार कथित बलात्कारियों ने हिरासत से फरार होने की कोशिश की थी और जब अनुरक्षण दल ने इसे विफल करने का प्रयास किया, तब इन चारों ने उन पर पत्थर बरसाए और गोली भी चलाई थी। जवाबी फायर में पुलिस इनको ढेर करने में कामयाब रही।

खबर के 'ब्रेकिंग' होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं बरसने लगी थीं। ज्यादातर लोगों का कहना था कि जो भी हुआ, अच्छा हुआ। इन वहशी युवकों को अपने कुकृत्य की उचित सजा मिल गई। यों भी 'निर्भया कांड' के बाद यह मांग उठती रही है कि कानून में बलात्कारियों के लिए सजा-ए-मौत निश्चित होनी चाहिए और आरोप सिद्ध होने पर उन्हें फांसी पर फौरन लटका देना चाहिए। कोर्ट-कचहरी की लंबी कार्य प्रणाली को भी बलात्कार जैसे संगीन जुर्म के संदर्भ में त्वरित निपटान करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया था।

तीरंदाज

■ अश्विनी भटनागर

> असल में जो लोग मुठभेड़ में आरोपित बलात्कारियों की मौत से खुश हैं, वे सारी व्यवस्था और माहौल से अपने मूलचूल तक बेहद निराश हैं। वे देख रहे हैं कि एक तरफ तो व्यवस्था गूंगी गुड़िया बन गई है, जिससे हर तरह का तत्त्व तामसिक खिलवाड़ कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ तबकों ने व्यवस्था के हलकों पर अनधिकार अधिग्रहण कर लिया है।

दशकों तक चलने वाली कानूनी कार्यवाही की वजह से ज्यादातर मामलों में आरोपी बच निकलते हैं और अगर कहीं किसी को सजा हो भी जाती है, तो पीड़ित महिला के लिए उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। न्याय तुरंत होना जरूरी है और ऐसा होना चाहिए, जिससे घृणित प्रवृत्ति वालों को उचित सबक मिल सके।

इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वह पुलिस हो या न्यायपालिका, पीड़ित को समयबद्ध कार्रवाई की अपेक्षा होना लाजमी है। पर जैसा हमने पिछले सत्तर सालों के दौरान देखा है कि आरोपित अपराधी न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया में निहित कमियों का फायदा उठा कर कानून के शिकंजे से बाहर रहते हैं और शिकायतकर्ता का उत्पीड़न जारी रखते हैं। उन्नाव जिले में बलात्कार की शिकार एक बच्ची को बलात्कारियों ने हाल ही में जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने इन घिनौने लोगों की पहचान तो बता दी थी और अब उन पर कार्रवाई भी हो, पर इस लड़की की बेहद दर्दनाक मौत फिर एक बार बताती है कि हमारी व्यवस्था कितनी लचर और संवेदनहीन है।

इसके साथ जब लगातार सूचनाएं मिलती हैं कि किस तरह से जघन्य अपरधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वे किस सीनाजोरी से पीड़ित और उसके परिवार को धमका रहे हैं, तो हमारी और आपकी कानून और न्याय-व्यवस्था के साथ-साथ राजनीतिक व्यवस्था से भी आस्था समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में जन-मानस का आंदोलित होकर फौरन से पेशतर कबीलाई इंसाफ की मांग करना स्वाभाविक है। खून का बदला खून और लगे हाथ मामले को उत्तेजित हालात के हिसाब से निपटा देने की प्रवृत्ति उग्र हो गई है।

अगर आज के हालत पर गौर करें और पीछे हुए कई अलग-अलग संदर्भों के घटनाक्रम पर निगाह दौड़ाएं तो साफ हो जाता है कि एक संदर्भ दूसरे को प्रभावित ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी लपेट में भी ले रहा है। उदाहरण के लिए महिला सुरक्षा के नाम पर 'एंटी रोमियो स्क्वाड' को राजनीतिक स्तर पर मंजूरी दी गई थी। महिला संरक्षण बहुत अच्छा विचार है, पर 'एंटी रोमियो स्क्वाड' के नाम पर हर तरह के तत्त्व सक्रिय हो गए थे। इससे स्थापित व्यवस्था, यानी पुलिस द्वारा संगठित कानून-व्यवस्था हाशिये पर कर दी गई थी। कोई भी उचक्का 'स्क्वाड' का बिल्ला लगा कर कानून का डंडा चलाने लगा था।

एक वर्ग ने इस तरह की पहल का स्वागत किया था, पर वह भूल गया था कि इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। उचक्के धीरे-धीरे अपनी भीड़ बनाने में कामयाब हो गए और महिला सुरक्षा का मुद्दा पहले गौ-सुरक्षा और फिर भीड़ द्वारा हत्या में तब्दील हो गया था। धर्म संरक्षण के नाम पर सड़क पर इंसाफ होने लगा था, जिससे कानून-व्यवस्था और लाचार होती गई। पुलिस वालों का कहना था कि वे आखिर करें भी तो क्या करें! ऊपर से आदेश है कि भीड़ को मनमानी करने दो।

हैदराबाद, उन्नाव और इनसे पहले 'निर्भया एक' और 'निर्भया दो' जैसे कई घिनौने कांड हो चुके हैं। निर्भया के बलात्कारियों को कई वर्ष बीत जाने के बाद भी, उचित सजा नहीं मिली है।

यों हैदराबाद एनकाउंटर के बाद एक वर्ग का हर्ष वास्तव में कानून-व्यवस्था पर उनके रोष को जाहिर करता है। वे वाजिब न्याय के न होने से इतने हताश हो चुके हैं कि सड़क पर गोली कांड हो जाना ही उनको सही विकल्प लगता है। उनके जेहन में वह छवि भी कांटे की तरह से खटक रही है, जिसमें उन्नाव की बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार का उत्पीड़न शिकायत करने के बाद बढ़ गया था और आखिर एक ट्रक उसे रौंद कर चला गया था, जिसमें वह किसी तरह जिंदा बच सकी। उसके परिवार के कुछ लोग मारे गए। साथ में उन्हें वह दृश्य भी याद है, जिसमें एक वरिष्ठ सांसद अपनी चुनाव में जीत का धन्यवाद प्रस्ताव लेकर बलात्कार आरोपी से मिलने जेल पहुंच गए थे।

असल में जो लोग मुठभेड़ में आरोपित बलात्कारियों की मौत से खुश हैं, वे सारी व्यवस्था और माहौल से अपने मूलचूल तक बेहद निराश हैं। वे देख रहे हैं कि एक तरफ तो व्यवस्था गूंगी गुड़िया बन गई है, जिससे हर तरह का तत्त्व तामसिक खिलवाड़ कर रहा है तो दूसरी तरफ कुछ तबकों ने व्यवस्था के हलकों पर अनधिकार अधिग्रहण कर लिया है। ऐसा करने के लिए माहौल रचा गया था, कहना मुश्किल है, पर छोटी-छोटी भूलों ने आज दैत्यकायी भूल रूपी माहौल की शक्ल ले ली है।

दूसरी तरफ जो लोग हैदराबाद किस्म के इंसाफ पर किंतु-परंतु कर रहे हैं, वे भी उतने ही हताश हैं, जितना कि खुश होने वाले हैं। कुल मिला कर नागरिक अपने को बेबस और लाचार महसूस करने लगे हैं। उनको व्यवस्था से कोई आशा नहीं रह गई है। हैदराबाद जैसे तुरंत न्याय के जोखिम को जानते हुए भी वे कहीं न कहीं उसका समर्थन कर रहे हैं। वास्तव में गलन आत्मा तक का ह्रास कर चुकी है। हम जंगल में नहीं रहते हैं, फिर भी जंगल राज के हामी होने के लिए मजबूर होते जा रहे है।

मंशा पर सवाल

पिछले हफ्ते भारत के गृहमंत्री ने एक बार फिर धमकाने वाले अंदाज और अपने खास गुजराती लहजे में कहा कि 'चुन-चुन कर हम उनको निकालेंगे'। झारखंड में चुनावी भाषण दे रहे थे अमित शाह और उनका इशारा उन मुसलमानों की तरफ था, जो उनकी राय में बिना इस देश की नागरिकता के 'दीमक की तरह' फैले हुए हैं। अच्छा लगा मुझे जब उनके श्रोताओं की तरफ से जरा भी प्रशंसा नहीं दिखी : न तालियां, न नारे। झारखंड में ये 'दीमक' शायद कम दिखते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि नागरिकता कानून में जो संशोधन मोदी सरकार अगले हफ्ते संसद में पारित कराना चाहती है, उसमें आम भारतीय को कोई खास रुचि नहीं है।

अपनी तरफ से स्पष्ट करना चाहती हूं कि मुझे जरूरत से ज्यादा रुचि है इस संशोधन में। इसलिए कि मुझे देश के लिए खतरा दिखता है, इसमें लाभ नहीं। जब किसी कानून में साफ शब्दों में लिखा जाता है कि सिर्फ मुसलिम शरणार्थियों को भारत में पनाह नहीं मिल सकती और सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध, इसाई शरणार्थियों के लिए न सिर्फ पनाह मिलने का प्रावधान होगा, उनको नागरिकता भी मिल सकती है, तो मुसलमानों के लिए क्या संदेश दे रही है सरकार? क्या संदेश यह नहीं होगा कि मुसलमानों का दर्जा अलग हो गया है 'नए भारत' में?

भारत में इंडोनेशिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुसलिम आबादी है, सो अगर उनको इतनी तकलीफ दी जाती है भविष्य में कि उनके लिए देश छोड़ कर जाने की नौबत तक आ सकती है, तो जाहिर है कि देश एक बार फिर टूट सकता है। पाकिस्तान मेरा आना-जाना रहा है पिछले चालीस सालों से। वहां लंबे अरसे तक पत्रकारिता की है, सो यकीन मानिए, जब मैं कहती हूं कि उस देश के जरनैलों का पुराना सपना है कि भारत फिर से टूटेगा एक दिन और उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा ताकि बराबरी हो जाए दोनों देशों के बीच जमीन पर। जब ऐसे कानून बनाए जाएंगे, जिनमें मुसलमानों के लिए अलग दर्जा होगा, तो क्या इस सपने को साकार करने में भारत के शासक मदद नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान का?

इस संशोधन से शिकायतें मुझे और भी हैं। एक तो इसकी जरूरत नहीं दिखती है मुझे। जरूरत तब होती, अगर अमेरिका की दक्षिण सीमा की तरह हमारी किसी सीमा पर शरणार्थियों की कतारें लगी होतीं। यूरोप में भी कुछ साल पहले लाखों की तादाद में सीरिया से शरणार्थी पहुंचे थे इतनी बड़ी संख्या में कि उनको रोकना मुश्किल हो गया था। हमारी किसी भी सीमा पर ऐसा हाल नहीं है। एक समय था जब बांग्लादेश से लाखों लोग आए थे और जिनके आने से असम जैसे राज्य में आबादी की शक्ल तक बदल गई थी। ये लोग दिल्ली में भी आए थे इतनी बड़ी संख्या में कि निजामुद्दीन औलिया की मजार के आसपास इनके कैंप लगे थे। आज दिल्ली में दिखते तक नहीं हैं। ऊपर से बांग्लादेश का आर्थिक हाल इतना बेहतर हो गया है कि कई सामाजिक और आर्थिक मापदंड दिखाते हैं कि भारत से आगे निकल गया है। सो, कहां हैं ये 'दीमक' जो गृहमंत्री को इतनी तकलीफ दे रहे हैं?

हमारी उत्तरी सीमा से कुछ अफगान जरूर आए हैं, जो तालिबान सरकर के समय आए थे, उसकी तशद्दुद से भाग कर। इनमें से कुछ थोड़े बहुत हैं, जो दिल्ली में बस गए हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो वहां से मुसलिम सैलानी भी आजकल नहीं आते हैं, क्योंकि माहौल दोनों देशों के बीच तनाव भरा है। आते हैं अवैध तरीकों से सिर्फ जिहादी आतंकवाद फैलाने, जिनको काफी हद तक सीमा पर ही खत्म कर दिया जाता है। इन देशों से जितने भी हिंदू और सिख आए हैं भाग कर उनको वैसे भी पनाह मिल जाती है, सो इस संशोधन की जरूरत ही क्या है?

गृहमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि देश भर में अब नागरिकता स्थापित करने के लिए मुहिम चलेगी, जैसे असम में चलाई गई थी। असम में कोई सोलह सौ करोड़ रुपए खर्चे जाने के बाद मालूम हुआ कि उन्नीस लाख लोग हैं, जिनके पास नागरिकता के सबूत नहीं हैं। इनमें आधे तो बंगाली हिंदू हैं। जिन मुसलमानों को पकड़ा गया है, उनको खास जेलों में रखा गया है, जब तक उनको वापस बांग्लादेश न भेजा जा सके। समस्या यह है कि बांग्लादेश उनको वापस लेने को तैयार नहीं है। सो, देश भर में अगर हम खोज कर निकालने की कोशिश करेंगे मुसलिम शरणार्थियों को तो अनुमान लगाइए कि जनता का कितना पैसा लगेगा इस मुहिम पर। अनुमान यह भी लगाइए कि अगर इसी में उलझी रहेगी मोदी सरकर, तो कहां से पूरे होंगे वे परिवर्तन और विकास के वादे।

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

> जब किसी कानून में साफ शब्दों में लिखा जाता है कि सिर्फ मुसलिम शरणार्थियों को भारत में पनाह नहीं मिल सकती और सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध, इसाई शरणार्थियों के लिए न सिर्फ पनाह मिलने का प्रावधान होगा, उनको नागरिकता भी मिल सकती है, तो मुसलमानों के लिए क्या संदेश दे रही है सरकार?

निजी तौर पर मुझे इस संशोधन विधेयक से सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इस कानून के तहत छोटे-मोटे सरकारी अफसरों को अधिकार मिलेगा तय करने का कि हममें से भारत के असली नागरिक कौन हैं और कौन नहीं हैं। और जैसे अपने देश में अक्सर होता है, इसका परिणाम यह होगा कि भ्रष्टाचार आसमान छूने लगेगा, क्योंकि थोड़ी-सी रिश्वत देकर कोई भी नागरिक बन जाएगा भारत का। तकलीफ उन गरीब मुसलमानों को ही होगी, जिनके पास रिश्वत देने की क्षमता नहीं है। अक्सर इतने गरीब हैं इस देश के मुसलमान कि उनके छोटे से घरों में कागजात रखने की भी जगह नहीं होती है, अगर कागजात हों भी अपनी नागरिकता साबित करने के। जब ऐसे लोगों को बंद कर दिया जाएगा खास जेलों में, तो ऐसी अशांति और अराजकता फैलेगी मुसलमानों में कि जिहादी संस्थाओं का काम आसान हो जाएगा। इसलिए मुझे इस कानून से खतरा ही दिखता है देश के लिए, लाभ एक भी नहीं।

सिंघम न्याय

एक चैनल का एक एंकर एक हाथ में प्याज, एक में गनमाइक लेकर खान मार्केट में खड़े-खड़े पूछता फिरता है प्याज की महंगाई का राज!

उधर दूसरे चैनल में प्याज के बढ़ती कीमतों को देख-देख कर दूसरे एंकर भैया जी भाजपा के प्रवक्ता के प्याज का तुलनात्मक अध्ययन करने की ढिठाई पर सात्विक क्रोध से भर कर बरस पड़ते हैं। प्रवक्ता कहने लगता है कि सन 2013 में यूपीए के शासन में भी तो प्याज के दाम बढ़े थे। यानी कि अब बढ़े हैं तो क्यों रोते हो! इस बेशर्मी को देख भैया जी धिक्कारते हुए चीखने लगते हैं कि आप लोग संसद में 'हम प्याज नहीं खाते' कह कर लोगों का अपमान करते हो और यहां बहस में आकर प्याज चर्चा का मजाक बनाते हो! जरा देखो तो : मदुरै में प्याज का दाम है एक सौ अस्सी रुपए किलो और चेन्नई में है डेढ़ सौ रुपए किलो।...

मगर भाजपा में प्रातिभों की कमी कहां? पार्टी को रक्षात्मक देख एक महामहिम जी को तुरत अपने बाह्मणत्व पर गर्व हुआ और बोल उठे कि हम तो ब्राह्मण हैं जी! हम प्याज-लहसुन नहीं खाते! गनीमत कि किसी ने यह न कहा कि जिसे प्याज खानी हो, पाकिस्तान चला जाए!

संसद में प्याज पर बहस है। वित्तमंत्री जी कहती हैं कि मैं जिस परिवार से आती हूं उसमें प्याज-लहसुन का कोई मतलब नहीं है।...

इस एक घमंडी किस्म के वाक्य ने चैनलों में तूफान खड़ा कर दिया है। चैनल लाइन मारने लगते हैं : यह 'एलीटिज्म' है। दूसरे चैनल ने इसे 'मेरी अंतोनियत का क्षण' बताया (मेरी ने फ्रांसीसी क्रांति से पहले, अकाल की मारी फ्रांसीसी जनता को कहा था कि 'जनता के पास रोटी नहीं तो केक खाए')! यही नहीं, तिहाड़ से कल ही बाहर आए चिंदबरम भी इस पर एलीटिज्म पर एलीटिस्टी चुटकी लेते हुए कह उठे कि शायद वे 'एवोकाडो' (एक अनोखी वनस्पति) खाती हों!

लेकिन इस प्याज-पीड़ित सीजन में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पूर्व-पीएम गुजराल को याद करते हुए कह दिया कि अगर 1984 में गृहमंत्री नरसिंह राव ने गुजराल की यह सलाह मान ली होती कि कानून-व्यवस्था के लिए सेना को लगाओ, तो वे 'मेसेकर' (जनसंहार) न हुआ होता!

इसके बाद तो कई एंकरों की बन आई। जो प्याज पर सरकार पर विफर रहे थे, वे अब मनमोहन सिंह से लेकर राजीव गांधी, सबको ठोकने लगे! एक एंकर ने गुजराल के पुत्र को जुटाया, जिनने कहा कि मनमोहन सिंह ने सच कहा, तो अकाली बोले कि सब राजीव गांधी को बचाने के लिए किया, लेकिन किसी को लगा कि राजीव को ठुकवाने के लिए किया! एक चैनल पर नरसिंह राव के बेटे ने कहा कि ये राजीव गांधी को बचाने की कोशिश है। तब पीएम तो राजीव ही थे। आश्चर्य कि गुजराल ने राव से कहा, राजीव से नहीं कहा? क्यों? एक एंकर ने वितर्क किया कि गुजराल तो राजीव के बेहद करीबी थे, उनने उनसे न कह कर राव से कहा, यह समझ से परे है। राव का क्या कसूर! पीएम तो राजीव ही थे, तब जिम्मेदार तो वही हुए!

बाख़बर

■ सुधीश पचौरी

> जब अपने नामी सांसद संसद में ऐसे अपराधियों को 'लिंच करो', चौराहे पर 'लटका दो' की मांग करेंगे और अपने चैनल बिना आलोचना के उनको दिन-रात बजाएंगे, तो फिर कानून क्या करेगा? तब तो इसी तरह के 'सिंघम न्याय' की जयकार होगी!

हा हतभाग कांग्रेस! जिस दिन प्याज पर भाजपा संसद में पिट रही थी, मनमोहन की इस टिप्पण के बाद उस शाम कांग्रेस चैनलों में खूब पिटी! एक ट्रक-छाप शायर ने कितना सच कहा है कि :

'डुबोया मुझको अपनों ने गैरों में कहां दम था
मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था!'

इसे कहते हैं 'पोस्ट-ट्रुथ'! ऐसे 'उत्तर सत्यवादी हरिश्चंद्र' हैं हमारे पूर्व पीएम!

बहरहाल, जिस समय मालीवाल राजघाट पर नए और कड़े रेप विरोधी कानून बनवाने के लिए अनशन पर बैठी रहीं और खबरों से लगभग बाहर होने लगीं, तभी उन्नाव की एक रेप-जीविता को दो लोगों ने आग लगा दी! हैदराबाद की रेप-हत्या की नृशंस कहानी पूरी नहीं हुई थी कि उन्नाव ने एक और निष्करुण कहानी चैनलों को दे दी। यहां भी एक आला पुलिस अधिकारी ने फरमाया कि पीड़िता को आग लगाने वाले से प्रेम संबंध थे, लेकिन उसने शादी करने से मना कर दिया, तब पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया। इसे कहते हैं 'पोस्ट-ट्रुथ' का निर्माण! केस रहा रेप जीविता को आग लगा कर मार देने का और बनाई जाने लगी 'पोस्ट-ट्रुथीय' प्रेम कहानी! धिक्कार है!

लेकिन शुक्रवार की सुबह, हैदराबाद की डॉक्टर के रेप और हत्या के बरक्स 'तुरंता न्याय' की सबसे मौलिक कहानी वहां की पुलिस ने बनाई। उसने बताया कि हम अपराध की जगह जाकर 'अपराध के सीन' की पुनर्रचना कर रहे थे कि एक अपराधी रिवाल्वर छीन कर भागा, तो जवाबी फायर में चारों मारे गए! एक चैनल का रिपोर्टर कुछ इस तरह से बताता रहा मानो 'एनकाउंटर' के वक्त वह वहीं मौजूद रहा हो! इस 'एनकाउंटर' की खबर देखते-देखते हर चैनल पर छा गई। देर तक कई एंकर इसे 'जो हुआ सो सही हुआ' के भाव से बताते रहे! कानून मंत्री बोले कि भगवान ने 'न्याय' किया! लोग पुलिस की जयकार करने लगे। उस पर फूल बरसाने लगे! यह कैसा एनकाउंटर था कि मुग्ध होकर जनता फूल बरसाने लगी?

'सिंघम छाप' इस 'तुरंता न्याय' का जादू चैनलों में ऐसा चला कि न्याय की भाषा फिल्मी हो गई। मायावती बोलीं कि यूपी पुलिस को वहां की पुलिस से प्रेरणा लेनी चाहिए। निर्भया की मां ने कहा कि पुलिस ने नजीर बनाई! रजा मुराद, ऋषि कपूर सबकी यही राय रही! कई एंकर भी पुष्पवर्षकों की तरह ही बोलते रहे।

कई एंकर रिपोर्टर इस कदर 'तुरंता न्यायवादी' हुए कि उनके लिए जांच, प्रमाण, कानून, बहस, अदालत और फैसला आदि सब बेकार हो गए! सिर्फ सीपीएम ने दो टूक कहा कि यह 'एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स' है। तहसीन पूनावाला ने भी कहा कि ऐसी बातों से न्याय प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर होता है! जस्टिस सोधी ने पूछा कि जब वे पुलिस 'कस्टडी' में थे 'एनकांउटर' कैसे संभव है?

जब अपने नामी सांसद संसद में ऐसे अपराधियों को 'लिंच करो', चौराहे पर 'लटका दो' की मांग करेंगे और अपने चैनल बिना आलोचना के उनको दिन-रात बजाएंगे, तो फिर कानून क्या करेगा? तब तो इसी तरह के 'सिंघम न्याय' की जयकार होगी!

www.readwhere.com

किताबें मिलीं

शिलावहा

किरण सिंह समकालीन हिंदी कथा परिदृश्य में संभवतः पहली सशक्त कथाकार हैं, जो हिंदू धर्म सत्ता के षड्यंत्रों के खिलाफ अपनी सधी आवाज में तार्किक बहस का आयोजन करती हैं। पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था को भी वे धर्म सत्ता के सबसे ज्यादा मारक और धारदार हथियायों के रूप में देखती हैं। 'द्रौपदी पीक' कहानी में राजनीतिक आर्थिक, धार्मिक, संरक्षण प्राप्त नागा साधुओं के पाखंड और अपराध को वे अपनी सधी शैली में पहले ही व्यक्त कर चुकी हैं, जहां पर्दापाश एक पड़ी सनसनी की तरह नहीं आता, चरित्र के भीतर गहरी पैठ के कारण उसके संवेगों, प्रतिक्रियाओं और कार्यशैली के जरिए बेआवाज आता है। 'शिलावहा' चूंकि राम के ईश्वरत्व पर एक बड़ा सवालिया निशान लगने वाली रचना है, इसलिए किरण सिंह प्रकृति (इंद्र) और स्त्री (अहल्या) की बढ़ती ताकत से व्यथित पुरुष सत्ता (जो राजनीति, धर्म, पूंजी, ज्ञान-विज्ञान और मीडिया पर कब्जा जमाए बैठी है) की बदहवासी और नीयत, दोनों को एक साथ बाहर लाती हैं। 'परिवार, संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति' - मनुष्य की सभ्यता यात्रा के तीन महत्त्वपूर्ण मोड़ों को एंगिल्स पहले ही स्त्री की पराधीनता के मूलभूत कारक मान चुके हैं। लेकिा विडंबना है कि स्त्री फिर भी पुरुष को डराती रही है- संवेदना, सहनशीलता में गुंथी सृजनात्मकता और क्रांति की दीपशिखा के कारण।

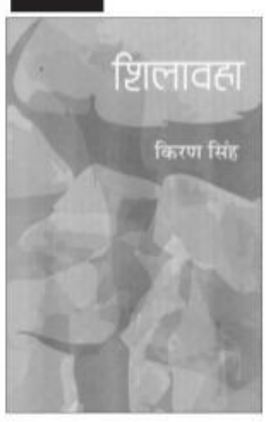

शिलावहा : किरण सिंह, आधार प्रकाशन, एससीएफ-267, सेक्टर-16, पंचकूला, हरियाणा; 100 रुपए।

एकांत के वे पल

एकांत के वे पल उपन्यास उत्तराखंड के पहाड़ों का सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के अनेक रंगों को लेकर उपस्थित है। उपन्यास का एक-एक शब्द, एक-एक वाक्य हमारे अंतरर्मन को कहीं गहरे तक झकझोरते हुए एक गहरी तड़प, वेदना, बेचैनी कशमकश और दर्द भरी टीस पैदा करते हैं।

यह उपन्यास एकमात्र भारत के पहाड़ी भागों में बसने वाले लोगों के जीवन, चरित्र-चित्रण, खानपान, रहन-सहन को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह विश्व के सभी पहाड़ी गांवों को अपने में समेटे हुए है। पहाड़ कोई भी हो, कहीं का भी हो, उनमें बसने वाले लोग किसी भी देश के हों। उनकी भाषा अलग हो सकती है। लेकिन उनका खानपान, रहन-सहन, जीवन-चरित्र तकरीबन एक-सा ही होता है। उनके अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं। रिश्तों की बुनियाद पर यह उपन्यास विश्व का वह समस्त जीवन अपने आप में समेटे हुए है, जिसमें तकरार है, तुनकमिजाजी है, हंसी है, बैर होने के बाद भी जिनमें अपनापन है और वह अदृश्य प्रेम है, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पहाड़ों की अजेय दीवारों को तोड़ते हुए अपनी सारी हदें पार कर जाना चाहता है।

इस उपन्यास में प्रेम का जो वर्णन है, वह पूरे विश्व का वर्णन है। एक बेहद अनूठा और कोमल प्रेम। पहाड़ों का अप्रतिम सौंदर्य ही देश की खूबसूरती होती है। सघन वनों के, बहती नदियों के, बहते खूबसूरत झरनों के बीच जब कोई प्यार पनपता है तो उस प्यार की कल्पनाएं, इच्छाएं, सपनें, उड़ानें असीमित होती हैं। मिट्टी में से जिस तरह कोई बीज फूट कर पौधे को रूप में पल्लवित होना चाहता है, उसी तरह से पहाड़ों की गहराइयों में जब कोई प्यार पनपता है तो उसका कोई ओर-छोर नहीं होता। वह पनपनता है और वहीं दफन हो जाता है।

एकांत के वे पल : रणीराम गढ़वाली; परमेश्वरी प्रकाशन, बी-209, प्रीत विहार, दिल्ली; 450 रुपए।

मुझे मंजूर नहीं

इस कविता संग्रह की अधिकतर कविताओं में कवि बिशन सागर रूमानी नजर आए हैं। एक कशमकश, एक अधूरी ख्वाहिश, एक इंतजार, एक तन्हाई, एक सूनापन, एक खालीपन, एक प्रेम का गहरा समंदर, एक पक्का वादा और एक निश्छल प्रेम भावना उनकी कविताओं में छलक-छलक कर बाहर निकली हैं। इन कविताओं में कोई ताक-झांक, कोई कल्पना या किसी और का तजुर्बा महसूस नहीं होता। अक्सर प्रेम कविताएं, प्रेम के काल्पनिक इंद्रधनुषी धागों से बुन ली जाती हैं। इनमें प्रेम की इस उधेड़बुन में प्रेमिका के सौंदर्य के उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि यथार्थवादी क्षणों का चित्रण है।

'फिर जुदा हो जाना' कविता में कवि लिखते हैं- उम्मीदों के सतरंगी धागों से/ इक ख्वाब बुना था मैंने/ शायद इसका एहसास/ तुम्हें भी तो हुआ होगा/ या फिर 'पागल प्रेमी मैं'/ करवटें बदलता सोच रहा हूं/ ये कौन सी उम्मीद है तुमसे/ जो/ मेरी नींद उड़ा ले गई है। कवि का प्रेमी मन अपनी इन कविताओं में आशावादी दिखता है, जो एक सहानुभूति हो सकती है। 'जंजीर' कविता में वे अपने प्रेम को निस्वार्थ अपनेपन की सतरंगी ओढ़नी से ओढ़ कर वर्तमान को विश्वास दिलाते हुए प्रतीत होते हैं कि प्रेम केवल प्रेम है छल, कपट व मतलब की दुनिया से दूर। 'वो एक पहाड़ी लड़की' में भले ही पहाड़ी लड़की कविता में ओझल हो गई हो, मगर पाठक की आंखों से ओझल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका ओझल होना समंदर की आगोश में सूरज के डूब जाने जैसा प्रतीत होता है। संग्रह में इक्यावन कविताएं हैं जो प्रेम, वात्स्लय, दोस्ती, मानवीय संवेदना को झकझोरती हुई वक्त के साथ और वक्त के बाद चलती हुई प्रतीत होती हैं।

मुझे मंजूर नहीं : बिशन सागर; आस्था प्रकाशन, लाडोरानी रोड, जालंधर; 265 रुपए।

परिवर्तन की परंपरा के कवि

हिंदी कविता के समकालीन फलक पर गए पांच दशकों से अच्छादित लीलाधर जगूड़ी की कविताएं एक ओर अपने काव्य और प्रतीक की यथार्थवादी अभिव्यक्तियों के लिए जानी-पहचानी जाती हैं, वहीं अपनी सर्वथा अलग भाषिक स्थापत्य के लिए भी। हम कह सकते हैं कि आज की कविता को रघुवीर सहाय और केदारनाथ सिंह के बाद धूमिल और जगूड़ी ने गहराई से प्रभावित किया है।

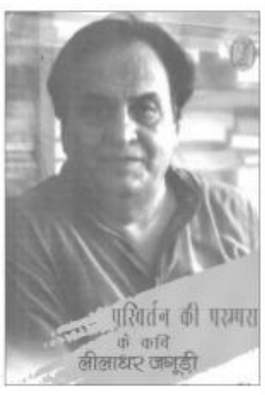

परिवर्तन की परंपरा के कवि के रूप में लीलाधर जगूड़ी निरंतर अपने काव्य संस्कारों को मांजने वाले कवियों में रहे हैं। इसीलिए वे खेल-खेल में भी शब्दों के नए से नए अर्थ प्रस्तावन के लिए प्रतिश्रुत दिखते हैं। अपनी सुदीर्घ काव्य-यात्रा में जगूड़ी की विशेषता यह रही है कि वे विनोद कुमार शुक्ल की तरह ही, अपने प्रयुक्त कथन, भाव, बिंब या प्रतीक को दोहराने से बचते रहे हैं। यह उनकी मौलिकता का साक्ष्य है। हिंदी की विदुषी आलोचक बृजबाला सिंह ने लीलाधर जगूड़ी पर केंद्रित अपनी पुस्तक में जगूड़ी के पाठ्यबल के गुणसूत्र को कवि-जीवन, रचना यात्रा, कविता के उद्गम स्थल, चेतना के शिल्प और लंबी कविताओं के महाकाव्यात्मक विधान के आलोक में कविता-विवेक के साथ लक्षित-विश्लेषित किया है।

वे कविता में प्रतीकों के दिन थे, जब चिड़िया, बच्चे, पेड़ अपनी संज्ञाओं की चौहद्दी से पार गए अर्थ के प्रतीक रूप में अभिहित हो रहे थे। जगूड़ी जैसे कवि ऐसे प्रतीकों के पुरोधा थे। कविता की धरती को अपने अनुभवन से निरंतर पुनर्नवा करने की उनकी कोशिशों का ही प्रतिफल है कि उनकी कविता का मिजाज 'नाटक जारी है' से 'जितने लोग उतने प्रेम' तक उत्तरोत्तर बदलता रहा है। मेगा नैरेटिव के कवि जगूड़ी किसी आख्यानक का बानक रचने के बजाय सार्थक वक्तव्यों की लीक पर चलते हुए ब तक जीवन के तमाम ऐसे अलक्षित पहलुओं को कविता में लाने में सफल हुए हैं, जैसी सफलता कम लोगों ने अर्जित की है।

परिवर्तन की परंपरा के कवि लीलाधर जगूड़ी : डॉ बृजबाला सिंह; वाणी प्रकाशन, 4695, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली; 595 रुपए।

महिला सुरक्षा

महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर कई कड़े कानून हैं। इसके लिए निगरानी तंत्र को पुख्ता बनाने के दावे भी किए जाते हैं, पर हकीकत यह है कि घर के भीतर और बाहर महिलाओं का उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार और फिर हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्वाभाविक ही इसे लेकर पुलिस, प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर अंगुलियां उठती हैं, कठोर सजा के प्रावधान की मांग उठती है। पर इस मामले में समाज का भेदभावपूर्ण और संकीर्ण नजरिया भी कम दोषी नहीं है। इस प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए समाज की क्या भूमिका हो, इस बार की चर्चा इसी पर। - संपादक

महिला सुरक्षा का सवाल

प्रभुनाथ शुक्ल

महिलाओं की असुरक्षा लगातार बढ़ रही है, लेकिन देश, संविधान और हमारा कानून उन्हें निर्भय वातावरण उपलब्ध कराने में अक्षम साबित हुआ है। इस पर हमें सोचना और समाज का नजरिया बदलना होगा। आधुनिक हो चले समय में भी महिलाओं को लेकर घर, परिवार और समाज का नजरिया बेहद घटिया है। इसलिए सुबह घर से अकेली निकली बेटी जब तक शाम को सुरक्षित घर नहीं लौट आती, माता-पिता चिंताएं शाम ढलने के साथ बढ़ती जाती हैं। जबकि वहीं, बेटा घर चाहे जब आए और बाहर जाए, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारी सोच का अंतर है। अगर हम बेटियों की परवरिश बेटों की तरह करते, तो घर से लेकर सड़क तक भेदभाव रहित महौल दे पाने में सक्षम होते। हमने बेटियों पर शालीनता, संस्कार, इज्जत, मान-मर्यादा की खोल चढ़ा रखी है, जिसकी वजह से उनका आत्मबल कमजोर पड़ गया। उनके भीतर लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है। बेटियां एक मां, बहन, पत्नी के रूप में केवल समर्पण की पोटली बन कर रह गई हैं। जिस दिन समाज इस तरह की पाबंदियां हटा लेगा, उन्हें खुला आसमान मिलेगा, उस दिन से हमें निर्भया, कठुवा और हैदराबाद जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। सड़क पर बारह साल की बेटी सिर झुकाए अदब से गुजरती है। उसकी इस शालीनता को हजारों आंखें घूरती हैं। जबकि उसी उम्र का बेटा सड़क पर बिंदास गुजरता है। खुलेआम कार ड्राइविंग और बाइक रेस करता है। आखिर ऐसा क्यों। सड़क पर गुजरते अकेले मर्द पर महिलाएं नहीं टूटती हैं, लेकिन एक अकेली गुजरती बेटी पर भूखे भेड़ियों का झुंड क्यों टूट पड़ता है! यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस प्रकृति ने पुरुष का निर्माण किया है, उसी ने उस औरत का भी किया है। फिर सड़क पर या अकेली औरत देख कर हमारे संस्कार क्यों बदल जाते हैं। इसका जवाब हमें खोजना होगा।

संविधान और कानून की किताबों में महिला सुरक्षा की बातें दम तोड़ती दिखती हैं। इस मामले में उपलब्ध आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2014 में पुलिस ने बलात्कार के 51,623 मामले पंजीकृत किए, जबकि 1,25,431 मामले अदालतों में लंबित थे। इसमें सिर्फ 4,944 लोगों को सजा मिल पाई। इसी तरह 2015 में बलात्कार के 50,509 अपराध पुलिस तक पहुंचे। अदालतों में इस साल कुल 1,37,458 पर सुनवाई होनी थी, जबकि सजा केवल 5,514 अपराधियों को मिल पाई। 2016 में भी कुछ बेहतर परिणाम देखने को नहीं मिला। इस साल 55,071 अपराध पुलिस थानों में पंजीकृत हुए। 1,52,165 बलात्कार के अपराध अदालतों में सुनवाई के लिए लंबित रहे, जबकि सजा केवल 4,739 अरोपियों को मिल पाई।

बलात्कार से संबंधित मामलों में जितनी त्वरित गति से पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। कानूनी अड़चनों की वजह से पुलिस जांच और अदालतों में सुनवाई समय पर नहीं हो पाती। इस दिक्कत को हमें खत्म करना होगा। संसद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर रोज नया कानून बनता है, लेकिन आम जीवन में उसका असर शून्य दिखता है।

बलात्कार के मामलों में पुलिस जांच और अदालती सुनवाइ में सुस्ती की वजह से पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। इसका सीधा फायदा आरोपियों को मिल जाता है। एक आंकड़े के अनुसार 2017 में पुलिस को बलात्कार से जुड़ी 46,965 घटनाओं की जांच करनी थी, जिसमें 14,406 मामले पहले से लंबित थे। जबकि 32,559 नए मामले पंजीकृत हुए थे। पुलिस जांच में साक्ष्य के अभाव में 4,364 मामलों को बंद कर दिया गया, जबकि 28,750 मामलों में केवल अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई। इसमें 7,447 मामले पहले के शामिल थे। इसके अलावा 13,7,65 मामले अगले साल के लिए लंबित छोड़ दिए गए। इससे यह साफ जाहिर होता है कि बलात्कार की घटनाओं को लेकर हमारा तंत्र

चर्चा

चित्र : अशोक भौमिक

भारत में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जता चुका है। निर्भया कांड पर भी उसने चिंता जताई थी, लेकिन इसके बाद भी हमारे सामाजिक संस्कार में कोई बदलाव नहीं दिखा। निर्भया कांड के सात सालों में तकरीबन चालीस फीसद बलात्कार के मामले बढ़े हैं।

कितना सजग और सक्रिय है। 2016 के आंकड़े और चौंकाने वाले हैं। देश भर में बलात्कार के बाद हत्या की एक सौ आठ घटनाएं लंबित थीं। 2017 में दो सौ तेईस नए मामले पंजीकृत हुए। पुलिस जांच में ग्यारह मामलों की फाइल बंद कर दी गई। सिर्फ दो सौ ग्यारह मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई। इसके बाद भी एक सौ नौ मामले लंबित रह गए। इस दौरान पूरे मामलों में 43,197 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जबकि 38,534 के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल हो पाए। इसके अलावा केवल 6,957 लोगों को दोषी करार दिया गया। हत्या और दुष्कर्म के मामले में तीन सौ चौहत्तर आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन सजा केवल अड़तालीस को मिली।

अदालतों में न्यायाधीशों की कमी और बढ़ते मुकदमों के बोझ की वजह से भी स्थिति अच्छी नहीं है। पॉक्सो कानून के तहत 1,60,989 मामले अदालतों में लंबित हैं। 2017 में देश की अदालतों में 1,46,201 मामले लंबित थे, जिनमें 1,17,451 पुराने मामले थे। लेकिन अदालतों में सिफ 18,099 मामलों की सुनवाई हो सकी। 5,822 यानी सिर्फ 32.2 फीसद आरोपियों के खिलाफ सजा हो पाई, जबकि 11,453 अरोपियों को रिहा कर दिया गया। सतासी फीसद से अधिक यानी 1,27,868 मामलों को अगले साल के लिए टाल दिया गया। सबसे अधिक चिंता की बात रही कि दुष्कर्म के बाद हत्या के मामलों में भी देश की अदालतों का रवैया बेहद सुस्त रहा। 2017 में इस तरह के कुल 574 मामले पंजीकृत हुए, जिनमें 363 मामले पुराने थे। इसमें केवल सत्तावन घटनाओं में सुनवाई हो सकी और केवल तैंतीस को सजा मिली। चौबीस अरोपी बरी कर दिए गए। इसके अलावा पांच सौ सत्रह मामले अगले साल की सुनवाई के लिए टाल दिए गए।

भारत में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जता चुका है। निर्भया कांड पर भी उसने चिंता जताई थी, लेकिन इसके बाद भी हमारे सामाजिक संस्कार में कोई बदलाव नहीं दिखा। निर्भया कांड के सात सालों में तकरीबन चालीस फीसद बलात्कार के मामले बढ़े हैं। निर्भया के साथ हुए अमानवीय कृत्य के बाद पूरा देश सड़कों पर था। ऐसा लगा था अब कोई बलात्कार की घटना नहीं होगी, लेकिन यह सब कल्पना साबित हुआ। भारत में हर पंद्रह मिनट में एक बलात्कार की घटना होती है। हर साल 35,320 बलात्कार की घटनाएं पंजीकृत होती हैं, लेकिन सिर्फ तीस फीसद मामलों में पीड़िता को न्याय मिल पाता है। अब तक ढाई लाख लाख मामले बलात्कार से संबंधित हैं। तकरीबन नौ फीसद मामलों की सुनवाई में दस साल से अधिक का वक्त लग गया। बलात्कार के पचहत्तर फीसद मामलों में आरोपी संदेह या दूसरी कानूनी तकनीक का फायदा उठा कर छूट जाते हैं।

देश भर में बलात्कार पीड़ित बेटियों, कामकाजी महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए कानूनों में संशोधन किया गया। मगर अपराधों में कमी नहीं आई। बलात्कार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 390.90 करोड़ का निर्भया फंड स्थापित किया गया, जिसमें राज्यों की भागीदारी भी सुनिश्चत की गई। मगर इस फंड का उपयोग करने में ग्यारह राज्य एकदम फीसड्डी साबित हुए। संबंधित राज्यों ने फंड का एक भी रुपया इस्तेमाल नहीं किया। इसमें महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे कइ राज्य शामिल हैं। उस स्थिति में हम सरकारों और उसके तंत्र से क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमें बलात्कार की घटनाओं पर त्वरित न्याय को और गतिशील बनाना होगा। अधिकतम तीन माह के भीतर पीड़िता को न्याय दिलाना होगा। ऐसे मामलों के निपटान के लिए अलग अदालतें, मेडिकल और पुलिस की व्यवस्था करनी होगी। लोगों में नैतिकता जगानी होगी। स्कूली पाठ्यक्रमों में बदलाव करना होगा। आरोप सिद्ध होने पर दोषियों कड़ी सजा का प्रावधान करना होगा। हम लचीले कानून से बलात्कार की घटनाओं को नहीं रोक पाएंगे।

जरूरी है समाज की भागीदारी

लालजी जायसवाल

भारतीय समाज प्राचीन काल से लेकर उत्तर-आधुनिक काल तक अपनी सभ्यताओं और संस्कृतियों के कारण समूचे विश्व में आदर्श रहा है। यह सदा से अपनी मानवीय भावनाओं और नैतिकता का परिचय देता रहा है। इसकी सांस्कृतिक विरासत आज भी अपना कीर्तिमान स्थापित किए हुए है। भारत की अतुलनीय संस्कृति और सामाजिक विरासत सदा से श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती रही है, लेकिन इसके नकारात्मक पक्ष भी विद्यमान हैं। आज समाज में महिलाओं का हर स्वरूप शोषित हो रहा है, चाहे मां के रूप में हो या बेटी के रूप में या बहन या बच्ची के रूप में। आज समाज में दिन-प्रतिदिन मूल्यों और संवेदनाओं का ह्रास होता जा रहा है। सो, आज यह प्रश्न उठना आवश्यक है कि क्या समाज में महिलाओं की सुरक्षा संदिग्ध हो गई है? आखिर पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं सुरक्षा की मोहताज क्यों हो गई हैं? जबकि भारतीय संविधान में महिलाओं और पुरुषों के साथ कोई भेदभाव न करते हुए समानता का अधिकार दिया गया है। फिर महिलाओं से विभेदीकरण की नीति क्यों अपनाई जाती है!

पितृसत्तात्मक समाज की हामी भरने वालों को विचार करना चाहिए कि उसकी प्रधानता में महिलाएं स्वयं को सुरक्षित क्यों महसूस नहीं कर पा रही है? क्या जेंडर विभेदीकरण को खत्म करने का दायित्व समाज का नहीं है? निश्चित ही यह कार्य समाज का है और उसे खत्म कर महिलाओं को समानता का अधिकार देना पड़ेगा। आज जरूरत है समाज को अपने अतीत पर विचार करने की। भारतीय मानस का अतीत सिद्धांत, स्वीकार्यता और मान्यता तीनों दृष्टियों से स्त्री को श्रेष्ठ और सम्माननीय स्थान देता आया है। यहां स्त्रियों को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी संघर्ष, आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल, समस्या व्यवहार की है। आज भावनाएं, संवेदनाएं, मानवीय मूल्य, सहानुभूति, समानुभूति, समानता आदि सभी तिरोहित हो चुके हैं। इसी कारण समाज अपनी मुख्यधारा से विचलित होकर विनाश की राह पर जा रहा है।

आज संचार नेटवर्क के कारण दुनिया मुट्ठी में सिमटती जा रही है, तो दूसरी ओर हमारे सामाजिक मूल्य भी सिमटते नजर आ रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्ति फिल्म जगत और इंटरनेट से कामोत्तेजक सामग्री प्राप्त करता है, पर आपराधिक घटनाएं अपने समाज में ही मासूमों से करता है। समाज में बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में एक घंटे में चार बलात्कार होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 2011 से 2016 के बीच महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में दो सौ सतहत्तर फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। निर्भया कांड के बाद दिल्ली में दुष्कर्म के दर्ज मामलों में एक सौ बत्तीस फीसद की बढ़ोतरी हुई। 2017 में अकेले जनवरी महीने में दुष्कर्म के एक सौ चालीस मामले दर्ज किए गए थे। मई, 2017 तक दिल्ली में दुष्कर्म के कुल आठ सौ छत्तीस मामले दर्ज किए गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बलात्कार के मामले 2015 की तुलना में 2016 में 12.4 फीसद बढ़े हैं। आज मध्यप्रदेश इनमें अव्वल है, क्योंकि बलात्कार के सबसे ज्यादा 4,882 मामले मध्यप्रदेश में दर्ज हुए। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जहां 4,816 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। बलात्कार के 4,189 दर्ज मामलों के साथ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर रहा। मगर सबसे चिंताजनक रिपोर्ट मध्यप्रदेश की है, जहां पोक्सो अधिनियम होने के बाद भी जो कि यह प्रावधान करता है कि 'अगर बारह वर्ष से कम उम्र

चित्र : अशोक भौमिक

समाजशास्त्रियों का मानना है कि अपराधियों के बच निकलने के रास्ते बंद करना और कड़े दंड का प्राधान जरूरी है, पर यह अपराध को खत्म होने की गारंटी नहीं है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि उन स्थितियों को खत्म किया जाए, जो ऐसे अपराधों का कारण बनती हैं।

की लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना होती है, तो मृत्युदंड की सजा दी जाएगी।' मगर फिर भी मध्यप्रदेश में ऐसी आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके पीछे आखिर क्या कारण है?

अपराधों के न रुकने का प्रमुख कारण नियम और कानून का ठीक से पालन न कराया जा पाना है। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। जब तक उसका ठीक से पालन नहीं होता, तब तक कानून किसी काम का नहीं हो सकता। अगर पालन की बात की जाए, तो मध्यप्रदेश में यह नगण्य है। समूचे देश का भी यही हाल है। अब सोचने की बात यह है कि भ्रष्ट प्रशासन में महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जा सकेगी? क्या आपराधिक घटनाएं अपना पैर पसारती ही जाएंगी? नहीं। इसके लिए समाज को स्वयं आगे आना होगा और समाज में पनप रहे अपराधियों का बहिष्कार करना होगा। स्वयं ही उनको पकड़ कर प्रशासन को सौंपना होगा तथा अपने बच्चों के समाजीकरण पर विशेष ध्यान देना होगा।

आज प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि समाज से अपराधियों को निष्कासित करें। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए तमाम बनाए गए कानून जैसे कि बाल विवाह अधिनियम 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह कानून 1955, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856, आईपीसी 1860, मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, नेशनल कमीशन फॉर वुमन एक्ट 1990, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन इन वर्किंग प्लेस 2013 (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य) तथा पाक्सो अधिनियम आदि। मगर प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर तमाम अधिनियमों, कड़े कानूनों के बाद भी महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? इसका उत्तर भी यही होगा कि भारत में कानून तो बहुत कठोर है, लेकिन पालन कराने में लचरता के कारण सभी नियम-कानून जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। तभी अपराधी अपराध कर समाज में निडर होकर विचरता रहता है।

इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है कि आज महिलाओं के साथ घरेलू अपराध अधिक संख्या में होते हैं, पर इसका बहुत कम उल्लेख मिलता है। महिलाएं बाहर तो असुरक्षित हैं ही, चारदीवारी में भी उनकी सुरक्षा संदेह के घेरे में है। इसलिए घरेलू हिंसा की ओर भी ध्यान आकर्षित करना अत्यावश्यक है। घरेलू हिंसा में महिलाओं के साथ मारपीट, उत्पीड़न, तानेबाजी और गाली-गलौज, अपमान करना, उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाना, जबरन शादी करना आदि शामिल हैं। लेकिन महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मामले कानून तक क्यों नहीं जा पाते? इसका प्रमुख कारण है कि सामाजिक दबाव, लोक-लाज, अशिक्षा तथा जागरूकता का न होना आदि समस्याएं जिम्मेदार हैं।

भारत में प्रायः सत्तर फीसद महिलाएं किसी न किसी तरह की घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। समाजशास्त्रियों का मानना है कि अपराधियों के बच निकलने के रास्ते बंद करना और कड़े दंड का प्राधान जरूरी है, पर यह अपराध को खत्म होने की गारंटी नहीं है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि उन स्थितियों को खत्म किया जाए, जो ऐसे अपराधों का कारण बनती हैं। बलात्कार जैसे अपराध कुंठित मानसिकता के लोग करते हैं, लेकिन ऐसी कुंठा में कई बार महिलाओं के प्रति बनी सामाजिक धारणा के स्वर पर बराबरी का दर्जा देकर और उसकी सार्वजनिक सक्रियता बढ़ा कर ही इस मानसिकता को खत्म किया जा सकता है। इससे हम ऐसे समाज को तैयार करेंगे, जो कुंठित मानसिकता वालों का बहिष्कार कर सकेगा, क्योंकि महिला सुरक्षा समाज में ही निहित है। सर्वप्रथम समाज में व्याप्त पुरुष प्रधानता का दंभ निकालना होगा और सभी महिलाओं को मनुष्य समझना होगा। उन्हें सम्मान के साथ बराबरी देना होगा। दोयम दर्जे की मानसिकता से ऊपर होना पड़ेगा।

www.readwhere.com

उन्नाव मामले में त्वरित अदालत में चलेगा मुकदमा : योगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

उन्नाव में बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद उसके परिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने पीड़िता के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन भी पीड़िता के परिजनों की अपने स्तर से हर संभव मदद करेगा।

इससे पहले पीड़िता की मौत पर मुख्यमंत्री योगी ने दुख जताते हुए कहा कि मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव घटना के संदर्भ में कहा है कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और बालिका की मौत अत्यंत दुखद है। उनके द्वारा परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त की गई। सभी अपराधी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने 25 लाख रुपए की मदद का किया एलान

मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे।'

इस बीच उन्नाव से मिली जानकारी के अनुसार उन्नाव पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री की पूरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी मुहैया कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत प्राविधिक शिक्षा मंत्री और जनपद उन्नाव की प्रभारी मंत्री कमल रानी वरुण और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य उन्नाव पीड़िता के गांव भेजे गए। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में होगी और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रमोहन ने कहा कि उन्नाव की बेटी के गुनाहगारों को जल्द सजा दिलाने के लिए प्रदेश सरकार पूरा जोर लगा देगी। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष अक्तूबर में कानपुर में एक बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले को 24 दिन में सजा दिलाकर एक नई शुरुआत की जा चुकी है।

दो महीने में पूरी हो बलात्कार मामलों में जांच : रविशंकर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

हैदराबाद में महिला चिकित्सक के साथ हैवानियत और फिर उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता की मौत से देश भर में भड़के गुस्से के बाद केंद्र सरकार सक्रिय हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वह देश के सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर यह अपील करने वाले हैं कि रेप के मामलों की जांच महज दो महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों समेत बलात्कार के सभी मामलों की जांच दो महीनों में पूरी होनी चाहिए। कानून मंत्री ने कहा कि इस संबंध में मैंने अपने विभाग को भी जरूरी दिशानिर्देश दे दिए हैं। यही नहीं देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग को लेकर भी उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने 1023 ऐसी अदालतों के गठन को मंजूरी दी है।

प्रवासी भारतीय कारोबारी को तीन महीने के लिए रिहा किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

जम्मू-कश्मीर में जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत सात अगस्त को हिरासत में लिए गए प्रवासी भारतीय (एनआरआइ) कारोबारी मुबीन शाह को शनिवार को आगरा जेल से तीन महीने के लिए अस्थायी रूप से रिहा कर दिया गया। पीएसए के तहत आरोपी शाह संभवतः ऐसे पहले व्यक्ति हैं, जिन्हें बगैर किसी अदालती निर्देश के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रिहा किया है।

पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र सरकार के पांच अगस्त के फैसले के बाद शाह को हिरासत में लिया गया था। उनके अलावा वहां कई उद्योगपतियों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया था।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के गृह सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, 'सरकार डॉ मुबीन शाह की अस्थायी तौर पर रिहाई का आदेश देती है, सात दिसंबर 2019 से छह मार्च 2020 तक के लिए, जो (शाह) अभी हिरासत में हैं। यह (अस्थायी रिहाई) जमानत में मौजूद शर्तों के साथ है।' आदेश में कहा गया है कि शाह को सात मार्च 2020 को जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर के समक्ष पूर्वाह्न 11 बजे आत्मसमर्पण करना होगा।

शाह के आगरा केंद्रीय कारागार से बाहर निकलने पर उनके भाई नियाज ने उनकी अगवानी की, जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिहाई के लिए कानूनी लड़ रहे थे। शाह के परिवार ने उन पर लगाए गए पीएसए को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। इस मामले में सुनवाई शुरू होने पर जम्मू कश्मीर प्रशासन बचाव की मुद्रा में आ गया और शाह को रिहा करने का भरोसा दिलाया। मामले की सुनवाई अब नौ दिसंबर के लिए सूचीबद्ध है।

शाह के नाम का जिक्र पिछले महीने दक्षिण एशिया मानवाधिकारों पर अमेरिकी संसद की सुनवाई के दौरान आया था। डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय मूल की नेता प्रमिला जयपाल ने उनकी हिरासत का मुद्दा उठाया था।

जजों की मुखरता को सीजेआइ ने ठहराया जायज

पेज 1 का बाकी

का नेतृत्व किया।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक संस्था के तौर पर न्यायपालिका को अवश्य ही न्याय तक सभी लोगों की पहुंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसके लिए मौजूदा ढांचे को मजबूत किया जाए तथा विवादों का वहनीय, त्वरित एवं संतोषजनक समाधान के नए तरीके तलाशने चाहिए।

उन्होंने कहा, 'न्याय कभी जल्दबाजी में फटाफट नहीं होना चाहिए। न्याय को कभी प्रतिशोध का रूप नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना है कि न्याय उस वक्त अपनी विशेषता या स्वरूप खो देता है जब यह बदले का रूप धारण कर लेता है। खुद में सुधार लाने के उपायों की न्यायपालिका में जरूरत है लेकिन उन्हें प्रचारित किया जाए या नहीं, यह बहस करने का विषय है।'

सीजेआइ ने कहा, 'हमें न सिर्फ मुकदमे में तेजी लाने के लिए तरीके तलाशने होंगे, बल्कि इन्हें रोकना भी होगा। ऐसे कानून हैं जो मुकदमे से पूर्व की मध्यस्थता मुहैया करते हैं।' उन्होंने कहा कि मुकदमा-पूर्व अनिवार्य मध्यस्थता पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि मध्यस्थता में डिग्री या डिप्लोमा का कोई कोर्स उपलब्ध नहीं है।

देश में गम और गुस्सा

पेज 1 का बाकी

'बर्न व प्लास्टिक सर्जरी' विभाग के प्रमुख डॉ. शलभ कुमार ने बताया, 'हमारे पूरे प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। शाम को उसकी हालत खराब होने लगी। रात 11 बजकर 10 मिनट पर उसे दिल का दौरा पड़ा। हमने बचाने की कोशिश की, लेकिन रात 11 बजकर 40 मिनट पर उसकी मौत हो गई।' पोस्टमार्टम के बाद शव उसके परिवार को सौंपा गया। परिजन उसके शव को गांव लेकर चले गए।

पीड़िता की मौत के बाद उसके गांव में प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है। गांव में उसकी मौत की सूचना पहुंचते ही सन्-नाटा पसर गया। लोगों में गम और गुस्-सा दिखाई दिया। पीड़िता के बेहाल पिता ने कहा कि आरोपियों को गोली मार देनी चाहिए या फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। उन्होंने न्-याय और सरकारी मदद मिलने के सवाल पर कहा, 'मुझे रुपया-पैसा-मकान कुछ नहीं चाहिए। मुझे इसका लालच नहीं है, बस जिसने मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाया है, उसे हैदराबाद मामले की तरह ही दौड़ाकर गोली मार देनी चाहिए या फिर तत्-काल फांसी दी जानी चाहिए।' उन्होंने साथ ही कहा, 'आरोपियों ने पैसे के दम पर न्-याय से वंचित रखा। मेरा मामला अदालत के निर्देश के बाद ही दर्ज किया गया।'

पीड़िता के भाई ने शनिवार को कहा कि उसकी बहन को तब न्याय मिलेगा जब उसके साथ क्रूरता करने वाले उन सभी आरोपियों का भी वही हश्र हो जो उसकी बहन ने झेला। उन्होंने कहा, 'उसने मुझसे मिन्नत की कि भाई मुझे बचा लो। मैं बहुत दुखी हूं कि मैं उसे बचा नहीं सका। हम यहां से गांव जाएंगे। आरोपियों ने पहले ही उसे जला दिया है और अब हम उसे दफनाएंगे।'

इस कांड को लेकर देश भर में लोगों में गुस्सा है। लखनऊ, उन्नाव, दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों से प्रदर्शन की खबरें हैं। दिल्ली में शनिवार को विभिन्न संगठनों ने मोमबत्ती जुलूस निकाला व उत्तर प्रदेश भवन, राजघाट, जंतर-मंतर समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर पानी की बौछार भी की। पुलिस कार्रवाई के विरोध में कई लोग पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए भी दिखे।

क्या था कांड

पीड़िता ने एसडीएम दयाशंकर पाठक के सामने दिए बयान में बताया था कि वह मामले की सुनवाई के लिए रायबरेली जा रही थी। जब वह गौरा मोड़ के पास पहुंची थी तभी पहले से मौजूद गांव के हरिशंकर त्रिवेदी, रामकिशोर त्रिवेदी, उमेश बाजपेयी और बलात्कार के आरोपी शिवम त्रिवेदी, शुभम त्रिवेदी ने उस पर हमला कर दिया और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शिवम और शुभम त्रिवेदी ने दिसंबर 2018 में उसे अगवा कर उससे बलात्कार किया था। हालांकि इस संबंध में प्राथमिकी मार्च में दर्ज की गई थी।

पुलिस के अनुसार पीड़िता अधजली अवस्था में काफी दूर तक दौड़ कर आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने जब उसे देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाद में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए लखनऊ के लिए रेफर कर दिया था, जहां से उसे दिल्ली लाया गया।

मारे गए आरोपियों के खिलाफ हमले का मामला दर्ज

पेज 1 का बाकी

की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि चारों आरोपियों के साथ गए पुलिस दल के प्रभारी की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। गौरतलब है कि 25 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के सभी चारों आरोपी शुक्रवार तड़के यहां चट्टनपल्ली में उस समय पुलिस की जवाबी गोलीबारी में मारे गए जब उन्हें पीड़िता का फोन और मामले से जुड़े अन्य सामान बरामद करने के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया था। साइबराबाद पुलिस ने बताया था कि दो आरोपियों ने उनके हथियार छीनकर उन पर गोलियां चलाई और बाकी के आरोपियों ने पत्थर तथा डंडों से हमला किया जिसमें दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी।

महबूबनगर जिले के सरकारी जिला अस्पताल में चारों आरोपियों का पोस्टमार्टम किया गया और उसकी वीडियोग्राफी की गई। 20 और 26 साल की आयु के बीच के चारों आरोपियों को महिला का बलात्कार करने और उसका गला घोंटकर तथा बाद में उसे जलाकर उसकी हत्या करने के आरोप में 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया।

निर्भया कांड : दया याचिका वापस लेने की मांग की दोषी ने

पेज 1 का बाकी

ओर से संभावित याचिका दायर करने या लंबित रहने सहित तमाम कानूनी विकल्प खत्म नहीं हो जाते मुझे दया याचिका वापस करने की अनुमति दी जाए, जिसे बिना मेरी सहमति और हस्ताक्षर भेजी गई है। अपने वकील एपी सिंह के जरिए भेजी चिट्ठी में शर्मा ने कहा कि इसके साथ ही आपसे अंतरिम तौर पर दया याचिका पर कोई फैसला नहीं करने का आग्रह करता हूं। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में शर्मा ने कहा कि दया याचिका फर्जीवाड़ा करके भेजी गई है, जिसके साथ मामले की पृष्ठभूमि को बताने वाले दस्तावेज और अहम तथ्य संलग्न नहीं किए गए हैं, ताकि यह खारिज हो जाए। दोषी ने कहा कि उसकी दया याचिका पर कोई कदम अन्याय होगा, क्योंकि अभी भी उसके कानूनी विकल्प खत्म होने बाकी हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को हाल में निर्देश दिया था कि वे चारों दोषियों को 13 दिसंबर को उसके समक्ष पेश करे, ताकि वे अपनी याचिकाओं की स्थिति की जानकारी दे सके। न्यायालय ने यह निर्देश पीड़िता के माता-पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें जेल प्रशासन को सजा पर अमल करने का निर्देश देने की मांग की गई है

मानवाधिकार आयोग ने शुरू की हैदराबाद मुठभेड़ की जांच

पेज 1 का बाकी

है जहां 27 नवंबर की रात महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। चारों आरोपियों का पोस्टमार्टम महबूबनगर जिले के सरकारी जिला अस्पताल में हुआ और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह चारों आरोपियों के शव नौ दिसंबर को रात आठ बजे तक सुरक्षित रखे।

अगवा कर लड़की से सामूहिक बलात्कार

पेज 1 का बाकी

दबाव बनाया तो कहा कि सुबह तक इंतजार कर लें। इस बीच लड़की लौट आएगी। किसी जानकार के पास गई होगी। परिजन लड़की की तलाश करते रहे, लेकिन नहीं मिली।

अगले दिन दोपहर स्कूल के बाद करीब दो बजे पीड़िता घर पहुंची तो उसकी बुआ ने पूछा कि कहां थी? उसने आपबीती बता दी, जिसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस इसके बाद भी मामला दर्ज करने में आनाकानी करती रही।

बाद में गांव के कई लोग थाने पहुंचे। इस मामले में आरोपी लड़के के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सामूहिक बलात्कार पीड़िता ने की आत्महत्या

कानपुर, 7 दिसंबर (भाषा)।

कानपुर में शुक्रवार की रात एक सामूहिक बलात्कार पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (कानपुर देहात) अनुराग वत्स ने शनिवार को बताया कि 17 वर्षीय लड़की ने अपने दुपट्टे से फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। उस समय उसके परिजन घर पर नहीं थे। वत्स ने बताया कि लड़की कानपुर देहात की रहने वाली थी। उन्होंने बताया कि उसे पड़ोस का ही एक युवक और उसके चाचा 13 नवंबर को अगवा कर ले गए थे। उन्होंने बताया कि सनी और उसके चाचा लाला के खिलाफ लड़की के माता-पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

थाना प्रभारी सैयद मोहम्मद अब्बास ने बताया कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के एक दिन बाद लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची और माता-पिता को आपबीती बताई। अब्बास ने कहा कि पीड़िता ने बताया है कि सनी और लाला ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया है। थाना प्रभारी राकेश कुमार मौर्या ने बताया कि मृतका ने कोई पत्र नहीं छोड़ा है।

झारखंड : दूसरे चरण में 64.39 फीसद हुआ मतदान

पेज 1 का बाकी

कुछ अन्य इलाकों से मतदान के आंकड़े प्राप्त होने के बाद मतदान फीसद में और बढ़ोत्तरी हो सकती है। इस चरण में जमशेदपुर पूर्वी सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं, जहां राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ उनकी ही सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए पांच चरणों में 20 दिसंबर तक मतदान होना है। पहले चरण में 13 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान हुआ था। मतगणना 23 दिसंबर को होगी।

दूसरे चरण के मतदान के दौरान सिसई में कुछ असामाजिक तत्वों ने सुरक्षा बलों के हथियार छीनने की कोशिश की जिसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। सिसई विधानसभा क्षेत्र के छारदा पंचायत क्षेत्र में बभनी गांव स्थित मतदान केन्द्र संख्या 36 पर सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने क्रोधित होकर पथराव प्रारंभ कर दिया और इस मतदान केंद्र पर मतदान रोक देना पड़ा।

अपर पुलिस महानिदेशक एवं झारखंड चुनावों में सुरक्षा मामलों के नोडल अधिकारी मुरारीलाल मीणा ने बताया कि सिसई में सुबह ग्रामीणों और सुरक्षाकर्मियों में किसी बात को लेकर झड़प हो गई जिसका लाभ उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने बूथ नंबर 36 पर आरपीएफ के जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की।

इसके बाद आरपीएफ की गोलीबारी में एक ग्रामीण की मौत हो गई और अन्य दो व्यक्ति घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।

पाक को सबक सिखाने में सेना सक्षम : राजनाथ

पेज 1 का बाकी

कहा कि हमारी हमारी सेना के नवोदित सैन्य अफसर पाकिस्तान को करारा जबाव देने के लिए तैयार रहें। उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत में आतंकी हमलों के गुनाहगार पाकिस्तान में छुपे हुए हैं अब वह दिन दूर नहीं जब यह आतंकवादी भारतीय खुफिया एजंसी और भारतीय सुरक्षाबलों से ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सेना दुश्मन देश किसी भी साजिश का करारा जवाब देने में सक्षम है। कोई भी देश हमारी शांतिप्रिय की नीति को हमारी कमजोरी ना समझें।

377 कैडेट पासआउट हुए : आज देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में 377 कैडेट पासआउट हुए। जिनमें 306 अफसर भारतीय सेना में शामिल हुए और 71 सैन्य अफसर मित्र देशों की सेना में शामिल हुए। सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स के रूप में विनय विलास गर्ग को स्वर्ण पदक तथा स्वोर्ड आफ ऑनर से सम्मानित किया गया। कैडेट विकेंद्र सिंह को रजत पदक और कैडेट ध्रुव केहला को ताम्र पदक से सम्मानित किया गया। पासिंग आउट परेड में इस बार उत्तराखंड राज्य के 19 कैडेट पास आउट होकर भारतीय सेना में बतौर अफसर शामिल हुए। इस बार की पासिंग आउट परेड में सबसे अधिक सैन्य अफसर उत्तर प्रदेश से 56 कैडेट पास आउट होकर सेना में अधिकारी बने। इसके बाद हरियाणा से 39, बिहार से 24, राजस्थान से 21, महाराष्ट्र से 19, हिमाचल से 18, दिल्ली से 16, पंजाब से 11, मध्य प्रदेश से 10, केरल से 10, तमिलनाडु से 9, कर्नाटक से 7, आंध्र प्रदेश से 6, जम्मू-कश्मीर से 6, पश्चिम बंगाल से 6, तेलंगाना से 5, मणिपुर से 4, चंडीगढ़ से 4, झारखंड से 4, असम से 2, अंडमान निकोबार से 1, मिजोरम से 1, उड़ीसा से 1, सिक्किम से 1 व मिजोरम से 1 कैट्स हैं।

मित्र देशों के पास आउट होने वाले कैडेट्स में सबसे अधिक तादाद अफगानिस्तान की है। यहां के 47 कैडेट पास आउट हुए। दूसरे नंबर पर भूटान देश है। जिसके 12 कैडेट्स पासिंग आउट परेड पूरी कर अपने देश की सेना में अफसर बनें। मित्र देशों की सेना में सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट भूटान के बांग चुक को सम्मानित किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर कैरन कंपनी को मिला।

बंधक बनाए 18 भारतीयों को छुड़ाने की कवायद

पेज 1 का बाकी

के आधार पर विदेश मंत्रालय ने कार्रवाई की। जहाज के इंजीनियर विजय तिवारी और उनकी पत्नी अंजु रायपुर की रहने वाली हैं। उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी। यह मालवाही जहाज सिंगापुर से नाइजीरिया गया था। नाइजीरिया के समुद्र तटीय इलाके में पहुंचने पर इस जहाज को वहां के लुटेरों ने अगवा कर लिया।

नाइजीरिया के बोन्नी आफशोर टर्मिनल के पास से एंग्लों ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कंपनी का यह जहाज भारतीय समय के अनुसार मंगलवार की रात एक बजे अगवा किया गया। विजय तिवारी जहाज के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वह चार महीने के लिए जहाज के सफर पर निकले थे और अपनी पत्नी को संग ले गए थे।

समुद्री लुटेरों के हमले के दौरान वे अपनी टीम के साथ जहाज के टॉप फ्लोर में काम कर रहे थे। उनकी पत्नी मोबाइल पर परिवार वालों के साथ बात कर रही थीं। उसी समय लुटेरों ने धावा बोला और चालक दल के अन्य सदस्यों के साथ उन्हें अगवा कर लिया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, शिपिंग कंपनी से भी संपर्क किया गया है। लुटेरों की ओर से अब तक कोई मांग नहीं आई है। वे सभी लोगों को कहां लेकर गए हैं, यह भी पता नहीं चल पाया है।

कारोबारियों के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की तलाशी

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (भाषा)।

आयकर विभाग ने शेयर डेरिवेटिव (वायदा/विकल्प) अनुबंधों के बाजार में खरीदारों के अभाव में ठंडे पड़े शेयरों के कारोबार में कथित हेराफेरी की जांच के सिलसिले में देश भर में कुछ शेयर ब्रोकरों तथा कारोबारियों के ठिकानों की तलाशी ली है। विभाग के अनुसार विभिन्न इकाइयों ने डेरिवेटिव बाजार में ठंडे पड़े शेयरों के विकल्प के अनुबंधों के लेन-देन माध्यम से हजारों करोड़ रुपये का लाभ/हानि दिखाने की धोखाधड़ी की है।

आयकर विभाग ने शनिवार को एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई मुंबई, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद और गाजियाबाद में 39 से अधिक जगहों पर की गई। विभाग ने कहा कि ये ब्रोकर बीएसई में इक्विटी डेरिवेटिव श्रेणी में बिना पूछ के पड़े शेयरों तथा तथा विदेशी-विनियम डेरिवेटिव खंड में हिस्सेदारी बेचकर लाभ/हानि समायोजित कराने के गोरखधंधे में संलिप्त थे। इस कार्रवाई से इन ब्रोकरों और व्यापारी द्वारा इस कथित घपले के तौरतरीकों का भी पता चलता है। बयान में कहा गया है, 'इन अनैतिक इकाइयों ने इन तौर-तरीकों के माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की लाभ-हानि का समायोजन किया है।

बेटी से बलात्कार और जहर देने के आरोप में गिरफ्तार

चंडीगढ़, 7 दिसंबर (भाषा)।

हरियाणा पुलिस ने अपनी बेटी से बलात्कार करने और अपराध छिपाने के लिए उसे जहर देकर मारने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) गोरखपाल ने रोहतक में शनिवार को पत्रकारों को बताया कि आरोपी को शुक्रवार को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। फैक्टरी में काम करने वाले आरोपी के अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं और पति-पत्नी पिछले छह महीने से रोहतक में अलग-अलग रह रहे थे।

डीएसपी ने कहा कि बच्चे रात में अपने पिता के घर पर सोते थे और वह सुबह काम पर जाने से पहले बच्चों को अपनी पत्नी के आवास पर छोड़ देता था। 27 और 28 नवंबर की रात आरोपी ने अपनी बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और फिर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

डीएसपी ने कहा कि इस डर कि वजह से कि कहीं वह अपनी मां को इस घटना के बारे में न बता दे, उसने उसे जान से मारने की योजना बनाई। अधिकारी ने कहा, 'दो दिसंबर को वह बाजार से चूहे मारने का जहर खरीद कर लाया और उसे आटे में मिलाकर अपनी बेटी को दे दिया। तीन दिसंबर को उसकी हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आरोपी उसी दिन वहां से फरार हो गया। इसके बाद उसकी मां की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई।' बिहार निवासी आरोपी पहले पानीपत भागा, इसके बाद दिल्ली आया और फिर इंदौर चला गया, जहां से उसे हिरासत में लेकर कर वापस लाया गया।

धरने पर अखिलेश, परिजनों से मिलने पहुंची प्रियंका

पेज 1 का बाकी

आनंदी बेन पटेल से मुलाकात करके कानून-व्यवस्था के मामले पर उनसे हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राज्य मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया। उन्नाव में दिवंगत पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण और क्षेत्रीय सांसद साक्षी महाराज का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव करके नारेबाजी की।

पीड़िता की मौत की खबर के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव विधानभवन के मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने इसे काला दिन करार देते हुए इस घटना के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया और एलान किया कि इस घटना के खिलाफ रविवार को समाजवादी पार्टी प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर शोक सभा का आयोजन करेगी।

दूसरी ओर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कथित बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद उसके परिजनों से मुलाकात करने के लिए उन्नाव पहुंचीं। उन्होंने कहा, 'आरोपियों द्वारा परिवार को पूरी तरह प्रताड़ित किया गया। बच्ची को धमकाया गया कि स्कूल से तुम्हारा नाम कटवा देंगे। उसके पिता जी को मारापीटा। जून में उनकी खेती जला दी। उसके बाद यह सबकुछ हुआ है।' कांग्रेस महासचिव ने पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों का बचाव किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा, 'मैंने सुना है कि आरोपितों में से एक ग्राम प्रधान भाजपा से जुड़े हैं। हो सकता है कि उनका किसी तरह से बचाव किया गया हो। पहले भी हमने देखा है कि बड़े-बड़े आरोपी रहे हैं, जिनकी रक्षा की गई है।'

उधर, बसपा प्रमुख मायावती ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उनसे प्रदेश की खराब कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए उनसे हस्तक्षेप की मांग की। राजभवन से निकल कर उन्होंने कहा, 'मैंने राज्यपाल को एहसास कराया कि आप एक महिला भी हैं और गर्वनर भी हैं। आप महिला होने के नाते संवैधानिक पद का इस्तेमाल करते हुए यहां की सरकार को सख्ती से निर्देश दें।' इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी घटनाओं का संज्ञान ले और केंद्र को जरूरी निर्देश दे।

इससे पहले घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राज्य मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया। उन्नाव में दिवंगत पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण और क्षेत्रीय सांसद साक्षी महाराज का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव करके नारेबाजी की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहुंचे इन मंत्रियों को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका कड़ा विरोध किया। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो उन्होंने विरोध किया। इस पर पुलिस ने बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ा और दोनों मंत्रियों और सांसद को पीड़िता के घर पहुंचाया।

www.readwhere.com

नेपाल में मासिक धर्म झोपड़ी में महिला की मौत

काठमांडू, 7 दिसंबर (एएफपी)।

नेपाल पुलिस ने मासिक धर्म झोपड़ी में एक महिला की मौत के बाद उसके बहनोई को हिरासत में ले लिया है। इस गैरकानूनी परंपरा के तहत इसे पहली गिरफ्तारी माना जा रहा है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

नेपाल में विभिन्न समुदाय मासिक धर्म से गुजरने वाली महिलाओं को अपवित्र मानते हैं और सदियों पुरानी छौपदी कुप्रथा के तहत दूरदराज के कुछ इलाकों में उन्हें घर से बाहर झोड़पियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है।

इस कुप्रथा में हर साल झोपड़ी में रहने वाली कई महिलाओं की दम घुटने, सांप के काटने या जानवरों के हमले से मौत हो जाती है। पार्वती बुदा रावत नामक एक महिला रविवार को पश्चिमी अछाम जिले में एक झोपड़ी में मृत पाई गई थीं। बताया गया कि उनकी मौत झोपड़ी को गर्म रखने के लिए जलाई आग से उठे धुएं के कारण दम घुटना बताई गई है।

स्थानीय पुलिस अधिकारी जनक बहादुर शाही ने बताया, हमने कल पीड़िता के बहनोई को गिरफ्तार किया। संदेह है कि वह भी पीड़िता

स्थानीय पुलिस अधिकारी जनक बहादुर शाही ने बताया, हमने कल पीड़िता के बहनोई को गिरफ्तार किया। संदेह है कि वह भी पीड़िता को झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर करने वालों में शामिल था। छौपदी परंपरा के खिलाफ काम कर रहीं कार्यकर्ता राधा पौडेल ने कहा, यह इस तरह के मामलों में पहली गिरफ्तारी है।

को झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर करने वालों में शामिल था। छौपदी परंपरा के खिलाफ काम कर रहीं कार्यकर्ता राधा पौडेल ने कहा, मुझे लगता है कि यह इस तरह के मामलों में पहली गिरफ्तारी है। अगर वह व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसे पिछले साल लाए गए कानून के तहत तीन महीने की जेल की सजा सुनाई जा सकती है और तीन हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, यह देखना सकारात्मक है कि पुलिस ने पूरी सक्रियता दिखाई। इससे लोगों को इस परंपरा का पालन करने से रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन इसका अंत होने में अभी काफी समय लगेगा। रावत की मौत इस साल हुई कम से कम तीसरी मौत है। इससे पहले पड़ोसी जिलों में मासिक धर्म झोपड़ियों में दम घुटने से दो महिलाओं की मौत हो चुकी है।

पौडेल ने कहा कि कई बार मौत के मामले सामने नहीं आते और जो सामने आते हैं उनमें अधिकारी परिवार के सदस्यों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। छौपदी को 2005 में गैरकानूनी करार दिया जा चुका है, लेकिन नेपाल के कई इलाकों विशेषकर दूरदराज के इलाकों में यह कुप्रथा अब भी जारी है।

–नजफ (इराक), 7 दिसंबर (एएफपी)। इराक के धार्मिक शहर नजफ में इराकी धर्मगुरु मुक्तदा सदर के घर पर शनिवार तड़के एक ड्रोन ने बम गिराकर हमला किया। हालांकि, सदर देश में नहीं हैं। उनकी पार्टी के सूत्रों ने एएफपी को यह जानकारी दी।

अमेरिका-भारत के बीच तेजी से मजबूत हो रही है साझेदारी : श्रृंगला

वाशिंगटन, 7 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका में भारत के राजदूत ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच 18 दिसंबर को होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले यह बयान आया है।

अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज में 'हार्वर्ड कैनेडी स्कूल' के छात्रों और शिक्षकों से कहा, 'भारत की विकास कहानी में अमेरिका के साथ उसकी सहज साझेदारी हमेशा विद्यमान रही है। साझेदारी रणनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में तेजी से मजबूत हो रही है।' उन्होंने कहा, 'हमारे रक्षा खरीद संबंध पिछले 15 साल में शून्य से लगभग 20 अरब डॉलर हुए हैं। भारत अब अमेरिका का एक प्रमुख रक्षा साझीदार है। हमने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और हमारी सेनाएं भी लगातार एक दूसरे के साथ अभ्यास कर रही हैं।'

श्रृंगला ने कहा कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार हर साल दस फीसद बढ़ रहा है, जो कि 2018 में 145 अरब डॉलर हो गया था और अब यह अधिक संतुलित भी है।

उन्होंने कहा कि निवेश संबंध भी द्वि-दिशात्मक है। करीब 2,000 अमेरिकी कंपनियों ने भारत में मौजूदा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में 40 अरब डॉलर का निवेश किया है। वहीं 200 भारतीय कंपनियों ने भी अमेरिका में 18 अरब डॉलर का निवेश किया है, जिससे सीधे-सीधे एक लाख नौकरियों का सृजन हुआ है। उन्होंने कहा, '' ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी साझीदारी भी भारत के साथ बढ़ रही है।

लंदन में मारा गया आतंकवादी पीओके में दफन

लाहौर/ इस्लामाबाद, 7 दिसंबर (भाषा)।

ब्रिटेन में दोषी करार दिए गए आतंकवादी और लंदन ब्रिज पर हमला कर दो लोगों की हत्या करने पर स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा मार गिराए गए उस्मान खान को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) स्थित उसके पैतृक गांव में दफनाया गया है। हालांकि, पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।

NISHANT INBUILD LIMITED
CIN: L74899DL2006PLC145669
Regd. Off.: Shop No. 33, First Floor, Kishan Ganj Market, Old Rohtak Road, Delhi-110007
Email ID: inbuildnishant@gmail.com; Tel: 09999841041

NOTICE

In terms of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 14th December,2019 at 4:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, at Shop No. 33, First Floor, Kishan Ganj Market, Old Rohtak Road, Delhi - 110007, inter-alia to consider and take on record the company's Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September,2019and any other relevant matter.
Further we wish to inform you that pursuant to Company's Code of Conduct read with Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the 'Trading Window' for dealing/trading in the securities of the Company by designated persons of the Company and their relatives, shall remain closed from 1st October, 2019 to 16th December, 2019 (both days inclusive).

For Nishant Inbuild Limited
Sd/-
Dhirendra Kumar Gupta
(Managing Director)
Date : 07.12.2019
Place : Delhi

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग- प्रथम, जयपुर

क्रमांक- अमुअ/ जोन-प्रथम/ निविदा संख्या 07/2019-20/ डी-1962 दिनांकः 5.12.19

निविदा सूचना संख्या- 07/ 2019-20

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सा.नि.वि. संभाग- प्रथम, जयपुर के अधीन भवन निर्माण कार्यों हेतु मय तीन वर्ष कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड) के साथ उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/ केंद्र सरकार के अधिकृत संगठनों/ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/ डाक एवं दूर संचार विभाग/ रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के ''एए'', ए श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के माध्यम से ऑन लाईन निविदा प्राप्त की जावेगी। ई-निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट http://dipr.rajasthan.gov.in/ tenders.asp व http://www.pwd.rajasthan.gov.in/ व http://eproc.rajasthan.gov.in व http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	UBN
1.	राज्य संस्कृत संस्थान के शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण भवन, महापुरा, जयपुर का निर्माण कार्य।	PWD1920WLOB11012

हस्ता./-
(सुनील सक्सैना)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता
सा.नि.वि. संभाग- प्रथम, जयपुर
DIPR/C/10518/2019

JAGSON AIRLINES LIMITED
Regd. Office: 18B, S.D.A. Complex, Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh-141009. CIN: L63040HP1994PLC019011

NOTICE

Notice is hereby Given that a Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 09:30 A.M. on 07/12/2019 has convened on time at the venue, and then adjourned to same time, same venue on 27/12/2019 at 09.30 A.M as quorum was not present.

By Order of the Board of Directors
For Jagson Airlines Limited
Sd/-
Jagdish Pershad Gupta
Chairman
Place : New Delhi
Date : 07.12.2019

PMC FINCORP LIMITED
Corporate Office : 14/5, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060
Regd. Office : B-10, VIP Colony, Civil Lines, Rampur, U.P. - 244901
Email ID: pritimercantile@gmail.com; website: www.pmcfinance.in;
Tel: 011-42436846, CIN: L27109UP1985PLC006998

NOTICE

In terms of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 14th December, 2019 at 4:30 P.M. at the Corporate Office of the Company, at 14/5, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 110060, inter-alia to consider and take on record the company's Un-audited Standalone Financial Results for the Quarter and Half year ended 30th September, 2019 and any other relevant matter.
Further we wish to inform you that pursuant to Company's Code of Conduct read with Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the 'Trading Window' for dealing/trading in the securities of the Company by designated persons of the Company and their relatives, shall remain closed from 1st October, 2019 to 16th December, 2019 (both days inclusive).

For PMC Fincorp Limited
Sd/-
Ms. Chetna Sajwan
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: ACS 60209
Date : 07.12.2019
Place : New Delhi

प्रपत्र सं. 5

ऋण वसूली अधिकरण

6001/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के निकट, लखनऊ-226007
(क्षेत्राधिकार - उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल का भाग)

प्रकाशन द्वारा जवाब दाखिल करने तथा उपस्थिति के लिये समन्स

ओ.ए. नं. 856/2019 तिथिः 30.11.2019

(ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के अंतर्गत प्रतिवादियों के लिये समन्स)

मूल आवेदन सं.: 2019 का 856

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ..... **आवेदक बैंक**

बनाम

श्री राहुल एवं अन्य ..... **प्रतिवादीगण**

1. श्री राहुल, पुत्र स्वं. बुधवीर सिंह, निवासीः डी-76, जी.एफ. एसएलएफ वेद विहार, लोनी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001
2. श्री मनीश शर्मा, पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा निवासीः डी-2/109, दयालपुर, दिल्ली

ऊपर वर्णित आवेदन में आपको इस अधिकरण में व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने विधिवत अधिकृत एजेन्ट अथवा विधिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से दो सेट में पेपर बुक पद्धत्ति में अपना जवाब तथा शपथ-पत्र (यदि कोई हो) दाखिल करना होगा तथा समन के प्रकाशन के बाद आवेदक अथवा उसके सलाहकार/विधिवत अधिकृत एजेन्ट को उसकी प्रति सर्व करने के बाद 30.01.2020 को 10.30 बजे पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना होगा जिसमें विफल रहने पर आवेदन की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जायेगी।

कोर्ट की मुहर

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

केनरा बैंक Canara Bank (A Govt. of India undertaking)
केनरा बैंक, सरिता विहार शाखा, नई दिल्ली -110076

शुद्धिपत्र

यह **जनसत्ता (दिल्ली/एनसीआर- हिंदी संस्करण) में 05-12-2019 को पेज नं. 11** पर प्रकाशित **मैसर्स फलक इंटरनेशनल** की संपत्ति की सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत 20-12-2019 को ई-नीलामी आयोजित की जाने के लिए बिक्री सूचना के संदर्भ में है।
जनसत्ता के दिल्ली/एनसीआर -हिंदी संस्करण में **05-12-2019** को प्रकाशित बिक्री सूचना में **''केनरा बैंक, सरिता विहार, शखा, नई दिल्ली -1110076''** को **''केनरा बैंक, सरिता विहार शाखा, नई दिल्ली -110076''** तथा **''ई-नीलामी 02-12-2019''** को **''ई-नीलामी 20-12-2019''** के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। उपरोक्त समाचार पत्र में ई-नीलामी के अन्य सभी नियम और शर्तें समान हैं।

दिनांकः 06.12.2019, स्थानः नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

unitech
यूनीटेक लिमिटेड
CIN: L74899DL1971PLC009720
पंजीकृत कार्यालयः बेस्मेन्ट, 6, कम्युनिटी सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017
टेली/फैक्सः- 11-26857338,
E-mail: share.dept@unitechgroup.com
Web: www.unitechgroup.com

सूचना

बोर्ड की बैठक का स्थगन

15 नवम्बर, 2019 को 'द फाइनांसियल एक्सप्रैस' तथा ''जनसत्ता'' में अन्य बातों के अलावे 30 सितम्बर, 2019, को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की स्वीकृति की सूचना देने के लिए प्रकाशित विज्ञापन की सूचना के अधिक्रम में सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 (3) (एच) की अपेक्षाओं के अनुपालन की प्रक्रिया में है। उक्त अपेक्षा को देखते हुए अन्य निदेशकों के साथ विचार-विमर्श के बाद कम्पनी के अध्यक्ष ने शनिवार, 4 जनवरी, 2020 तक बोर्ड की बैठक को निलम्बित/स्थगित करने का फैसला किया है। तद्नुसार, 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा अन्य संबंधित व्यवसायों पर अब शनिवार, 4 जनवरी, 2020 को विचार किए जाएंगे।
पुनः बोर्ड की बैठक के उपरोक्त स्थगन को देखते हुए सूचित किया जाता है कि अब ट्रेडिंग विण्डो बंद रहने की अवधि 4 जनवरी, 2020 को इन परिणामों को सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी।
निवेशकगण www.unitechgroup.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com भी देख सकते हैं।

यूनिटेक लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
गुरुग्राम — रमेश चन्द्रा
7 दिसम्बर, 2019 — कार्यकारी अध्यक्ष

Office of the Chief Engineer
Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board
Cancellation Notice
(e-Tender ID2019_SMVDSB_84592_1)

Due to Technical glitch reported by prospective Bidders while uploading the BOQ, the Tender Document and BOQ is again required to be uploaded. Therefore, the e-NIT No. MVE/19/2072 Dt.: 25.10.2019 is hereby withdrawn/cancelled. The Fresh Bid Document is being uploaded at the Website: **http://jktenders.gov.in** and shall be ready for downloading w.e.f. 10.12.2019.

Sd/-
Executive Engineer,
SMVDSB
No.: MVE/19/2436
Dated: 06.12.2019

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
शाखा का पताः टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि., 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055, पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टावर ए 1101, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना
ऋण खाता सं. 5518392, 6130455, 6130466 - मीठी इन्टेरिअर्स प्रा.लि.

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की 1. मीठी इन्टेरिअर्स प्रा.लि., द्वारा उसके निदेशक श्री मिथिलेश झा, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075, 2. मिथिलेश कुमार झा, पुत्र राजेन्दर झा, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075 साथ हीः फ्लैट नं. 70, छठा तल, मंजिल अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 7, सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली-110075 साथ हीः ए-93, प्लॉट नं. 3डी, अप्पू एन्क्लेव, सीजएचएस, सेक्टर-11, फेज, द्वारका, नई दिल्ली-110075, राजेन्द्र झा के कानूनी उत्तराधिकारी, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075, 3. अन्नपूर्णा झा, पत्नी स्व. राजेन्दर झा, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ हीः फ्लैट नं. 70, छठा तल, मंजिल अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 7, सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ हीः यूनिट नं. टी-2 से टी 9, तीसरा तल, पंकेज आर्केड, एमएलयू पॉकेट, सेक्टर 5, प्लॉट नं. 16, द्वारका, नई दिल्ली-110075 से 16 मई, 2019 को कुल राशि की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है'' एवं ''जो भी वहां है'' आधार पर 26 दिसम्बर, 2019 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 16 मई, 2019 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ ऋण खाता सं. 6130466 में रु. 2,65,96,607/- (रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख छियानवे हजार छः सौ सात मात्र) ऋण खाता सं. 6130455 में रु. 46,87,081.49/-, ऋण खाता सं. 5518392 में रु. 3,74,065/-, ऋण खाता सं. 551832 में रु. 2,15,35,461/-) की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की **7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-110055** में उक्त **26 दिसम्बर, 2019 को 2.00 बजे** अप. में ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के **प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी उक्त 24 दिसम्बर, 2019 के 5.00 बजे अप.** तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	कब्जा का प्रकार रचनात्मक/भौतिक	आरक्षित मूल्य रु.	धरोहर राशि (रु.)
पंकज मार्केट, प्लॉट नं. 16, एमएलयू पॉकेट, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में स्थित तीसरे तल पर कॉमर्शियल शॉप/ कार्यालय यूनिट नं. टी 2, 3, टी 4, टी 5, टी 6, टी 7, टी 8, टी 9 जिसका विस्तृत विवरण बिक्री प्रलेख में दिया गया है।	भौतिक	रु. 2,40,22,700/-	रु. 24,02,270/-

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री रोक दी जायेगी। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 26 दिस., 2019 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://disposalhub.com के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- होगी।
4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ **''टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.''** के पक्ष में **देय दिल्ली में भुगतान योग्य** डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्तें वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण **23 दिसम्बर, 2019 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं** तक किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल पच्चीस प्रतिशत क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा तथा उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी तथा उस समय तक जमा की गई सभी राशि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की ईच्छा पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
10. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणोंः शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाताः मै. नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड, नामः हमारे बिक्री पार्टनर का क्लाइन्ट सर्विस डेलिवरी (सीएसडी), ईमेल आईडीः csd@disposalhub.com, टेली. नं.: +91-124 4233933, मोबाईल नं. +91-9810029926 से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. टिप्पणीः इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री आयन भट्टाचार्य, ई-मेल आईडीः ayanbhattacharya@TataCapital.com तथा मोबाईल नं. 7290010751 से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् **https://www.tatacapital.com/tcfsl.html** में दी गई लिंक देखें।

स्थानः दिल्ली — हस्ता./- (आयन भट्टाचार्य)
तिथिः 8.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

Form A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S ANNIES APPAREL PRIVATE LIMITED

	RELEVANT PARTICULARS	
1.	Name of corporate debtor	ANNIES APPAREL PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	01/02/1993
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Companies Act, 1956, Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, New Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U51311DL1993PTC051933
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	**Registered Office:** 2764/17, 2nd Floor, Hamilton Road, Mori Gate, Delhi-110006 Corporate Office: Flat No. 101, Vasu Villa, Amar Jyoti SOC. Compound opp. Telephone exchange. S.V. Road, Kandivali (West) Mumbai 400067
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	03rd December, 2019 (Order was delivered on 03/12/2019 by Hon'ble NCLT, Delhi- Principal Bench in C.P. No. IB-1689/(PB)/2019 and copy of order received by IRP through email from NCLT on 06/12/2019)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	31st May, 2020
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Rajiv Bajaj IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	4/180, Ground Floor Backside, Subhash Nagar, New Delhi-110027 **Email: rbajajip@gmail.com**
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	4/180, Ground Floor Backside, Subhash Nagar, New Delhi-110027 **Email: cirpannies@gmail.com**
11.	Last date for submission of claims	20th December, 2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	**Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address: Not Applicable**

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **ANNIES APPAREL PRIVATE LIMITED** on 03rd December, 2019, however order was delivered on 03/12/2019 by Hon'ble NCLT, Delhi- Principal Bench in C.P. No. IB-1689/(PB)/2019 and copy of order received by IRP through email from NCLT on 06/12/2019.
The creditors of **ANNIES APPAREL PRIVATE LIMITED**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **20th December, 2019** to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Rajiv Bajaj
Date : 08/12/2019 — IRP of **ANNIES APPAREL PRIVATE LIMITED**
Place: New Delhi — **IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834**

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, CIN No. U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित तिथि से उस पर बयाज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालयः दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज़ रोड–1, नई दिल्ली–110005,
फोन : **011-28754615, 28754642,** ईमेल : **dlirec@corpbank.co.in,** वेबसाईट : **www.corpbank.com**

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता कॉर्पोरेशन बैंक से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **23.12.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

शाखा का नाम एवं पता : एआरएमबी शाखा फोन नं. 011- 28752985, 28752995, 28752993

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	कर्जदारः मैसर्स वृंदा क्राफ्ट्स प्रा. लि., पंजी. कार्यालयः I–1806, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली–110005 शो रूम पताः मैसर्स वृन्दा क्राफ्ट प्रा. लि. कॉर्यालय नं. 102, प्रथम तल, सॉलिटेयर प्लाजा, मेन गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली– 110005, गारंटरः 1. श्री राजीव गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चंद गुप्ता, I–1806, चितरंजन रोड नई दिल्ली– 110019 2. श्री संजीव गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चंद गुप्ता I–1806, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली–110019 3. श्रीमती नीरू गुप्ता पत्नी श्री संजीव गुप्ता, I–1806, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली–110019 4. श्रीमती अंजू गुप्ता पत्नी राजीव गुप्ता I–1806, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली–110019, 5. मैसर्स जगदीश रत्न प्रा. लि. पंजी. कॉर्यालयः 3324, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली –110005	₹ 10,69,57,446.54 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 1 "Skoda Octavia, Registration no. DL-8CAK-9911, Chassis No. TMBBJCNE4FA006463, YEAR OF MANUFACTURE – 07/2015"
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **5,50,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **55,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/vrinda_crafts_private_limited_0.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	उधारकर्ताः याली इंटरनेशनल, बी 1 डीडीए कॉलोनी बी ब्लॉक, शाहदरा दिल्ली 32 प्रोपराइटर का नामः श्री अब्बास हैदर गारंटरः जावेद हुसैन	₹ 2,27,10,406.12 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 2 बेसमेंट तल और भूतल का आधा भाग, तीन मंजिला बिल्डिंग, सम्पत्ति नं. बी–1, क्षेत्रफल 2260 वर्ग फीट, अर्थात 209 वर्ग मी., न्यू ज़फ़ाराबाद, दिल्ली – 110032 में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **70,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **7,00,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/yaali_international__3.pdf
सम्पत्ति नं. 3 सम्पूर्ण प्रथम तल, बिल्डिंग नं. बी–1, पर निर्मित क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट अर्थात 139.95 वर्ग मी., सम्पत्ति नं. बी–1, जोकि न्यू ज़फ़ाराबाद, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **72,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **7,20,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/yaali_international__3.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	कर्जदारः पवित्रा मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 104, 103 प्रथम तल, टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, हरियाणा, प्रोपराईटर का नामः श्री श्री भगवान, गारंटरः 1. श्री भगवान, मकान नं. 5 चक्करपुर, सिद्धि गणेश मंदिर के पास, डीएलएफ फेज़– I I, गुड़गांव, हरियाणा **2. गुनीता, मकान नं. 5, चक्करपुर सिद्धि गणेश मंदिर के पास, डीएलएफ फेज –IV, गुड़गांव, 3. दयावती, मकान नं. 43, गाँव चक्करपुर, तहसील गुड़गांव, 4. हरकेश यादव, मकान नं. 43, गाँव चक्करपुर, तहसील गुड़गांव**	₹ 16,43,16,295.10 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 4 साम्यिक बंधक औद्योगिक सम्पत्ति नं. 3 प्लॉट नं. एच–83, एच1–103 और एच1–104, औद्योगिक क्षेत्र, ईपीआईपी, नीमराणा, दिल्ली जयपुर हाईवे, एनएच–8, नीमराणा, जिला अलवर, राजस्थान
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **3,11,83,200/-** जमा धरोहर राशि रु. **31,18,320/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/pavitra_milk_products_private_limited_0.pdf
सम्पत्ति नं. 5 प्लांट एवं मशीनरी
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **3,17,82,600/-** जमा धरोहर राशि रु. **31,78,260/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/pavitra_milk_products_private_limited_0.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	उधारकर्ता : मैसर्स क्रिसेंट मार्बल प्राइवेट लिमिटेड, के –41/42, शाहुरपुर, सीएच बलबीर सिंह मार्केट, मेन छतरपुर मंदिर रोड, चंदन हुला, नई दिल्ली **गारंटरः श्री प्रदीप गोयल, जे–102, सैनिक फार्म, नई दिल्ली–110062, श्री प्रदीप गोयल, प्लॉट नं. 54, गांधी नगर कॉलोनी, हरि पर्बत वार्ड, आगरा, यूपी, श्री प्रदीप गोयल, मकान नं. 25/46, गांधी नगर कॉलोनी, आगरा, यू.पी. , श्री प्रदीप गोयल, बेसमेंट तल, डी–22, ग्रेटर कैलाश, एन्क्लेव– I, नई दिल्ली**	₹ 4,61,17,716.90 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 6 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति कुल (मिंजुमला) म्युनिसीपैलिटी (मुनसिपल कमेटी) नं. 25/46 (25/46डी का हिस्सा कहते है) गाँधी नगर, हरिपर्बत वार्ड, आगरा सिटी, रिहायशी संरचना से 50 मी. दूरी तक, बिल्डिंग उसके ऊपर निर्मिणित मकान, यह सम्पत्ति प्रदीप गोयल के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – 72''4'' संपत्ति में से कुछ हिस्सा (मिंजुमला) नंबर 54, फ्रंट साइड पार्टी नंबर 1 और कुछ हिस्से में रस्ता और शामलात 15 '' चौड़ा, पश्चिमः 72''4'' सर्विस लेन, उत्तर में – 70'' सर्विस लेन, दक्षिण में – 64'' 6'' सम्पत्ति नं. 54.1 में से पार्टी की संपत्ति।
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **1,82,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **18,20,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/crescent_marble_pvt_ltd_4.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	कर्जदार : मैसर्स ब्लिस इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, 2/4, द्वितीय तल, सराय जुलैना, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली–110025 गारंटर – 1) श्री अजहर अली, सी 88, चौथा तल, शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली–110025 2) श्रीमती सना अली पत्नी श्री अजहर अली, सी 88, चौथा तल, शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली–110025	₹ 1,25,27,395.00 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 7 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि (1) खाली प्लॉट नं. 41, 42, 43, 44, खसरा नं. 449, क्षेत्रफल 334.44 वर्ग मी., लिमिटेशन गाँव दुहाई, गाजियाबाद, पंजीकृत बाईड बुक नं. 01, जिल्द नं. 5721 पेज नं. 59 से 114 दस्तावेज नं. 4233 सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद, यू.पी, दिनांक 11.04.2012 को पंजीकृत
(2) खाली प्लॉट नं. 39, 40 खसरा नं. 449, क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मी., लिमिटेशन गाँव दुहाई, गाजियाबाद, पंजीकृत बाईड बुक नं. 01, जिल्द नं. 6528 पेज नं. 397 से 432 दस्तावेज नं. 16367 सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद, यू.पी, दिनांक 05.12.2012 को पंजीकृत
(3) खाली प्लॉट नं. 35,36,37,38 खसरा नं. 449, क्षेत्रफल 278.83 वर्ग मी., लिमिटेशन गाँव दुहाई, गाजियाबाद, पंजीकृत बाईड बुक नं. 01, जिल्द नं. 6767 पेज नं. 183 से 236 दस्तावेज नं. 2314 सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद, यू.पी, दिनांक 14.02.2013 को पंजीकृत
(4) खाली प्लॉट नं. **17,28,29,45,46** खसरा नं. 449, क्षेत्रफल 418.05 वर्ग मी., लिमिटेशन गाँव दुहाई, गाजियाबाद, पंजीकृत बाईड बुक नं. 01, जिल्द नं. 5462 पेज नं. 153 से 214 दस्तावेज नं. 803 सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद, यू.पी, दिनांक 23.01.2012 को पंजीकृत
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **2,31,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **23,10,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bliss_infratech_private_limited_2.pdf

शाखा का नाम एवं पता : ओवरसीज़ शाखा फोन नं. 011-23418730,23418720

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	उधारकर्ताः मैसर्स विजय श्री एंटरप्राइजेज, 4012–13, प्रथम तल, नया बाजार, दिल्ली–110006 गारंटरः श्री राजीव बंसल पुत्र श्री बाबूलाल बंसल, श्रीमती सीमा बंसल पत्नी श्री राजीव बंसल, श्री नितिन सक्सेना	₹ 8,93,72,683/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 8 बेसमेंट तल रिहायशी बिल्डिंग जोकि प्लॉट नं. 98 चौखण्डी (मीरा एनक्लेव), नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 250 वर्ग मी.
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **41,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **4,10,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/vijay_shree_enterprises_3.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	उधारकर्ताः एम आर चेन्स् प्रा. लि., 1245 द्वितीय तल, कुचा महाजनी, चांदनी चौक, दिल्ली, प्रोपराइटर/पार्टनर का नामः श्री मुनि राम वर्मा, श्रीमती आशा वर्मा, गारंटरः 1. श्री मुनि राम वर्मा 2. श्रीमती आशा वर्मा	₹ 34,34,10,426.37 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 9 व्यवसायिक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति प्रथम तल (बिना छत / टेरेस के), सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 3160, वार्ड नं. XVI, ब्लॉक–पी, प्लॉट नं. 113, खसरा नं. 2746/2616, गली नं. 34, जोकि बस्ती रैघर, सरस्वती मार्ग, बिडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **2,15,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **21,50,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/m.r.chains_pvt._ltd_1.pdf
सम्पत्ति नं. 10 व्यवसायिक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति द्वितीय तल (बिना छत / टेरेस के), सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 3160, वार्ड नं. XVI, ब्लॉक–पी, प्लॉट नं. 113, खसरा नं. 2746/2616, गली नं. 34, जोकि बस्ती रैघर, सरस्वती मार्ग, बिडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **1,32,20,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **13,22,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/m.r.chains_pvt._ltd_1.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	कर्जदारः **रेनबो वर्ल्डवाइड प्रा. लि.,** ए–37 मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली, गारंटर्सः (1) लव भारद्वाज (2) रवि भोला, (3) रंगोली इंटरनेशनल प्रा. लि.	₹ 50,02,89,487.80 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 11 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल सम्पत्ति म्युनिसिपल नं. 106-110-A-B, 111 to 114, 115-A/5, 115-B/1-9, 120-B, C, D, E और F, तेलीवाड़ा एन्ट्री के पास, छोटा बाजार कॉम्पलैक्स जिसे अपना बाजार कहते है, शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित, यह सम्पत्ति लव भारद्वज के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – रोड, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति (सरकारी हास्पिटल), पूरब में – आम रास्ता और अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **11,10,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,11,00,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/rainbow_worldwide_private_limited_5.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	कर्जदार : **मैसर्स ईरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड,** 370 – 371/2, शशि अस्पताल रोड, जंगपुरा भोगल, नई दिल्ली – 110014, **गारंटरः** श्री एच.एस. भराना, सी –146, प्रथम तल, सर्वोदय एन्क्लेव, दिल्ली –110017, 2. लीड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 101, सीताराम हवेली, 718/21, जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005, 3. मैसर्स डोरे रीयलटर्स प्रा. लि. (गारंटर), मकान नं. 130, प्रथम तल, मस्जिद मोड, साउथ एक्सटेंशन पार्ट– I I, नई दिल्ली – 110049, और: बी–165, फ्लैट नं. डी, भूतल, नई अशोक नगर, नई दिल्ली – 110096	₹ 6,01,99,93,843.80 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 12 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 2.9703 एकड़, खेवत नं. 22, खतौनी नं. 37, खसरा नं. 189 (1-15-0), 210 (1-7-0), 216 (1-6-0), 218 (3-2-0), 248 (1-9-0) और 250 (1-19-0) किटा 6 रक्बा 10 बीघा 18 बिस्वा 0 बिस्वांसी पार्ट 640/1468 कुल 4 बीघा 15 बिस्वा 1 बिस्वांसी गाँव मोहम्मद हेडी, जिला गुडगाँव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.,
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **17,79,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,77,90,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited_.pdf
सम्पत्ति नं. 13 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 2.8281 एकड़, खेवत नं. 22, खतौनी नं. 37, खसरा नं. **189(1-15-0), 210 (1-7-0), 216 (1-6-0), 218 (3-2-0), 248 (1-9-0)** और 250 (1-19-0) किटा 6 रक्बा 10 बीघा 18 बिस्वा 0 बिस्वांसी पार्ट 1810/4360 कुल 4 बीघा 15 बिस्वा 1 बिस्वांसी गाँव मोहम्मद हेडी, जिला गुडगाँव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.,
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **16,95,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,69,50,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited_.pdf
सम्पत्ति नं. 14 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 1.8438 एकड़, खेवत नं. 13, खाता नं. 23 और 24, खसरा नं. **159 (1-15-0), 160 (0-18-0), 164(3-5-0)** किटा 3 रक्बा 5 बीघा 18 बिस्वा ½ कुल 2 बीघा 19 बिस्वा जोकि गाँव मोहम्मद हेडी, जिला गुडगाँव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.,
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **11,05,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,10,50,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited_.pdf
सम्पत्ति नं. 15 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 0.0977 एकड़, खेवत नं. 22, खाता नं. 23 और 24, खसरा नं. **189(1-15-0), 210 (1-7-0), 216 (1-6-0), 218 (3-2-0)** किटा 4 रक्बा 7 बीघा 10 बिस्वा 0 बिस्वांसी पार्ट 1/48 कुल 0 बीघा 2.5 बिस्वांसी जोकि गाँव मोहम्मद हेडी, जिला गुडगाँव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.,
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **58,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **5,80,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited_.pdf
सम्पत्ति नं. 16 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 1.6094 एकड़, खेवत नं. 32, खसरा नं. **232 (2-3), 295/ 235 Min Shumal (0-8), 240 Min Janub (1-0), 242/2 (1-8), 111/2 (0-6), 233 (1-19), 295/ 235 Min Janub (0-7), 177 (1-4), 240 Min Shumal (1-11), 237 Min Shumal (1-0), 240 Min Darmanyan (1-10), 237 Min Janub (0-19), Kita 11 Rakba 14 Bigha 5 Bisa and Khewat No. 53, Khasra No. 174(2-15), 236 (0-17), Kita 2 Raqba 3 Bigha 12 Biswa totaling 17 Bigha 17 Biswa Part 103/714 Part Raqba 2 Bigha 11 Biswa 10 Biswani** जोकि गाँव मोहम्मद हेडी, जिला गुडगाँव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.,
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **9,64,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **96,40,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited_.pdf
सम्पत्ति नं. 17 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 0.4453 एकड़, खेवत नं. 61, खतौनी नं. 89, खसरा नं. **1171 (1-18-0), Kita 1 Rakba 1 Bigha 18 Biswa Part 3/8 totalling 0 Bigha 14 Biswa 5 Biswani** जोकि गाँव मोहम्मद हेडी, जिला गुडगाँव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.,
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **2,67,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **26,70,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited_.pdf

शाखा का नाम एवं पता : ओवरसीज़ शाखा फोन नं. 011-23418730,23418720

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि ₹
	कर्जदार : हरीश चंद्र इंडिया लि., 113–ए, कमला नगर, दिल्ली, निदेशक / गारंटर/बंधककर्ता (1) श्री अजय गुप्ता, (2) श्रीमती रजनी गुप्ता, (3) श्रीमती मीना गुप्ता, (4) मैसर्स आरके मोटेल्स् (इंडिया) प्रा. लि., (5) मैसर्स सेठ दौलत राम श्री राम प्रा. लि., (6) श्री अशोक गुप्ता, (7) श्री शैलेश गुप्ता, (8) श्री अभिषेक गुप्ता, (9) श्रीमती रीता गुप्ता, (10) श्रीमती मंजू गुप्ता, (11) श्री सिद्धार्थ गुप्ता, (12) मैसर्स पैरामाउंट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (प्रोपराईटर मैसर्स गुलाब राय एण्ड संस प्रा. लि.), (13) मैसर्स गेबल्स (इंडिया) प्रा. लि., (14) श्रीमती शांति देवी (मृतक) पत्नी स्वर्गीय श्री फूल चंद गुप्ता), उनके कानूनी उत्तराधिकारी (I) श्री अजय गुप्ता, (II) श्री अशोक गुप्ता, (III) श्री विजय गुप्ता (मृतक) पुत्र स्व. श्री फूल चंद गुप्ता, प्रतिनिधित्व के माध्यम से – (ए) श्रीमती मीना गुप्ता, (बी) श्री सिद्धार्थ गुप्ता, (iv) सुश्री विमल अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय श्री फूल चंद गुप्ता, (v) सुश्री विनीता पोद्दार पुत्री देर श्री फूल चंद गुप्ता	4,76,80,09,979.00 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 18 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति मकान नं 7676/2, वार्ड नं. 12, सिंह सभा रोड, अम्बा सिनेमा हॉल से जुड़ा, शक्ति नगर के पास, दिल्ली–110007 मालिकाना हक संयुक्त रूप से मीना गुप्ता, मंजू गुप्ता, रजनी गुप्ता, रीता गुप्ता के नाम पर है। क्षेत्रफल 717.15 वर्ग गज, चौहद्दी : उत्तर में – अम्बा सिनेमा हॉल और रोड, दक्षिण में – धर्मा पुरा लॉज, पूरब में – सम्पत्ति नं. 7676ए, पश्चिम में – सम्पत्ति नं. 7676 का शेष भाग
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **11,00,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,10,00,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/harish_chandra_india_ltd_3.pdf
सम्पत्ति नं. 19 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि खेतीहर भूमि एवं फार्म हाउस बिल्डिंग जिसका पुराना खसरा नं (क) **1173(3-4), 1192 (1-10), 1193/1(4-11), 1194(0-5), 1195/1 (3-8), 1261(1-1), 1262(0-8), 1263(2-8), 1264/2/1(2-8)** और **1265/1(2-7)** में से, जोकि संयुक्त रूप से सुश्री मीना गुप्ता और सुश्री मंजू गुप्ता के नाम पर है। (ख) **79/9, (2-2), 79/12(2-16), 79/13(4-16), 79/18(4-16), 79/23(4-16), 86/3(0-15) and 86/4(1-8)** जोकि संयुक्त रूप से सुश्री रजनी गुप्ता और सुश्री रीता गुप्ता के नाम पर है। (ग) **79/10 Min (0-8) 11 Min (4-3) and 26 (0-13), 79/1 Min (1-1), 10 Min (1-7), 80/5/2(1-2), 79/21 Min. (2-5) 60/22/1 (1-0) 79/2(1-0) and 79/3 Min(0-4), 79/20 Min.(1-3), 79/20 Min. (1-2), 79/14 Min. (1-12), 60/22/2(0-10), 79/2 Min(0-10), 79/3 Min.(0-8)** जोकि श्री अजय गुप्ता के नाम पर है। क्षेत्रफल 12.06 एकड़, अलीपुर नरेला रोड, गाँव अलीपुर, दिल्ली–110036 में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में – अन्य की भूमि, दक्षिण मे – अन्य की भूमि, पूरब में – अन्य की भूमि, पश्चिम में– चौडी लेन
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **18,81,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,88,10,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/harish_chandra_india_ltd_3.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	उधारकर्ताः मैसर्स शर्मा कल्पिसो प्रा. लि., (पूर्व में रौस इंफ्रा लि) 16 सी, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057. गारंटरः श्री रमेश शर्मा, श्रीमती उषा शर्मा, श्री एम.सी. अग्निहोत्री, श्रीमती रक्षा शर्मा	₹ 79,14,95,288.26 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 20 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि गाँव साफीपुर, खसरा नं. 31/17 (उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा) रंहौला, नंगालोई, नजफगढ़, रोड, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज प्रत्येक, मालिकाना हक श्रीमती उषा शर्मा और श्रीमती रक्षा शर्मा (यह सम्पत्ति कॉर्पोरेशन बैंक के पास बंधक है।) चौहद्दी : उत्तर में – सम्पत्ति नं. 45 और 46, दक्षिण में – सम्पत्ति 49 और 50, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – सम्पत्ति प्रवेश 25फीट चौड़ा रोड
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **5,04,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **50,40,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sharma_kalypso_pvt._ltd_4.pdf
सम्पत्ति नं. 21 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि बिल्डिंग सम्पत्ति दुकान नं. एलजीएफ–11, नीचला भूतल, व्यवसायिक काम्पलैक्स जिसे अब गोल्ड सोक जयपुर कहते है, प्लॉट नं. 2, जगतपुरा रोड, ज्वाहार सर्कल के पास, जयपुर में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स शर्मा कंस्ट्रक्शन प्रतिनिधित्व श्री रमेश शर्मा के नाम पर
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **1,50,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **15,00,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sharma_kalypso_pvt._ltd_4.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	कर्जदारः **मातरानी ट्रस

अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई उपायों पर हो रहा विचार : सीतारमण

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार सुस्त पड़ रही अर्थव्यवस्था को पुनः गति देने के लिए व्यक्तिगत आयकर की दरों को तर्कसंगत बनाने समेत कुछ अन्य उपायों पर काम कर रही है।

उन्होंने राजधानी में एक सम्मेलन में कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अगस्त और सितंबर में कई उपाय किए हैं। इसके अलावा सरकारी बैंकों ने सावधानी से समझौता न करते हुए उपभोग को बढ़ावा देने के लिए दूरदराज के इलाकों में पिछले दो महीने में करीब पांच लाख करोड़ रुपए वितरित किए हैं। ये तरीके हैं जिनसे उपभोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। हम एक प्रत्यक्ष तरीका अपना रहे हैं और बुनियादी संरचना पर खर्च बढ़ाने का तरीका भी अपना रहे हैं, जिसका असर बुनियादी उद्योगों व श्रमिकों तक पहुंचता है।

यह पूछने पर कि क्या आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के अन्य उपाय किए जा सकते हैं, उन्होंने कहा- यदि मैं हां कहती हूं, तब पूछा जाएगा कि कब। फिर पूछा जाएगा कि क्या हम बजट के काफी पास नहीं पहुंच गए हैं। अतः मैं हां नहीं कह सकती, पर मेरी इच्छा है कि मैं हां कह सकूं। इसके साथ ही मैं नहीं भी नहीं कहूंगी क्योंकि हम और उपायों पर काम कर रहे हैं। लोगों के हाथों में अधिक धन रखने के लिए व्यक्तिगत आयकर की दरों को तर्कसंगत बनाने के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह उन विभिन्न उपायों में से एक है, जिनके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। कारपोरेट कर की दरों में कटौती के बाद यह मांग बढ़ रही है कि व्यक्तिगत आय पर कर भी घटाया जाए ताकि लोगों की क्रयशक्ति बढ़ सके और उपभोक्ता मांग में सुधार हो।

सीतारमण ने आश्वासन दिया कि करदाताओं को परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा है कि कराधान प्रणाली और अधिक सरल बने। वह विभिन्न प्रकार की छूटों को भी हटाना चाहती है। उन्होंने कॉरपोरेट कर का उदाहरण देते हुए कहा कि अब ये कर अधिक सरल और छूटों से मुक्त व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इस कारण व्यवस्था तंग किए जाने और नियम/कायदे की व्याख्या में मनमानी की शिकायतों से मुक्त हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने करदाताओं को परेशानी से बचने के लिए प्रत्यक्ष कर का बिना भौतिक उपस्थिति के विश्लेषण शुरू किया और इसे जल्द ही अप्रत्यक्ष कर के मामले में भी शुरू किया जा सकता है।

माल व सेवा कर (जीएसटी) के बारे में उन्होंने कहा कि जीएसटी दर की संरचना पर जीएसटी परिषद फैसला करेगी। अंत में करों को और तार्किक व पूरी कर प्रणाली को और अधिक सरल बनना ही होगा। जहां तक जीएसटी की बात है तो यह जटिल हो रहा है। इसका कारण है कि दरों को अव्यवस्थित ढंग से कम किया जा रहा है। यह इस लिए भी जटिल हो रही क्योंकि अब आपको यह आश्वस्त होना पड़ रहा कि आप जो कर रहे हैं, उसमें सब कुछ सही है। इसमें एक प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली के तहत आप को पहले से ज्यादा सूचनाएं देने को कहा जा रहा है। लोग इतनी अधिक सूचनाएं मांगे जाने से उकता जाते हैं। ऐसे में हमारी समस्या दोनों तरफ से है।

डेटा की प्रामाणिकता के बारे में कयासों पर पूछे जाने पर सीतारमण ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमें डेटा को पुनः विश्वसनीय बनाना होगा। हमें बेहतर विश्वसनीयता की दिशा में काम करना होगा। हमें बिना अवरोध के डेटा उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की जरूरत है। उन्होंने विभिन्न हलकों में हो रही अपनी आलोचना के बारे में कहा कि मैं इससे परेशान नहीं होती। मैं अमानुष नहीं हूं। कई बार मैं भी इससे प्रभावित हो जाती हूं, लेकिन मेरा मानना है कि यह हमारे काम का हिस्सा है। अतः मैं यह नहीं चाह सकती कि ऐसा न हो। ऐसा होगा ही, इसे होने दीजिए। मैं इसका सामना करती हूं।

एनईएफटी की सुविधा 16 से चौबीसों घंटे

मुंबई, 7 दिसंबर (भाषा)।

रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण प्रणाली (एनईएफटी) के जरिए चौबीसों घंटे लेन-देन की सुविधा 16 दिसंबर से शुरू करने की शुक्रवार को घोषणा की।

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि अब एनईएफटी के तहत लेन-देन की सुविधा अवकाश समेत सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगी। एनईएफटी लेन-देन का निस्तारण सामान्य दिनों में सुबह आठ से शाम सात बजे के दौरान और पहले व तीसरे शनिवार को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक घंटे के आधार पर किया जाता है।

रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि एनईएफटी लेन-देन को चौबीसों घंटे सातों दिन शुरू करने का फैसला किया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी सदस्य बैंकों को नियामक के पास चालू खाते में हर समय पर्याप्त राशि रखने को कहा है ताकि एनईएफटी लेन-देन में कोई व्यवधान नहीं हो।केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी बैंकों को सुचारु तरीके से एनईएफटी लेन-देन सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी बुनियादी संरचनाएं दुरुस्त रखने का निर्देश भी दिया गया है। उसने कहा कि बैंक एनईएफटी में किए गए बदलाव के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित कर सकते हैं। रिजर्व बैंक पहले ही एनईएफटी और आरटीजीएस लेन-देन पर शुल्क खत्म करने का फैसला ले चुका है।

जेपी इन्फ्रा के लिए एनबीसीसी व सुरक्षा की बोलियों पर एक साथ मतदान कराएंगे कर्जदाता

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (भाषा)।

अचल संपत्ति विकास कंपनी जेपी इन्फ्राटेक को कर्ज देने वाले बैंक और 23 हजार से अधिक घर खरीदार कर्ज के बोझ तले डूबी इस कंपनी के लिए सरकारी उपक्रम एनबीसीसी और निजी क्षेत्र की सुरक्षा रियल्टी की ओर से प्रस्तुत समाधान योजनाओं पर एक साथ मतदान करेंगे।

सूत्रों ने बताया कि दोनों प्रतिस्पर्धी कंपनियों को शनिवार 11 बजे तक अपनी संशोधित समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने को कहा गया है। मतदान 10 दिसंबर को शुरू होकर 16 दिसंबर तक संपन्न होगा। यह फैसला कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) की दिल्ली में हुई एक बैठक में लिया गया। कर्ज में डूबी जेपी इन्फ्रा की नीलामी के लिए निविदा प्रक्रिया का यह तीसरा दौर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर संचालित हो रहा है। सूत्रों के अनुसार कर्जदाताओं में आइसीआइसीआइ बैंक और एक्सिस बैंक दोनों बोलीदाताओं की ओर से प्रस्तुत ऋण समाधान योजनाओं पर एक साथ मतदान कराए जाने के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि पहले सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के (एच1) प्रस्ताव पर वोट कराया जाना चाहिए। लेकिन कर्जदताओं के बीच यह तय नहीं हो सका कि इनमें से किसकी बोली को उच्चतम (एच1) और किसको द्वितीय उच्चतम (एच2) माना जाए।

सीओसी में कुल 13 बैंकों और 23,000 घर खरीदारों को वोट देने का अधिकार है। इनमें से घर खरीदारों का संयुक्त मताधिकार 58 फीसद है। जिस बोली को 66 फीसद मत मिलेंगे, उसे मंजूरी मिलेगी। वोट में दोनों बोलियों को मंजूरी मिलने की स्थिति में विजेता का निर्धारण वोटों की उच्चतम संख्या के आधार पर होगा। इस मामले में नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर (आइआरपी) ने खरीदारों की ओर से कंपनी पर 13,000 करोड़ और बैंकों का 9,800 करोड़ रुपए के दावों को दाखिल किया है।

जयप्रकाश एसोसिएट्स समूह की कंपनी जेपी इन्फ्राटेक से कर्ज की वसूली न हो पाने के कारण आइडीबीआइ बैंक के नेतृत्व में उसे कर्ज देने वाले बैंकों के समूह ने दिवाला कानून के तहत इसके समाधान का मामला दायर किया। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने इसे दाखिल कर लिया और कंपनी के खिलाफ ऋण समाधान की कार्रवाई अगस्त 2017 में चालू हुई। पहले दौर में कर्जदाताओं ने सुरक्षा समूह की कंपनी लक्ष्यद्वीप की 7,350 करोड़ रुपए की बोली को खारिज कर दिया था। इस साल जून-जुलाई में सुरक्षा रियल्टी की दूसरी बोली भी खारिज कर दी गई। उसके बाद यह मामला राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) और सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने छह नवंबर को इस मामले को 90 दिन में निपटाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने समाधान पेशेवर को दोनों कंपनियों से एक बार फिर से संशोधित समाधान योजनाएं मंगवाने के निर्देश भी दिए थे।

मुंबई की कंपनी सुरक्षा रियल्टी ने शनिवार को अपनी संशोधित बोली में और सुधार करते हुए कर्जदाताओं को पहले से अधिक जमीन और अग्रिम नकद भुगतान करने का प्रस्ताव किया है। कंपनी ने तीन दिसंबर को अपनी आखिरी बोली में कर्जदाताओं को उनके कर्ज के बदले पहले 175 करोड़ और 2220 एकड़ जमीन के भुगतान की पेशकश की थी। उसे बढ़ाकर उसने 190 करोड़ रुपएऔर 2275 एकड़ जमीन कर दिया है। एनबीसीसी ने कर्जदाताओं को 1526 एकड़ जमीन देने की पेशकश की है। सूत्रों के अनुसार सीओसी की बैठक में चर्चा के बाद इन दोनों कंपनियों को शनिवार रात 11 बजे तक अपनी संशोधित योजनाएं बाकायदा प्रस्तुत करने का समय दिया गया है।

ईडी ने गुजरात में 34 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

ईडी ने एक बयान में कहा कि बायोटोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक राजेश एम कपाड़िया और अन्य के खिलाफ जांच की जा रही है। इनके खिलाफ गुजरात पुलिस और सीबीआइ की भी जांच जारी है। उसने कहा कि जांच में आरोपियों के द्वारा 2007 से 2009 के दौरान फर्जी बिलों और रसीदों के जरिए करीब 250 करोड़ रुपए का हेर-फेर करने का पता चला है।

ईडी ने कहा कि केजीएन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक आरिफ इस्माइलभाई मेमन ने राजेश कपाड़िया व अन्य के साथ सांठगांठ कर लेन-देन की हेराफेरी में बड़ी भूमिका निभाई। उसने कहा कि मेमन ने फर्जीवाड़े के तरीकों के जरिए करीब 62 करोड़ रुपए केजीएन ग्रुप ऑफ कंपनीज के खातों में जमा किया। ईडी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत केजीएन एंटरप्राइजेज लिमिटेड और सैलानी एग्रोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की गुजरात के खेड़ा जिले के हरियाला गांव में स्थित जमीन, संयंत्र व मशीनें और अमदाबाद के पाल्दी में स्थित मेमन की आवासीय संपत्ति को कुर्क किया। कुर्क संपत्ति का कुल मूल्य 34.47 करोड़ रुपए है। ईडी इस मामले में पहले भी 149 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुका है।

गेहूं बुआई का रकबा बढ़कर 202.54 लाख हेक्टेयर हुआ

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (भाषा)।

गेहूं की बुआई की गति लगातार बढ़ रही है। अब तक इसका रकबा सालाना आधार पर 4.28 फीसद बढ़कर 202.54 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। शुक्रवार को कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। पिछले साल इस समय गेहूं की बुआई का रकबा 194.21 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा था।

मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के चालू रबी (सर्दियों) सत्र में पिछले साल के इसी समय के मुकाबले 8.34 लाख हेक्टेयर अधिक रकबे में गेहूं की बुआई हुई है। चालू सत्र में अभी तक 10.17 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई की गई है जबकि साल भर पहले की समान अवधि में यह रकबा 8.42 लाख हेक्टेयर ही था। मोटे अनाज का रकबा 35.56 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा है। पिछले साल इस समय तक 32.75 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज बोए गए थे।

दलहन बुआई का रकबा पिछले साल इसी समय के 111.90 लाख हेक्टेयर के मुकाबले चालू रबी सत्र में 105.16 लाख हेक्टेयर है। तिलहनों की बुआई का रकबा पहले के 66.10 लाख हेक्टेयर के मुकाबले चालू रबी सत्र में 65.05 लाख हेक्टेयर है। आंकड़ों के अनुसार सभी रबी फसलों की बुआई का कुल रकबा 418.47 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है जो साल भर पहले की समान अवधि में 413.36 लाख हेक्टेयर था।

विदेशी मुद्रा भंडार 451 अरब डॉलर पार

मुंबई, 7 दिसंबर (भाषा)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 29 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 2.484 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 451.08 अरब डॉलर की नई ऊंचाई को छू गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 34.7 करोड़ डॉलर बढ़कर 448.6 अरब डॉलर पर था।

गुरुवार को पांचवें द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि अप्रैल के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार 38.8 अरब डॉलर बढ़कर तीन दिसंबर को 451.7 अरब डॉलर की ऊंचाई को छू गया।

Continued from previous page

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालयः दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज़ रोड–1, नई दिल्ली–110005,
फोन : **011-28754615, 28754642,** ईमेल : **dlirec@corpbank.co.in,** वेबसाईट : **www.corpbank.com**

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

शाखा का नाम एवं पता : करोल बाग शाखा, 2223 फोन नं. 011- 28750955, 25755119

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : कर्जदार : **मैसर्स दुर्गा एपैरल्स प्रा. लि. ए–3/88, तृतीय तल, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 और मैसर्स दुर्गा एपैरल्स प्रा. लि., एल–93, चाणक्य प्लेस, पार्ट–।।, नई दिलली–110059 गारंटर 1. श्री सज्जन कुमार 2. सुश्री सुनीता गर्ग 3. श्री धर्म पाल 4. श्री दीना नाथ 5. सुश्री संगीता बंसल** — बकाया राशि **₹ 3,38,36,229.75** + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 31 भूमि क्षेत्रफल 3 बीधा और 11 बिस्वा, जिसमें खसरा नं. 5/23/2(3–11) शामिल है, साथ में बिल्डिंग रेवेन्यू गाँव असलतपुर ख्वाद, तहसील नज़फगढ़, नई दिल्ली में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 2,35,50,000/- जमा धरोहर राशि रु. 23,50,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/durga_apparels_pvt_ltd_4.pdf

शाखा का नाम एवं पता : कार्पोरेट बैंकिंग शाखा, फोन नं. 011- 28754642, 28755501, 28755294

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : उधारकर्ता: 1. श्रीमती मंजरी अग्रवाल (आवेदक) 2. (ए) श्री संजय अग्रवाल (सह–आवेदक) 2. (बी) सुश्री संजय अग्रवाल, एचयूएफ (सह–आवेदक) कॉर्पोरेट कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय/पता: निवासी : 143, शहजादी मंडी, आगरा–282001, गारंटर: श्री शुभम अग्रवाल (गारंटर) पत्नी श्री संजय अग्रवाल निवासी : 143, शहजादी मंडी, आगरा – 282001 श्री सकशम अग्रवाल (गारंटर) पुत्र श्री संजय अग्रवाल निवासी : 143, शहजादी मंडी, आगरा – 282001 — बकाया राशि **₹ 12,26,28,480.95** + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 32 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि (खुली भूमि क्षेत्रफल 2.1683 हैक्ट. जोकि खसरा नं 751/2, 751/3 और 751/4, गाँव तेहरा, तहसील खेड़ागढ़, आगरा, यू.पी में स्थित)
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **8,76,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **87,60,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/manjari_agarwal_.pdf
सम्पत्ति नं. 33 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि (खुली भूमि क्षेत्रफल 1.6841 हैक्ट. जोकि खसरा नं 813, 814, 815 और 819, गाँव तेहरा, तहसील खेड़ागढ़, मेन आगरा – गवालियर आगरा, यू.पी में स्थित)
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **6,80,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **68,00,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/manjari_agarwal_.pdf

शाखा का नाम एवं पता : के.जी मार्ग शाखा, फोन नं. 011- 23327927

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : कर्जदार: **1. मैसर्स पारस ट्रेडिंग कं, 455, गली नं. 19, जाफराबाद, दिल्ली–110053 2. श्री सद्दाम मलिक पुत्र श्री शेर खान मलिक (प्रोपराइटर) 1469, गली नं. 48, जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली–110053, गारंटर: श्री शुभम् अग्रवाल, श्रीमती मीना बेगम पत्नी श्री शेर खान मलिक, 1469, गली नं. 48, जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली –110053** — बकाया राशि **₹ 95,56,759.00** + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 34 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति नं. 1469, खसरा नं. 39 में से, गली नं. 48, जाफराबाद, शाहदरा दिल्ली–110053 में स्थित, क्षेत्रफल 54.34 वर्ग मी.
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **58,14,000.00** जमा धरोहर राशि रु. **5,81,400/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/paras_trading_co_3.pdf

शाखा का नाम एवं पता : शालीमार बाग शाखा, फोन नं. 011-27470276, 27483072,27483073

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : उधारकर्ता: **बावा एप्लायंसेस प्रा. लि.,** ए–16 स्ट्रीट नं. 17, लिबासपुर, दिल्ली, **प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम:** श्री संजीव कपूर, श्रीमती गीता कपूर, **गारंटरर्स का नाम:** 1. संजीव कपूर, ए–16 स्ट्रीट नं 17, लिबासपुर, दिल्ली, 2. गीता कपूर, मकान न. 1388 किशनपुरा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश — बकाया राशि **₹ 12,08,30,518.55** + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 35 फैक्टी भूमि एवं भवन जिसका, क्षेत्रफल 866 वर्ग गज, या 724.08 वर्ग मी. जिसका मापन पूरब में 40 फीट पश्चिम में – 40 फीट, उत्तर में – 192 फीट 9इंच, दक्षिण में – 197 फीट, खसरा नं. 396/1 मिन, सभी अधिकार के साथ गाँव गोपालपुरा, माज़रा डारा कोटाला बैरून, बेहत रोड, सहारनपुर–247001, यू.पी, चौहद्दी : पूरब में – पुख्ताचाकरोता रोड, पश्चिम में – उमर दराज की सम्पत्ति, उत्तर में – कोमल प्रसाद जैन की सम्पत्ति, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति (सांकेतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **1,08,14,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **10,81,400/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bawa_appliances_pvt_ltd2_4.pdf
सम्पत्ति नं. 36 एक रिहायशी फ्लैट नं. बी–3/804, क्षेत्रफल 1679 वर्ग फीट अर्थात 1565.04 वर्ग मी., 8वां तल, टॉवर बी–3, जिसमें 3 बेडरूम एक ड्राईंग/डाईनिंग/ एक किचन, तीन टॉयलेट और बालकनी, सामान्य क्षेत्र और भवन में सुविधाओं और भवन के नीचे की भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्से के साथ, जिसमें फ्लैट प्रोजेक्ट ट्यूलिप ग्रान्ड'', सैक्टर–35, कुण्डली, गाँव अकबरपुर बरोता, सोनीपत, हरियाणा में स्थित, (सांकेतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **32,40,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **3,24,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bawa_appliances_pvt_ltd1_2.pdf
सम्पत्ति नं. 37 दुकान का 1/2 हिस्सा, नं. 2बी/212, भूतल, बिना छत के अधिकार, प्रा. नं. 20, क्षेत्रफल 16.66 वर्ग गज, अर्थात 13.93 वर्ग मी., कुल क्षेत्रफल 33.33 वर्ग गज अर्थात 27.87 वर्ग मी., जिसका परिमाप **E-12 ft., W-12 ft., N-25 ft., S-25 ft.** पाठनपुरा, दर आबादी मिशन कम्पाउंड, मिशन मार्किट, कोर्ट रोड, शाहरनपुर, में स्थित, चौहद्दी: पूरब में – कोर्ट रोड, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में – दुकान नं. 19, श्री राकेश कुमार, दक्षिण में – श्रीमती निर्मल देवी की दुकान नं. 21 (सांकेतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **1,21,05,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **12,10,500/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bawa_appliances_pvt_ltd_4.pdf

शाखा का नाम एवं पता : क्लॉट सर्कस शाखा, फोन नं. 011-23412633, 23412559, 23415355

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : कर्जदार: **एक्सीलेंट ट्रेडिंग कंपनी,** 15ए/4, द्वितीय तल, डब्ल्यू ई ए करोल बाग, नई दिल्ली–110005, **निदेशक का नाम :** 1. श्री रजनीश गुप्ता, 2. श्री जय भगवान, **गारंटर :** (1) श्री जय भगवान (2) श्री रजनीश गुप्ता, (3) मैसर्स बीएमआरसी कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (4) श्री हनुमान सिंह, (5) श्री पियूष गोयल — बकाया राशि **₹ 5,21,65,860/-** + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 38 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि एम पी एल नं. 10425 (15–ए/3) प्लॉट नं. 3, ब्लॉक नं. 15ए, डब्ल्यू ई ए करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में स्थित, क्षेत्रफल 140 वर्ग गज, यह सम्पत्ति बी एम आर सी, कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. के नाम पर है।
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **3,95,10,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **39,51,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/excellent_trading_company_6.pdf

शाखा का नाम एवं पता : तिलक नगर शाखा, फोन नं. 011- 25996927, 25990655, 25990736

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : उधारकर्ता: रितुश शर्मा 80, साकेत, मेरठ इसके अलावा फ्लैट नं. 504, 4वां तल, रॉयल ब्लॉक, सुपरटेक एस्टेट, सेक –9, वैशाली, गाजियाबाद सह–ऑब्लिगेंट: 1. श्रीमती रीना शर्मा — बकाया राशि **₹ 10,56,151/-** + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 39 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति फ्लैट नं. 504, चौथा तल, रॉयल ब्लॉक, सुपरटेक ईस्टेट, सैक्ट–9, वैशाली, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री रितुश शर्मा और श्रीमती रीना शर्मा के नाम पर है। चौहद्दी: उत्तर में – फ्लैट नं. 503, दक्षिण में – रास्ता, पूरब में – खुला, पश्चिम में – प्रवेश
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **40,55,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **4,05,500/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ritush_sharma_5.pdf

शाखा का नाम एवं पता : गाजियाबाद नवयुग मार्किट शाखा, फोन नं. 0120- 2790136, 2790605

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : कर्जदार : श्री अमित चौधरी बी7 आनंद विहार नेहरू नगर ।।।, गाजियाबाद–201001
गारंटर:1. – श्रीमती दीपिका चौधरी बी7 आनंद विहार नेहरू नगर ।।। गाजियाबाद 201001, श्री वरुण बंसल बी7 आनंद विहार नेहरू नगर ।।।, गाजियाबाद 201001, श्रीमती राखी बंसल बी7 आनंद विहार नेहरू नगर ।।।, गाजियाबाद–201001 — बकाया राशि **₹ 41,79,000/-** + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 40 सम्पूर्ण प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नं . केए–104, ब्लॉक ए, कवि नगर, गाजियाबाद–201001 में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **54,62,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **5,46,200/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/amit_choudhary.pdf

शाखा का नाम एवं पता : प्रीत विहार शाखा, फोन नं. 011-22055675, 22464811, 22050955

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : उधारकर्ता 1: गुल फूड्स एंड कंपनी सी–23 तृतीय तल, गली नं 2, चौहान बाग, दिल्ली का नाम प्रोपराइटर: श्री मोहम्मद अनवार गारंटररू 1. अफसर अली
उधारकर्ता 2: सबा एंटरप्राइजेज बी 1/13, जी 2 डीएलएफ, एक्सटेंशन ।।, गाजियाबाद, यू.पी. प्रोपराइटर का नाम: 1. श्रीमती एहसान गारंटररू 1. अफसर अली — **कर्जदार: 1 बकाया राशि ₹ 23,50,108/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि; कर्जदार: 2 बकाया राशि ₹ 23,79,586/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**

सम्पत्ति नं. 42 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. डी–1/2, ब्लॉक – डी, भूमि क्षेत्रफल 117.50 वर्ग गज, जोकि वायु सेना ले–आउट प्लान के अंतर्गत, हिंडोन, सहकारी आवास समिति लि. डिफेन्स कॉलोनी, बोलपुरा, परगना लोनी, जिला गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री रोहित उप्पल के नाम पर है।
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **32,94,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **3,29,400/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/gul_foods_.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : उधारकर्ता 1: इस्वाह इंटरप्राईजेज़ कार्यालय नं. –23, शिल्पी आर्कड प्लॉट नं. –14 सैक्टर–4 वैशाली, गाजियाबाद प्रोपराइटर का नाम: 1. अफसर अली
उधारकर्ता 2: फ्रेन्ड्स ट्रेडर्स बी –49, पंडित पार्क, शिव पुरी, दिल्ली प्रोपराइटर का नाम : 1. श्रीमती राज रानी — **कर्जदार: 1 बकाया राशि ₹ 26,72,465/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि; कर्जदार: 2 बकाया राशि ₹ 21,54,835/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**

सम्पत्ति नं. 43 साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति नं. 49–बी, कर्वड क्षेत्रफल 67 वर्ग गज, शामिल खासरा नं. 472, शिवाजी गल की अबादी, पण्डित पार्क, गाँव गोदली, शाहदरा, नई दिल्ली–110051 (सांकेतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 23.12.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **65,45,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **6,54,500/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/friends_traders_2.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : उधारकर्ता –1 पी एस एसोसिएट्स सी–120 डिफेंस कॉलोनी, गाजियाबाद, यू.पी. प्रोपराइटर का नाम: 1. श्री संदीप शर्मा गारंटर का नाम: 1. श्री अफसर अली
उधारकर्ता –2 एम एस एसोसिएट्स सी–120 प्रथम त

खबर कोना

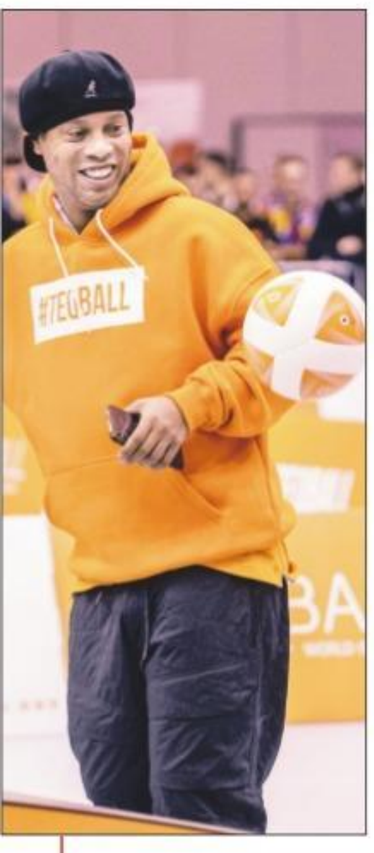

हंगरी के बुडापेस्ट में एक कार्यक्रम के दौरान स्टार ब्राजीली फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो।

कतर ने 2022 विश्व कप स्टेडियम का उद्घाटन टाला

दोहा, 7 दिसंबर (एएफपी)।

कतर ने 2022 में होने वाले फीफा विश्व कप के आयोजन में इस्तेमाल में आने वाले स्टेडियम के उद्घाटन को अगले साल के लिए टाल दिया है। फीफा ने शनिवार को बताया कि एजुकेशन सिटी स्टेडियम का अनावरण इस साल 18 दिसंबर को क्लब विश्व कप के सेमी फाइनल मैच के दौरान होना था। इस मैच में एक टीम लीवरपूल है जबकि दूसरी टीम का फैसला नहीं हुआ है। स्टेडियम को प्राधिकारियों से प्रमाणपत्र मिलने में हो रही देरी के कारण क्लब विश्व कप के इस मुकाबले को खलीफा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। एजुकेशन सिटी का अनावरण अब 2020 में होगा लेकिन फीफा ने इसके लिए कोई तय तारीख की घोषणा नहीं की है। फीफा ने एक बयान में कहा कि एजुकेशन सिटी स्टेडियम का निर्माण पूरा हो चुका है और ये स्थल अब परिचालन में है। हालांकि जरूरी प्रमाणपत्र हासिल करने में उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है। ऐसे में स्टेडियम पूरी क्षमता से फीफा क्लब विश्व कप के सेमी फाइनल और फाइनल से पहले आवश्यक परीक्षण मुकाबलों की मेजबानी करने में असमर्थ था।

युवराज ने भारत के खराब क्षेत्ररक्षण की आलोचना की

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (भाषा)।

पूर्व हरफनमौला युवराज सिंह ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टी-20 क्रिकेट मैच में भारत की फील्डिंग की आलोचना की है। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 207 रन बनाए। जवाब में भारत ने आठ गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की फील्डिंग हालांकि काफी लचर रही। वाशिंगटन सुंदर और रोहित शर्मा ने कैच टपकाए। युवराज ने ट्वीट किया,'भारत की फील्डिंग काफी खराब रही। युवा खिलाड़ी गेंद तक देर से पहुंच रहे थे। इतना ज्यादा क्रिकेट?' भारत ने हालांकि विराट कोहली और केएल राहुल की शानदार पारियों के दम पर जीत हासिल की। आर अश्विन ने कोहली की पारी के बारे में लिखा,'जिस तरह से विराट ने खेला, वह लाजवाब था।'

पिच खतरनाक होने के कारण एमसीजी पर मैच रद्द

मेलबर्न, 7 दिसंबर (एएफपी)।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पिच खतरनाक होने के कारण एक घरेलू मैच रद्द करना पड़ा जबकि कुछ सप्ताह बाद ही यहां बाक्सिंग डे टैस्ट खेला जाना है। विक्टोरिया और वेस्टर्न आस्ट्रेलिया के बीच शेफील्ड शील्ड मैच में खेल रद्द करना पड़ा क्योंकि उछलती गेंदों से कई गेंदबाज चोटिल हो रहे थे। अंपायरों ने कप्तान पीटर हैंडस्कांब और शॉन मार्श से बात करने के बाद खेल रद्द करने का फैसला लिया। मार्श को भी तेजी से उछलती गेंद लगी थी जबकि मार्कस स्टोइनिस की पसली में ऐसी गेंद जा लगी थी। एमसीजी पर आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 26 दिसंबर से होने वाले बाक्सिंग डे टैस्ट से पहले यह आखिरी मैच था। क्रिकेट आस्ट्रेलिया के क्रिकेट परिचालन प्रमुख पीटर रोच ने कहा कि हमें मैच रद्द होने का दुख है। एमसीजी मैदानकर्मियों के पास दो सप्ताह से अधिक का समय है और टैस्ट के लिए बेहतरीन पिच बनाई जाएगी।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टी-20 मुकाबला आज

श्रृंखला जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया

मैच का समय
शाम सात बजे से

तिरुवनंतपुरम, 7 दिसंबर (भाषा)।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ रविवार को दूसरे मैच में भारतीय टीम गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में बेहतर प्रदर्शन करके एक और टी-20 श्रृंखला अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी। भारत ने पिछले 13 महीने में वेस्ट इंडीज के खिलाफ छह टी-20 मैच खेलकर हर बार जीत दर्ज की। अब विराट कोहली की टीम की निगाहें लगातार सातवां टी-20 जीतने पर लगी होंगी। पहले मैच में भारत ने छह विकेट से जीत दर्ज करके तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली।

भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 2-1 से हराकर पिछले महीने सत्र की पहली टी-20 श्रृंखला जीती थी। भारत रविवार का मैच जीतकर न सिर्फ दूसरी श्रृंखला अपने नाम करना चाहेगा बल्कि इससे टी-20 विश्व कप से पहले उन खिलाड़ियों को आजमाने का मौका भी मिलेगा जिनकी जगह टीम में पक्की नहीं है।

चोटिल शिखर धवन की जगह खेल रहे राहुल ने मौके का पूरा फायदा उठाया। वह टी-20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 1000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 29 पारियों में यह आंकड़ा छुआ। खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋषभ पंत ने भी दो छक्के लगाए। कोहली की अगुआई में बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा लेकिन गेंदबाज अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। एविन लुईस, शिमरोन हेटमायेर और कप्तान किरेन पोलार्ड ने भारतीय गेंदबाजों को नहीं बख्शा।

दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ प्रभावी रहे दीपक चाहर ने 54 रन दे डाले और उन्हें एक ही विकेट मिला। टी-20 टीम में लौटे भुवनेश्वर कुमार को विकेट नहीं मिली और उन्होंने चार ओवर में 36 रन दिए। वाशिंगटन सुंदर एक बार फिर नाकाम रहे जो पिछले छह वनडे में दो विकेट ही ले सके हैं। अब देखना यह है कि गेंदबाजी आक्रमण यथावत रहता है या कुलदीप यादव को उतारा जाता है।

वेस्ट इंडीज और भारत के बीच खेले जाने वाले दूसरे मैच से पहले स्टेडियम को तैयार करते मैदानकर्मी।

मौके का फायदा उठाना चाहता हूं : राहुल

हैदराबाद, 7 दिसंबर (भाषा)।

भारत के लिए पारी की शुरुआत कर रहे केएल राहुल ने कहा कि वह टी-20 विश्व कप टीम में जगह बनाने की चिंता किए बिना मौके का पूरा उपयोग करना चाहेंगे। भारतीय टीम तीन मैचों की इस श्रृंखला के जरिये अगले साल आस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारी करेगी। ऐसे में जिन खिलाड़ियों की टीम में जगह पक्की नहीं है, वे चयनकर्ताओं का ध्यान खींचना चाहेंगे।

चोटिल शिखर धवन की जगह पहले टी-20 मैच में पारी का आगाज करने वाले राहुल ने 40 गेंद में 62 रन बनाए। भारत ने वेस्ट इंडीज को छह विकेट से हराया। राहुल ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अभी टी-20 विश्व कप में काफी समय है। मुझे एक बार फिर पारी की शुरुआत करने का मौका मिला है तो मैं इसका पूरा उपयोग करना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि यह अच्छा मैच था और मैं खुलकर खेल सका। उम्मीद है कि अगले साल अक्तूबर के बारे में सोचे बिना यह लय कायम रख सकूंगा। कर्नाटक के इस स्टायलिश बल्लेबाज ने कहा कि दोनों टीमों ने 200 से अधिक रन बनाए लेकिन यह विकेट आसान नहीं था।

उन्होंने कहा कि विकेट उतना बुरा नहीं था।

बल्लेबाजों ने बेहतर किया, गेंदबाजी में अनुशासन की कमी : पोलार्ड

हैदराबाद, 7 दिसंबर (भाषा)।

वेस्ट इंडीज के कप्तान किरेन पोलार्ड ने भारत के खिलाफ पहले टी-20 मैच में हार के बाद अपने बल्लेबाजों की तारीफ की लेकिन कहा कि गेंदबाजी में अनुशासन का अभाव था। वेस्ट इंडीज ने पांच विकेट पर 207 रन का स्कोर बनाया लेकिन भारत ने 18.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

पोलार्ड ने मैच के बाद कहा कि हमने बल्लेबाजी अच्छी की। हमने 200 से अधिक रन बनाए। ऐसा अकसर नहीं होता। गेंदबाजी में हालांकि अनुशासन का अभाव साफ दिखा। उन्होंने कहा कि हमने 23 रन अतिरिक्त दिए जिनमें 14 या 15 वाइड गेंदें थी यानी अतिरिक्त गेंदे भी दे डाली। भारत जैसी टीम को इतने फालतू रन और गेंद देने का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि आप हर स्थिति में नकारात्मकता ढूंढ सकते हैं लेकिन जीवन सकारात्मकता का नाम है। आगे बढ़कर सुधार करना जरूरी है।

10 साल बाद पाक टीम का हिस्सा बने फवाद आलम

इस्लामाबाद, 7 दिसंबर (एपी)।

पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टैस्ट श्रृंखला के लिए 10 साल में पहली बार 34 साल के मध्यक्रम बल्लेबाज फवाद आलम ने पिछला टैस्ट मैच 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डुनेडिन में खेला था। आलम को टीम में शामिल किया। मुख्य चयनकर्ता और मुख्य कोच मिसबाह उल हक ने शनिवार को कहा कि घरेलू क्रिकेट में हाल के शानदार प्रदर्शन को देखकर ही इस बाएं हाथ के बल्लेबाज का चयन किया गया है।

श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला आइसीसी विश्व टैस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है जो अगले बुधवार से रावलपिंडी में शुरू होगी। दूसरा टैस्ट 19 से 23 दिसंबर तक कराची में होगा। आलम ने पिछला टैस्ट मैच 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डुनेडिन में खेला था। उन्होंने जुलाई 2009 में श्रीलंका के खिलाफ पदार्पण टैस्ट में शतक जड़ा था।

इस तरह पाकिस्तान ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टैस्ट मैचों की श्रृंखला में बुरी तरह हारने वाली 16 सदस्यीय टीम में दो बदलाव किए हैं जिसमें एक आलम हैं जिन्हें इफ्तिखार अहमद की जगह शामिल किया गया है। वहीं युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद मूसा की जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी को शामिल किया गया है। मिसबाह ने कहा कि मूसा टैस्ट टीम के साथ बने रहेंगे और गेंदबाजी कोच वकार यूनिस के साथ काम करना जारी रखेंगे।

टीम : अजहर अली (कप्तान), आबिद अली, असद शफीक, बाबर आजम, फवाद आलम, हैरिस सोहेल, इमाम उल हक, इमरान खान, काशिफ भाटी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, शान मसूद, यासिर शाह और उस्मान शिनवारी।

संतुलन साउथ-ईस्ट एशियाई खेलों में कलात्मक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के दौरान सिंगापुर की लीच च्यिू।

जूनियर हॉकी टीम में न्यूजीलैंड को हराया

कैनबरा, 7 दिसंबर (भाषा)।

शर्मिला देवी के दो गोल की मदद से भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने तीन देशों के टूर्नामेंट में अपने तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया। न्यूजीलैंड के लिए ओलिविया शेनोन ने चौथे मिनट में ही गोल दाग दिया। शर्मिला ने 12वें और 43वें मिनट में गोल किया जबकि ब्यूटी डुंगडुंग ने 27वें और लालरिंडिकी ने 48वें मिनट में गोल दागे।

भारत ने चौथे ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर गंवाया जिस पर न्यूजीलैंड के लिए ओलिविया ने गोल दागा। भारत ने पहले ही क्वार्टर में वापसी की और शर्मिला के गोल के दम पर बराबरी कर ली। दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों को कई मौके मिले लेकिन कोई भुना नहीं सका। भारत ने 27वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया।

भारतीय फॉरवर्ड ब्यूटी ने यह गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई। उधर भारत की बिचू देवी खारिबम ने कीवी हमलों को नाकाम कर दिया। तीसरे क्वार्टर में भारत के लिए शर्मिला ने दूसरा गोल किया और 48वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत ने बढ़त 4-1 की कर ली जो अंत तक कायम रही। अब भारतीय टीम रविवार को आस्ट्रेलिया से चौथा और आखिरी मैच खेलेगी।

छेत्री जैसे खिलाड़ी दशक में एक बार आते हैं : स्टिमक

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (भाषा)।

कोच इगोर स्टिमक ने करिश्माई भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री को 'दशक में एक बार' आने वाला खिलाड़ी बताया है। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में वह किसी भी खिलाड़ी को उनकी जगह लेते नहीं देख रहे हैं। स्टिमक ने शुक्रवार को फेसबुक लाईव कार्यक्रम में कहा कि छेत्री जब संन्यास का फैसला करेंगे तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा।

स्टिमक ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो इस प्रश्न (छेत्री के बाद टीम का क्या होगा) से मुझे उलझन होती है। हमारी टीम में सुनील छेत्री हैं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक या दो दशक में एक बार आते हैं। लेकिन फिर भी हर कोई यह पूछता है कि वह खेल को कब अलविदा कह रहे हैं या उनके संन्यास के बाद टीम का क्या होगा। उन्हें खेल का लुत्फ उठाने दीजिए। हम उन पर दबाव क्यों बना रहे हैं।

अमिताभ ने फिल्मी अंदाज में की कोहली की तारीफ

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (भाषा)।

क्रिकेट के शौकीन सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ आक्रामक पारी खेलने वाले कप्तान विराट कोहली की तारीफ अपनी फिल्म के संवाद के जरिए की है। हैदराबाद में वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 207 रन बनाए। जवाब में भारत ने आठ गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया जिसमें कोहली ने करिअर की सर्वश्रेष्ठ 94 रन की पारी खेली।

अमिताभ ने ट्विटर पर लिखा ,'यार कितनी बार बोला मई तेरे को...की विराट को मत छेड़, मत छेड़, मत छेड़ पन सुनताइच किधर है तुम। अभी पर्ची लिख के दे दिया ना हाथ में। देख देख ..वेस्टइंडीज का चेहरा देख ...कितना मारा उसको, कितना मारा।' दरअसल अमिताभ की फिल्म 'अमर अकबर एंथोनी' में एक गुंडे जिबिस्को से पिटने के बाद आइने के सामने खड़े होकर वह ऐसा ही डायलाग बोलते हैं। इसे हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर कामेडी डायलाग में से एक माना जाता है। कोहली ने भी ट्विटर पर इसका जवाब देते हुए कहा,'मुझे यह डायलाग बहुत पसंद है सर। आप हमेशा एक प्रेरणास्रोत हैं।'

अमिताभ ने ट्विटर पर लिखा

यार कितनी बार बोला मई तेरे को...की विराट को मत छेड़, मत छेड़, मत छेड़ पन सुनताइच किधर है तुम। अभी पर्ची लिख के दे दिया ना हाथ में। देख देख ..वेस्टइंडीज का चेहरा देख ...कितना मारा उसको, कितना मारा।'

बास्केटबॉल पंजाब के 23 साल के खिलाड़ी को 2015 में एनबीए टीम में चुना गया था

डोपिंग परीक्षण में विफल हुए सतनाम

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (भाषा)।

एनबीए टीम में शामिल हुए पहले भारतीय खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पिछले महीने डोपिंग परीक्षण में विफल रहे। इसके बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजंसी ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। पंजाब के 23 साल के खिलाड़ी को 2015 में एनबीए टीम में चुना गया था लेकिन वह दक्षिण एशियाई खेलों की तैयारियों के लिए लगाए गए शिविर के दौरान नाडा द्वारा बंगलुरु में टूर्नामेंट के बाहर आयोजित हुए परीक्षण में विफल रहे।

नाडा द्वारा जारी पत्रिका के अनुसार उन्हें 19 नवंबर को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। भामरा ने व्यक्तिगत कारणों से एक दिसंबर से शुरू हुए 13वें दक्षिण एशियाई खेलों से हटने का फैसला किया था। सात फुट दो इंच का यह खिलाड़ी सैग के लिए बंगलुरु के साई सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा था।

भामरा के मूत्र के ए नमूने में पाए गए प्रतिबंधित पदार्थ का पता नहीं चला है। नाडा के नियमों के अनुसार एक एथलीट के पास ए नमूने का नोटिस मिलने के सात दिन के अंदर बी नमूने की जांच कराने का अधिकार है। अगर बी नमूना भी पाजीटिव पाया जाता है तो उसके मामले की सुनवाई नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल द्वारा होती है जो फैसला करता है कि सजा दी जाए या नहीं।

अगर भामरा को डोपिंग का दोषी पाया जाता है तो उन पर पहली बार डोपिंग में सकारात्मक पाए जाने के लिए अधिकतम चार साल का प्रतिबंध लग सकता है। हालांकि अभी पता नहीं चला है कि भामरा ने बी नमूने की जांच का अनुरोध किया है या नहीं। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के चंदर मुखी शर्मा ने कहा कि उन्हें भामरा के डोपिंग मुद्दे की जानकारी नहीं है क्योंकि वह शहर से बाहर हैं।

नाडा द्वारा जारी पत्रिका के अनुसार उन्हें 19 नवंबर को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 21, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com

जनसत्ता
रविवारी
• 8 दिसंबर, 2019 •

विवाह, धोखा और कानून

विवाह के रिश्ते अब काफी कमजोर हो गए लगते हैं। मामूली बातों पर शादियां टूट जाती हैं। मगर सबसे पीड़ादायी तब होता है, जब कोई धोखे से विवाह करे और अपनी पत्नी या पति को छोड़ जाए। ऐसे में आश्रितों के सामने कई मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। पहले पंजाब में ऐसे अनेक मामले सामने आए, जब विदेश में बसे लड़के अपने गांव या शहर आकर शादी करते थे और फिर पत्नी को छोड़ कर गायब हो जाते थे। अब यह प्रवृत्ति देश भर में देखी जा रही है। इसी के मद्देनजर विवाह पंजीकरण कानून लागू किया गया। मगर यह कानून कितना कारगर साबित हो पाया है और इसमें कहां खामियां रह गई हैं, बता रहे हैं श्रीशचंद्र मिश्र।

छह साल पहले संसद के मानसून सत्र में तमाम हंगामे और उठापटक के बीच सबसे अच्छी बात यह हुई कि विवाह के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था करने वाले विधेयक को हरी झंडी मिल गई। इससे वैवाहिक संबंधों से जुड़ी कई पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ होने की उम्मीद बंधी। हालांकि सहजीवन की कानूनी व्याख्या ने इस व्यवस्था की व्यावहारिकता पर सवाल भी खड़े कर दिए। अदालतों में जितने भी पारिवारिक विवाद पहुंचते हैं, उनमें संपत्ति विवाद के बाद सबसे ज्यादा संख्या वैवाहिक संबंधों से जुड़े विवादों की होती रही है। कानूनी प्रक्रिया की जटिलता या उपयुक्त कागजात की जानकारी न होने की वजह से अक्सर किसी न किसी पक्ष को न्याय नहीं मिल पाता। खासकर महिलाओं को यह साबित करने में कई तरह की मुश्किलें आती रही हैं कि वे सचमुच प्रताड़ित हुई हैं। ऐसे में विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का कानून लागू होने से कई तरह की पारिवारिक समस्याओं का समाधान होने का रास्ता खुल सकता था।

मगर पिछले छह सालों में स्थितियां सुधरने की बजाय और बिगड़ी हैं। वैवाहिक रिश्तों में तनाव बढ़ा है। पारिवारिक प्रताड़ना की खबरें ज्यादा आ रही हैं। दांपत्य जीवन में विश्वास खत्म हो रहा है। अब सहजीवन संबंध (लिव इन रिलेशन) को शादी की तरह के रिश्ते में लाने के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से कुछ पेचीदगियां पनप सकती हैं।

विवाह का अनिवार्य पंजीकरण करने की मांग विभिन्न स्तरों पर काफी समय से उठती रही है। सामुदायिक, धार्मिक और सामाजिक बाध्यताओं, मान्यताओं और जटिलताओं की वजह से एक अनिवार्य व्यवस्था के रूप में इसे लागू करने में अड़चन आ रही थी। कानून बनाना इसीलिए जरूरी हो गया था, क्योंकि बदलती सामाजिक व्यवस्था और बिगड़ते मानवीय मूल्यों ने विवाह जैसी रस्म की परिभाषा को बदल दिया है।

वैवाहिक संबंधों में तनाव बढ़ रहा है और इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, व्यभिचार जैसी आपराधिक प्रवृत्तियां पनपने लगी है। खासकर अनिवासी भारतीयों से शादी के कैसे त्रासद नतीजे हो सकते हैं, इसे शादी के नाम पर ठगे गए पंजाब के हजारों परिवारों से बेहतर और कौन समझ सकता है। वैवाहिक संबंधों में कितना धोखा हुआ है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में हजारों महिलाएं ऐसी हैं, जिन्हें उनके प्रवासी पतियों ने छोड़ दिया है। ऐसे में हर शादी का पंजीकरण होना अनिवार्य हो गया था, ताकि रिश्ते की डोर में बंधे वर-वधू को कानूनी प्रामाणिकता मिल सके। वैवाहिक संबंधों का टूटना न सिर्फ इससे जुड़े लोगों के लिए दर्दनाक अनुभव है, बल्कि समाज को भी उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। खासकर कानूनी प्रक्रिया और परित्यक्त होने वाली महिलाओं पर पड़ने वाले जिम्मेदारी के बोझ ने इसे और पीड़ाजनक बना दिया है। पारिवारिक कानूनों में इस समस्या का कोई कारगर समाधान नहीं हो पाने की वजह से एक सख्त कानून बनाना जरूरी हो गया था। अनिवासी भारतीय वर से शादी में तो समस्याएं और बढ़ जाती है। शादी भारत में होती है और उस पर लागू होते हैं आयातित कानून। ऐसे में यह जरूरी था कि विवाह को मजबूत कानूनी जामा पहनाया जाए।

विवाह का पंजीकरण कराने का कानून पहले ऐच्छिक था। इसी को देखते हुए सीमा बनाम अश्विनी कुमार मामले में स्थानांतरित याचिका (सी) नंबर 291 में 14 फरवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि केंद्र और राज्य सरकारें सभी धर्मों के नागरिकों के विवाह का अनिवार्य पंजीकरण कराएं और तीन महीने में सभी राज्य पंजीकरण की प्रक्रिया अधिसूचित कर दें। लेकिन इस निर्देश पर कोई अमल होता न देख 25 अक्टूबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह निर्देश दोहराया। यह राज्यों पर छोड़ा गया कि वे अपने यहां होने वाले सभी धर्मों के सभी नागरिकों के विवाह का पंजीकरण कराने की व्यवस्था करें। अनिवासी भारतीयों से शादी के बढ़ते हुए मामले देखते हुए यह और जरूरी हो गया था। ऐसे विवाह में विवाह का प्रमाण-पत्र जारी करना और अनिवासी भारतीय वर या वधू का सामाजिक सुरक्षा नंबर दर्ज करना अनिवार्य था। दुर्भाग्य की बात है कि अनिवासी भारतीयों की सबसे ज्यादा शादी पंजाब में होती रहीं हैं और वही शादी का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने का कानून बनाने में टाल-मटोल हुई। अनिवासी भारतीयों से शादी का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना इसलिए जरूरी था ताकि वर-वधू के पास विवाह का प्रमाण और सबूत रहे और शादी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को रोका जा सके। पंजाब में करीब तीस हजार ऐसी परित्यक्त वधुएं हैं, जिन्हें आज भी कोई राहत और कानूनी मदद उपलब्ध नहीं है। अनिवासी भारतीयों के राज्य आयोग ने समय-समय पर विदेशों में रह रहे भारतीयों के साथ विवाह में धोखाधड़ी और उस विवाह की परिणति क्रूरता और उत्पीड़न में होने के मामलों की पहचान की और सिफारिश की कि इस प्रवृत्ति के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। लेकिन समस्या की भयावहता को देखते हुए यह पहल नाकाफी रही।

सबसे संभव समाधान तो यही माना गया कि विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने का कानून बनाया जाए। ऐसे मामलों में किसी भी तरह के विवाद का निपटारा करने के लिए पारिवारिक अदालतें गठित की जाएं और 2011 में बने अनिवासी भारतीय कानून को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य आयोग को अधिकार दिए जाएं। पंजाब के लिए खासतौर से ऐसे कानून की जरूरत महसूस की गई, जिसमें हर विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो, भले ही विवाह किसी धर्म, जाति, वर्ण या राष्ट्रीयता में हुआ हो। यह पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया कि भारतीय नागरिक हो, अनिवासी भारतीय हो या विदेशी नागरिक, अगर उनकी शादी पंजाब में होती है तो व्यक्ति की हैसियत या स्तर कुछ भी क्यों न हो, उसकी शादी पंजीकृत हो। साथ ही दोनों पक्षों में से दोनों या कोई एक अनिवासी भारतीय या विदेशी नागरिक हो, तो उसके लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि वह अपने पासपोर्ट का ब्योरा, विदेशी आवास का पता, सामाजिक सुरक्षा नंबर या संबंधित देश द्वारा उसकी पहचान से संबंधित किसी भी तरह के दस्तावेज की जानकारी दे। ■

बढ़ रहे हैं 'भगोड़े' पति

भारत में शादी करके भाग जाने वाले भगंड़े एनआरआई पतियों की 2018-19 में 828 शिकायतें मिली हैं। 2017 में महिला आयोग को ऐसी 528 शिकायतें मिली थीं। 2008 में महिला सशाक्तकरण पर गठित संसदीय समिति की सिफारिश पर एनआरआई शादियों से जुड़े मुद्दों का निपटारा करने के लिए महिला आयोग को कोआर्डिनेटिंग एजंसी बनाया गया था। सितंबर, 2009 में आयोग ने एनआरआई सेल बनाया। तबसे इस सेल को 4274 शिकायतें मिल चुकी हैं।

धोखाधड़ी की यह समस्या अब पंजाब तक सीमित नहीं रह गई है। 2018-19 में तो दिल्ली ने 96 शिकायतीं से पंजाब (95) को पीछे कर दिया। उत्तर प्रदेश में 94, हरियाणा से 68, तमिलनाडु से 65, तेलंगाना से 64, महाराष्ट्र से 63, आंध्र प्रदेशे से 54 और गुजरात से 48 शिकायतें मिलना बताता है कि शादी के नाम पर एनआरआई पतियों की धोखाधड़ी व्यापक रूप ले चुकी है। इस अपराध को रोकने के लए जो कदम उठाए गए हैं वे नाकाफी हैं। महिला आयोग की सिफारिश पर विदेश मंत्रालय ने पिछले साल से अब तक इकसठ भगोड़े एनआरआई पतियों के पासपोर्ट या तो स्थगित किए हैं या रद्द।

फरवरी, 2019 में संसद के बजट सत्र में राज्यसभा में 'द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन बिल' पेश तो हुआ, लेकिन पास नहीं हो सका। बिल में कई ऐसे प्रावधान थे, जिनसे इस धोखाधड़ी पर अंकुश लग सकता है। मामला शादी के बाद पत्नी को छोड़ देने का ही नहीं है। अदालती समन की भी भगोड़े पति अनदेखी करते हैं। पत्नीयों का वीजा रद्द करवा देते हैं। सबसे खतरनाक है एनआरआई शादी की आड़ में विदेशी जमीन पर देह व्यापार और मानव तस्करी जैसे अपराधों को अंजाम दिया जाना। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देश जारी कर ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई कर पीड़िता की हितों की हिफाजत करने को कहा था। इस पर तभी अमल हो सकता है, जब संबंधित एजंसियों में बेहतर तालमेल हो और ऐसे मामलों के त्वरित समाधान की कोई व्यवस्था हो। ■

कानून के कई फायदे

सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराने के सुप्रीम कोर्ट के 2006 में दिए गए निर्देश पर कानून बनने में भले ही सात साल लग गए, लेकिन इस कानून पर अगर सही तरीके से अमल हो पाए, तो कई तरह की पारिवारिक विषमताओं से बचा जा सकता है। विविधताओं वाले देश में विभिन्न समुदायों के बीच विवाह की अलग-अलग परंपराएं हैं। इसीलिए राज्य सरकारें अपने हिसाब से अलग-अलग नियम लागू कराती रही हैं। विवाह का समान कानूनी दस्तावेज बनने से खासतौर पर अंतर धार्मिक विवाह करने वालों को वैधानिक सुरक्षा मिल सकती है। कानून से विवाह के बाद महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने, बाल विवाह से मुक्ति दिलाने, किसी पक्ष को अंधेरे में रख कर होने वाली शादियों और बहु विवाहों पर रोक लगने की उम्मीद की गई थी। पर ऐसा हो नहीं पा रहा है।

सबसे ज्यादा अड़चन पंजाब में इस कानून पर सख्ती से अमल की है। सालों से वैवाहिक रिश्तों में धोखे या अधिकारों के हनन की सबसे ज्यादा शिकायतें पंजाब से मिलती रही हैं। यह मूल रूप से कमाऊ दूल्हा ढूंढ़ने की मानसिकता से जुड़ी सामाजिक समस्या है। इसमें विदेश में बसे वर की असलियत जानने की कोई कोशिश नहीं होती। यह आसान भी नहीं होता। कानून में यह साफ व्यवस्था है कि पंजाब से बाहर शादी करने वाले अगर राज्य के निवासी हैं, तो उन्हें राज्य में शादी का पंजीकरण कराना होगा। अगर शादी अन्य किसी राज्य में पंजीकृत हो गई है या दोनों पक्षों पर लागू होने वाले कानून के तहत हुई है, तब पंजाब में उस शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। विवाह का अनिवार्य पंजीकरण कराने का कानून इस विवाह का पंजीकरण करने से मना भी कर सकता है, जो विवाह कानून के तहत न हुआ हो। इससे आनंद विवाह कानून से भी कोई टकराव नहीं है। दोनों पक्ष चुन सकते हैं कि वे विवाह का पंजीकरण कहां कराएं।

पंजाब सरकार ने 2011 में अनिवासी भारतीयों के लिए बने राज्य आयोग के लिए एक कानून पंजाब एनआरआई एक्ट बनाया था। मकसद था अनिवासी भारतीयों के लिए बने राज्य आयोग के लिए संवैधानिक व्यवस्था हो, ताकि वह राज्य के लोगों के हितों की ठीक से हिफाजत कर सके। साथ ही उनके कल्याण के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कदम सुझा सके। लेकिन आयोग ज्यादा असरदार इसलिए नहीं हो पाया कि जल्दबाजी में उसका गठन करते समय जरूरी विशेष अधिकार उसे नहीं दिए गए। आयोग को यह अधिकार तो मिला कि अनिवासी भारतीयों के मामले में वह जांच का आदेश तो दे सकता है या खुद भी जांच या छानबीन कर सकता है, लेकिन पंजाब एनआरआई एक्ट उसे कोई फैसला करने या सुनाने का अधिकार नहीं देता। आयोग के पास ताकत न होने से उसकी उपयोगिता घटी है। इसीलिए सिफारिश की गई है कि पंजाब एनआरआई एक्ट में संशोधन कर आयोग को जांच या छानबीन के बाद कुछ अधिकार दिए जाएं। मसलन अगर जांच से पता चले कि संबंधित व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा है, तो आयोग सरकार को या उपयुक्त एजंसी से मामले की जांच करने और दोषी पाए जाने पर सजा देने के लिए कह सके, दीवानी और फौजदारी अदालतों के साथ-साथ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकें और पीड़ित, पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों को अंतरिम राहत देने की सरकार से सिफारिश कर सकें।

जाहिर है कि जब तक एनआरआई आयोग को किसी मामले को अंतिम नतीजे तक पहुंचाने के लिए जांच या छानबीन के उसके अधिकार बढ़ाए नहीं जाते, तब तक आयोग की कवायद कारगर नहीं हो पाएगी। विशेष अधिकारों से आयोग को अपने आदेश पर अमल कराने की वैधानिक ताकत मिलेगी। इससे लोगों में न्याय पाने की उम्मीद बढ़ेगी। अनिवासी भारतीयों के पारिवारिक विवादों का भी इससे समाधान हो सकेगा। अनिवासी भारतीयों के लिए बने पंजाब राज्य आयोग ने 11 जुलाई, 2012 के अपने एक फैसले में कहा था- 'अनिवासी भारतीय वरों का अपनी वधुओं को छोड़ देने का चलन नया नहीं है। पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। विदेशों में बसे भारतीयों की शादी के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समस्या सिर्फ यही नहीं है कि महिलाओं को भारत में छोड़ दिया जाता है। इसमें वर पक्ष की तरफ से दहेज की मांग, अत्याचार और उत्पीड़न भी शामिल है। अपनी बेटी की इस तरह की तथाकथित शादी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा देने वाले माता-पिता की जब तक नींद खुलती है और वे अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जाते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। यह एक खतरनाक बीमारी है और इसका मुकाबला कड़ाई से किया जाना चाहिए।'

कानून तो बन गया है लेकिन पारिवारिक समस्याओं के उपयुक्त समाधान के लिए व्यवस्थित कानूनी ढांचा होना जरूरी है। वैवाहिक समस्याओं के सार्थक समाधान के लिए बिना देर किए फैसला होने की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिलहाल हिंदू विवाह कानून है, जो 1955 में बना था। यह कानून हिंदुओं के वैवाहिक मसलों से जुड़ा है। इसमें व्यवस्था है कि मामले की दैनिक सुनवाई की जाए और इस कानून के तहत दायर याचिका की सुनवाई जल्दी से जल्दी पूरी कर छह महीने के भीतर पूरी कर ली जाए। अनिवासी भारतीयों के मामले में कानून में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एनआरआई विदेशी कानूनों की आड़ लेकर देश के कानून के उद्देश्य को धता न बता सके। इसके लिए कानून में व्यापक संशोधन की जरूरत है। 1984 में बने पारिवारिक अदालत कानून में विवाह से जुड़े विवाद और पारिवारिक मसले जल्दी सुलझाने के लिए पारिवारिक अदालतें गठित करने का प्रावधान किया गया था।

यह एक ऐसा उपयुक्त मंच है जिसमें वैवाहिक मसलों का समाधान किया जा सकता है। इस कानून में राज्य सरकारों को यह फैसला करने का अधिकार दिया गया है कि वे चाहें तो ऐसी पारिवारिक अदालतें गठित करें। पंजाब में ऐसी अदालतों की ज्यादा जरूरत है, ताकि छोड़े गए पति या पत्नी, उपेक्षित बच्चों या वैवाहिक संबंधों की किसी भी तरह की समस्या का जल्दी, कारगर और सार्थक समाधान होने के साथ-साथ पीड़ित या पीड़िता को राहत मिल सके।

इस कानून की धारा 3 में कहा गया है कि हाई कोर्ट से सलाह कर राज्य पारिवारिक अदालतें गठित कर सकते हैं। पारिवारिक अदालतें हर राज्य में हर जिले में गठित की जानी चाहिए ताकि हर तरह के वैवाहिक और पारिवारिक विवादों का खासतौर से अनिवासी भारतीयों से जुड़े मामलों का जल्दी और कारगर निपटारा हो सके। ■

www.readwhere.com

चित्र: नंदलाल सिंह

सहयात्री

कहानी

मीरा सीकरी

मैं आपकी रूममेट हूं।'

उनके कहने पर मैं चौंक गया था। मेरे मुंह से निकला- 'पर मैंने तो अकेले कमरे के लिए बोला था।'

'मैंने भी तो अकेले कमरे की मांग की थी।'

हम दोनों ग्रुप मैनेजर के पास गए, जिसने मुझे समझाया- 'अंकल, अकेला-अकेला कमरा लेने पर आपको तीस हजार रुपए और देने होंगे। वैसे अगर आप दो सिंगल जेंट्ज वाला कमरा शेयर कर लें तो आपके जमा पैंसठ हजार में से कुछ रुपए हम वापस करेंगे... आंटी को हम अकेला कमरा दे देंगे।'

'मैं तीन वाला कमरा तो शेयर नहीं ही करूंगा... मैं कोई सजा काटने के लिए तो यहां आया नहीं। दो-तीन दिन पहले तुम्हारे चाचा से फोन पर बात करते हुए अचानक प्रोग्राम बन गया। उन्होंने तो मुझे सोचने का मौका दिए बिना आधे घंटे के अंदर लड़के को भेज कर पैंसठ हजार का चेक मंगवा लिया, यह कहते हुए कि आपका 'यूएस' का वीजा लगा हुआ है। दुबई पहुंच कर वहां का वीजा मिल जाएगा, ढाई हजार के करीब यहां बच जाएंगे, पांच-छह हजार और देकर अकेला कमरा दे देंगे।'

'चाचा जी से आपकी क्या बात हुई, मैं नहीं जानता, यहां पेमेंट तो मुझे करनी है। आपको ऑपशंस मैंने बता दिए हैं, आपको जो सूट करे, मुझे बता दीजिए।'

ग्रुप के लगभग सारे लोग अपने-अपने कमरों में जा चुके थे।

'डॉ कुमार, हम भी चलें।' अपने हाथ में पकड़े कार्ड को मुझे दिखाती, वे मुझसे पूछ रही थीं या कह रही थी। अब मैंने गौर से उनको देखा, अपने कटे हुए बालों में से झांकते गंजे हिस्सों को ढंकने के लिए हाथ की उंगलियों से बालों को सहलाती-बैठाती, आत्मसजग महिला। मेरी ही उम्र की। एकाध साल बड़ी या एकाध साल छोटी। अपने को व्यवस्थित करने के लिए कमरे में पहुंचने के लिए बेचैन हो रही थीं। उनको हां या ना, कुछ भी कहने के बदले मैंने उनसे पूछा- 'आपने मेरा नाम कैसे... मेरा मतलब, क्या आप मुझे जानती हैं?'

उन्होंने मेरे अटैची पर मोटे-मोटे अक्षरों में लिखे मेरे नाम-पते की तरफ देखा और मुझसे कहा- 'आप जयंत कुमार के भाई है न! वे इंडस्ट्री में मेरे कलीग रहे... दोस्तनुमा... बहुत ही जोवियल। आपकी भी बहुत बात करते। आप तो कॉलेज में लेक्चरर हैं न?'

'कॉलेज में पढ़ाता था, अब रिटायर हो चुका हूं।' (कह तो दिया, फिर लगा कि इन्हें यह सब कहने की क्या जरूरत थी।) वे भाई, हमारे परिवार, हमारी कॉलोनी से संबंधित जानकारी देती जा रही थीं। उनको सुनने के साथ-साथ मेरे मन में चल रहा था कि अगर उन्हें मेरे साथ एक कमरे में रहने में कोई एतराज नहीं, तो मुझे आपत्ति क्यों हो? वैसे भी इस उम्र में अपनी पहचान को देह से ऊपर उठा कर आत्मसत्य तक ले जाने में ही हित है।

'आपका नाम? आपने शायद बताया तो था, पर मेरे दिमाग में नहीं रहा... हमें किस कमरे में चलना है, कार्ड में नंबर देखिए।'

'मैं किरण हूं, किरण शर्मा। हमें थर्ड फ्लोर पर तीन सौ सोलह नंबर में जाना है।'

मैं ग्रुप मैनेजर से कुछ कहता, उससे पहले आदेश देते से स्वर में वे उसे सूचित कर रही थीं- 'अमित, डॉ. कुमार हमारे परिवार के बहुत पुराने जानकार और मेरे छोटे भाई जैसे हैं। हमारे ये दो अटैची केस हमारे कमरे में भिजवा दीजिए।'

'आंटी जी, डॉ साहेब, जल्दी से आप लोग डाइनिंग हॉल में आ जाइए, लंच लग चुका है... चार बजे बस आ जाएगी। शाम को हमें मिरेकल गार्डन जाना है। एक-डेढ़ घंटा तो वहां पहुंचने में लग जाएगा।'

मन हुआ कि सीधे डाइनिंग हॉल में चला जाऊं, सामान तो पहुंच ही रहा है, पर सभ्यता के तकाजे मैं उनके साथ कमरे में आ गया। कमरे को देख मन खुश हो गया। परदे को जरा-सा सरकाते ही कांच के स्लाइडिंग दरवाजे से खुली बालकनी में पहुंचा। खुली हवा में चैन की सांस आई। सुबह दिल्ली की सर्दी में जैकेट पहन कर आया था, उसकी इस वक्त यहां बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जैकेट उतार, उसे अंदर रखने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक सामने प्रकट हुईं किरण जी से टकरा जाता, अगर बीच में पारदर्शी कांच की दीवार न होती!

मैं वहीं ठिठक गया था। वे मुस्कुराते हुए बोलीं- 'वीके, तुम्हें किस साइड का बेड लेना है, मुझे बता दो। मैं अपना बैग रख के रेस्तरां में जा रही हूं।'

मेरे मुंह से निकला- 'आप जाइए, मैं सब कुछ देख लूंगा।'

निश्चित रूप से बॉल्कनी की तरफ के बेड को मेरा मन बन चुन चुका था। इकट्ठे बिछे ट्विन बेड मुझे चुभ रहे थे। तत्काल रिसेप्शन पर फोन किया, लड़कों को बुलवाया, बिस्तर को अलग करवाया और बीच में टेबल रखवा दी। सोचा, रात को अपने बेड के फालतू तकिए और कुशन इस टेबल पर रख दूंगा, ताकि वे न मेरा चेहरा देख सकें, न मैं उनका।

यों अब मैं मुक्त मन से डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहा था, पर मेरे मन में चल रहा था कि वैसे तो 'सचदेवा ट्रैवल्ज' के साथ ट्रैवल करने वाले सभी टूरिस्ट जानते हैं कि इनके साथ आने वाले अधिकतर सीनियर सिटीजन ही होते हैं। उनमें जोड़े भी होते हैं, पर एकल महिलाओं और पुरुषों की संख्या भी कम नहीं होती। इतने बड़े या कहूं, बुजुर्ग हो जाने पर भी 'यह औरत है, यह आदमी है' की मानसिकता से हम मुक्त नहीं हो पाते। दूसरों की क्या कहूं, किरण जी के मुंह से अपने लिए अनौपचारिक 'वीके' संबोधन सुनने और 'अपना भाई' कहे जाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था।

खाने की खुशबुओं में पहुंच कर महसूस हुआ कि मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। चारों तरफ आंखें घुमाई कि कहां बैठा जाए। दो जन वाली टेबलों के कोने वाली टेबल पर किरण जी बैठी हुई दिख गईं। प्लेट को टेबल पर रख कर बैठ ही रहा था कि किरण जी की आत्मीयता शुरू हो गई- 'बस यह खाओगे, तभी तो सीखची हो। कुमार साहेब तो अच्छे-खासे, खाने-पीने वाले तंदरुस्त, हैंडसम...' वे और बोलती जातीं, पर उनको वहीं रोक देने के इरादे से मैंने कहा- 'भाई अब नहीं हैं। उनको गए हुए भी चार साल से ज्यादा होने को आए।' वे चुप हो गईं। उनकी चुप्पी में मुझे भाई के प्रति चाहत और लगाव नजर आ रहा था। उनको उबारने के लिए, उनके पूछने से पहले ही मैंने उन्हें बताया- 'भाई को कैंसर हो गया था। तभी से पीने-खाने के बारे में बहुत सचेत हो गया हूं। नियमित प्राणायाम, मेडिटेशन करने की कोशिश रहती है। वैसे हम सब स्वस्थ और खुश रहें, यही कामना है। पतले या मोटे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता।'

खाने के बाद किरण जी कमरे में चली गई थीं। मुझे लगा, कमरे में जाने से अच्छा है, नीचे लाऊंज में बैठना।

'आप यहां क्यों बैठे हुए हैं? बाहर बस आ चुकी है, वहीं चलते हैं। अपनी पसंद की सीट मिल जाएगी।'

ग्रुप की उन भद्र महिला के साथ बस की आगे वाली सीट हमें मिल गई थी। वे बड़े सहज ढंग से मुझे बता रही थीं कि उनकी रूम पार्टनर, अपनी बहन-बहनोई के साथ आई है। चार सहेलियां जालंधर से हैं। अमृतसर से नौ-दस जनों का पूरा गुट है। भाटिया साहब हमेशा की तरह छोटे सचदेवा के साथ उसके कमरे में हैं। बाकी मियां-बीवी के जोड़े। रह गए हम तीन- कहीं की ईंट कहीं के रोड़े। पर मैं अपने आप को अकेला नहीं कहती। पति के जाने के बाद मैंने अपनी बेटी से कह दिया, बेटा मुझे अपने साथ अपने घर पर रहने के लिए कहना भी नहीं। अब मैं न किसी के बंधन में रहना चाहती हूं, न किसी को बांधना चाहती हूं। सबके साथ पर अपने एकांत में।'

मैंने उनसे कहना चाहा था, 'आप बिल्कुल ठीक कहती हैं।' पर अचानक गायब और अचानक प्रकट हो जाने वाली किरण जी बस के अंदर प्रवेश करते हुए हमारी सीट के डंडे को पकड़ कर कह रही थीं, 'वीके तुमने मेरे लिए सीट नहीं रखी?' उनको कुछ भी जवाब देने के बजाय उठ कर उन्हें वहां बैठ जाने का इशारा करते हुए मैं पीछे चला गया था।

मिरेकल गार्डन में पहुंच कर लगा कि चलो शाम की सैर ही हो जाएगी। प्रवेश करते ही सामना हुआ ढेर सारी बिल्लियों से, जो अपनी चमकती-दमकती आंखों से हमारा स्वागत कर रही थीं! ये हाड़-मांस की बिल्लियां नहीं, हरियाली की बिल्लियां हैं। लाल, नीले, सफेद, पीले, गुलानारी रंगों के पिटूनिया की चमक और खिलाव को देख, उनके पास जाता हूं, यह देखने के लिए कि ये असली तो हैं! ढलती शाम के झुटपुटे में रंगीन बत्तियों की रोशनियों में पानी के फव्वारे हरियाली में जादुई जाल बुन देते हैं। इसे महसूस करने के लिए मैं परिधि के एक कुंज में, इक्कीस दिरहम (लगभग साढ़े चार सौ रुपए) की चाय लेकर आ बैठा। चाय के घूंट ने चेताया कि साढ़े सात तो बस के पास पहुंचना था! तेज-तेज कदम बढ़ा कर गेट के पास पहुंचा तो देखा कि किरण जी दूर से ही हाथ हिला कर ऊंचे स्वर में कह रही हैं- 'सुशीला, वो आ रहे हैं जनाब!'

मिरेकल गार्डन से लौट कर डिनर के बाद ही कमरे में आए थे। तब साढ़े दस बज रहे थे। सुबह दस बजे 'साईट सीईंग' के लिए निकलना था। रात की दवाई अभी लेनी थी। एक सिगरेट तो पी लूं, अभी सोच ही रहा था कि किरण जी की आवाज कान में पड़ी- 'मैं अपने लिए कॉफी बना रही हूं, तुम पियोगे?... देखो, 'कुमार साहब' के नाते मैं सुबह से तुमसे तू तड़ाक से बात कर रही हूं। दरअसल, फालतू की फॉरमैलिटी मेरे से निभती नहीं। तुम जरा प्राईवेट किस्म के आदमी लग रहे हो, इसलिए बुरा नहीं मानना।'

'थैंक्स, मैं कॉफी नहीं पीता। बस आप मुझे यह बता दीजिए कि आप सुबह कब उठती हैं? सुबह जल्दी उठने वालों में मैं नहीं हूं। वैसे यहां थोड़ा जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। नाता यहां साढ़े सात बजे शुरू हो जाता है। पेट की प्रॉबलम की वजह से, मुझको सुबह ज्यादा वक्त लगता है। सुबह साढ़े चार या पांच बजे का अलार्म लगाऊंगा। आपको थोड़ी डिस्टरबेंस तो होगी, पर मेरी कोशिश होगी कि अधिकतम सात नहीं, तो सवा सात बजे तक पूरा कमरा आपके डिसपोसल पर हो।'

यह तो अच्छा हुआ कि यहां के मौसम की ठीक-ठीक जानकारी न होने से बैग में एक दो पाजामे डाल लिए थे। सिगरेट को भूल, किरण के कॉफी पीने तक मैंने वॉशरूम में जाकर रात के लिए कपड़े पहन लिए थे।

दवाई लेकर, बालकनी की तरफ मुंह कर सोने की कोशिश कर रहा था। मन में चल रहा था, उनका ज्यादा बेतकल्लुफ व्यवहार भी तो शायद अपने को सहज रखने का प्रयास ही हो! बाद के दिनों में मैंने नोटिस किया कि सबके बीच में तो नहीं, अकेले पड़ने पर वे भाई का कोई संदर्भ उठा लेतीं। उस दिन हम अबूदबी की विख्यात मस्जिद देखने गए थे। महिलाओं के लिए निर्देश था कि वे सिर से पांव तक ढके हुए कपड़ों में हों। वैसे साढ़े सात सौ दिरहाम किराया देकर बुर्का मिल सकता था। जांच-पड़ताल के समय किरण और सुशीला जी को रोक लिया गया था। मुझे पूरी बांहों की जैकेट पहने देख वे दोनों मेरे पास आई थीं। 'आप अपनी जैकेट किरण को दे दीजिए।' सुशीला जी ने कहा था।

उसके बाद रात को सोने का वक्त हुआ तो मुझे सुनाने को उनका आत्मालाप शुरू हो गया- 'धन्यवाद सुशीला जी, आपके त्याग और वीके की जैकेट की वजह से मस्जिद देखनी नसीब हो गई।... जयंत कुमार जी, आप जहां कहीं भी हों, मेरे मन की बात तो आप तक पहुंचेगी ही।... मैं आपके भाई की शिकायत नहीं कर रही, पर आप दोनों में कितना फर्क है। चालीस-पैंतालीस बरस पहले लगभग एक साथ मैंने अपने इकलौते छोटे भाई और मंगेतर को खोया था। मैं उन दिनों पागल-सी हो गई थी। यह तुम्ही थे, जो सच्चे मन से मुझसे कहते थे- 'मैं हूं न तुम्हारा भाई!' और आज के शाहरुख खान की तरह बांहें फैला 'तू है मेरी किरण' से मुझ रोती हुई को हंसा देते थे।'

मैं देखता कि किरण जी इन स्मृतियों से अपने वर्तमान के अकेलेपन को ठेंगा दिखा रही हैं। तो कभी दोपहर और शाम के बीच के आराम के लिए मिले अंतराल में मुझसे यह कह कर कि मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है, स्थानीय मार्केट में निकल जातीं। एक किरण जी ही थीं, जो ग्रुप के हर जन से बोलती-बतियाती थीं। बस का ड्राइवर हो, गाईड हो, होटल के मैनेजर से लेकर रिसेपशनिस्ट तक से उनका संवाद चलता। इस सबके बावजूद वे दिखतीं एक बेचैन और भटकती आत्मा थीं। दूसरी तरफ सुशीला जी- जो सबके बीच होते हुए भी होतीं बस अपने साथ। अपनी स्थायी मुस्कुराहट लिए। सुबह-शाम कुछ न कुछ देखने और कहीं न कहीं जाने की वजह से, पांच रातें बीत गईं, पता ही नहीं चला और लौटने का दिन आ गया।

लौटने की वेला में चेक आउट कर चाभी रिसेप्शन पर देकर अमित से किरण जी के बारे में पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा- 'निश्चिंत रहिए, वे हमेशा आखिरी सवारी होती हैं।'

दुबई का पड़ाव खत्म हो रहा था, पर यात्रा अभी शेष नहीं हुई थी। जैसे ही बस ने एअरपोर्ट पर छोड़ा, सारा परिदृश्य ही बदल गया। सामूहिकता अपने छोटे निजी गुटों और अपने-अपने में सिमट रही थी। यात्राएं ऐसे ही संपृक्ति और असंपृक्ति, लगाव और अलगाव, ग्रहण और त्याग सिखा जाती हैं।

दिल्ली एअरपोर्ट पर उतरे, तो पता नहीं किधर से अपनी ट्रॉली लिए किरण जी मेरे सामने आ खड़ी हुईं- 'तुम्हारा बेटा आ रहा है न! मुझे बस कहीं बाहर छोड़ देना, जहां टैक्सी मिल जाए।'

'टैक्सी तो यहीं मिल जाएगी।'

'मुझे बाहर छोड़ देना।' और वे मेरे साथ-साथ चली आईं। मैं उन्हें क्या कहता! बाहर निकलते ही मैंने बेटे को देख लिया था। बेचैन मन से उन्हें बेटे से मिलवाया, 'बेटा ये किरण शर्मा जी हैं, तुम्हारे ताया जी की कलीग थीं और दोस्त भी। दुबई में ये हमारे साथ थीं। इन्हें बाहर मेन रोड पर, जहां ये कहें, उतार देना।'

मैं जानता था बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। खीज में उसने मेरी अटैची के हैंडल को इस बुरी तरह से खींचा कि वह टूट गया। चुप्पी लिए तनाव में हम गाड़ी में बैठ गए थे। 'आंटी, मेन रोड पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जाना कहां है?' किरण के 'छतरपुर' कहने पर उसने उन्हें समझाने के अंदाज में कहा, 'हम तो नोएडा जा रहे हैं। छतरपुर बिल्कुल दूसरी तरफ है। आपको कहां छोड़ूं?'

'महिपालपुर के मेट्रो स्टेशन पर। वहां से मुझको टैक्सी मिल जाएगी।'

डेढ़-दो बजे वहां भी सन्नाटा था। टैक्सी-ऑटो का नामोनिशान नहीं। मुझे दोहरी टेंशन हो रही थी। किरण को वहां नहीं छोड़ा जा सकता था। बेटे से भी कहता, तो क्या कहता। 'किरण जी आपको एअरपोर्ट से ही टैक्सी ले लेनी चाहिए थी। अब बताइए, आपको कहां उतारें।' मेरे मन का सच बाहर आ गया था। बेटे ने ड्राईवर को छतरपुर की तरफ गाड़ी बढ़ाने का निर्देश दे दिया था। जैसे ही छतरपुर का चौक दिखा, उसके 'आंटी'

बोलते ही हाथ ऊपर उठा कर किरण ने कहा, 'बस यहीं, गाड़ी एक तरफ खड़ी कर लो।' वे गाड़ी से उतर गई थीं।

'किरण जी, आप सुबह जितने बजे भी उठें, अपने पहुंचने की सूचना जरूर दीजिएगा।' मैंने कहा। ❑

मैं देखता कि किरण जी इन स्मृतियों से अपने वर्तमान के अकेलेपन को ठेंगा दिखा रही हैं। तो कभी दोपहर और शाम के बीच के आराम के लिए मिले अंतराल में मुझसे यह कह कर कि मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है, स्थानीय मार्केट में निकल जातीं। एक किरण जी ही थीं, जो ग्रुप के हर जन से बोलती-बतियाती थीं। बस का ड्राइवर हो, गाईड हो, होटल के मैनेजर से लेकर रिसेपशनिस्ट तक से उनका संवाद चलता। इस सबके बावजूद वे दिखतीं एक बेचैन और भटकती आत्मा थीं।

सशस्त्र क्रांतियों के युग का अंत

प्रसंग

विनोद शाही

आधुनिक काल में प्रकट हुए क्रांतिकारी दर्शन, अपने जमीनी अनुभवों के आधार पर, इस बात की ताकीद करते प्रतीत होते हैं कि सत्ता परिवर्तन, सामाजिक यथार्थ को बदलने की दिशा में पहला पायदान भर होते हैं। इसलिए सत्ता परिवर्तन और इन्कलाब अब एक-दूसरे के पर्याय नहीं रह गए हैं। सत्ता परिवर्तन को इन्कलाबी अर्थ कौन देता है? वह इतिहास की दिशा को बदलने वाला कब होता है? ऐसा तब होता है, जब वह मानव समाज की चेतना को बदलने के अपने भविष्योन्मुख दूरगामी सरोकारों को स्पष्ट रूप में पहचान पाता है। ऐसा करने का मतलब है कि वह परंपरागत संस्कृति के नए पाठ करता हुआ बद्धमूल जड़ता को तोड़ने का साहस दिखाता है। बदले हालात में हम क्रांतिकारी उसे ही मान सकते हैं, जो केवल हालात को बदलने के लिए संघर्ष नहीं करता, बल्कि अधिक विकसित चेतना वाले समाज का निर्माण करने के लिए भी बौद्धिक मोर्चे पर खुद को तैनात करता है।

हमारे समय में क्रांतिकारी वही हो सकता है, जो भौतिक तब्दीली को आध्यात्मिक तब्दीली से जुदा करके नहीं देखता। बल्कि इन दोनों के बीच जो कृत्रिम खाई आधुनिक और उत्तराधुनिक समयों में खोद दी गई है, उसे भरने के लिए आगे आता है। वह समझता है कि सत्ता परिवर्तन को गैर-क्रांतिकारी शक्ति वर्चस्व के लिए इस्तेमाल करने वाले ही, भौतिक और आध्यात्मिक यथार्थ को एक-दूसरे से अलहदा किया करते हैं।

उत्तराधुनिक काल में गैर-क्रांतिकारी शक्ति वर्चस्व का लक्ष्य यह हो गया है कि कैसे पूंजी को आवारा पूंजी में बदल कर उस पर आसानी से एकाधिकार किया जा सके? गैर-क्रांतिकारी सत्ता-व्यवस्था शक्ति वर्चस्व को ही अपना मुख्य सरोकार बनाने लगती है। इसीलिए ऐसे आत्मध्रुव-वादी सत्ता परिवर्तनों ने बीसवीं शती में हुई समाजवादी और प्रजातांत्रिक क्रांतियों को आखिरकार असफल बना कर, प्रति-क्रांतियों में बदल दिया।

इक्कीसवीं सदी को दुनिया भर तक फैल जाने वाली जनतांत्रिक क्रांतियों के दौर की तरह देखा और दिखाया जा रहा है। इस नए राजनीति दर्शन की ऐतिहासिक जमीन उत्तर-रूसी परिदृश्य में है, जिसे विश्व में समाजवादी क्रांतियों के अंत की शुरुआत के रूप में व्याख्यायित किया जा रहा है। हमारे समय के समाजवादी चिंतक मानते हैं कि भूमंडलवाद के गर्भ से भूमंडलीय यथार्थवाद का जन्म अवश्य होगा, इसलिए वे इस दौर को संक्रमणकालीन संकट का दौर कहना अधिक पसंद करते हैं। तथापि वे अभी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि भविष्य के इन्कलाब परंपरागत समाजवादी क्रांतियों से बहुत अलग तरह के होंगे। खासकर इस लिहाज से अलग कि उनके केंद्र में सत्ता परिवर्तन से ज्यादा अहम होगा, सांस्कृतिक चेतनामूलक रूपांतर। इसकी वजह यह है कि अब सत्ता परिवर्तन का प्रजातांत्रिक तरीके से संभव होना पहले के मुकाबले कहीं अधिक आसान हो गया है।

प्रजातांत्रिक सत्ता संरचनाओं के अधिकांश दुनिया में होने वाले व्यापक स्वीकार ने सत्ता परिवर्तन को पहले के मुकाबले आसान जरूर बनाया है, पर उससे यह प्रक्रिया दूषित भी हुई है। इसने सत्ता परिवर्तन का, चार या पांच वर्ष की अवधि वाला क्रमिक कर्मकांड निर्मित कर दिया है। इससे सत्ता परिवर्तन सामाजिक यथार्थ को गहराई में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं रह गए हैं।

हथियारबंद क्रांतियों के दौर के अपने आखिरी चरण में दाखिल होने के संकेत मिलने लगे हैं, जिसके बाद इनका बहुत हद तक अप्रासंगिक होना तय लग रहा है। इसकी मुख्य वजह है कि हमारे समय तक आते-आते हथियारबंद क्रांतियां विविध राष्ट्रों के बीच होने वाले परंपरागत युद्धों को छद्म वेश में लड़ने के अस्त्र में तब्दील होती जा रही हैं। उनके सरोकार वैकल्पिक विकास से जुड़े मानवीय सरोकार न होकर, आतंकवाद, मूलवाद और फिदाइनवाद से गुत्थमगुत्था होकर रह गए हैं। हथियारबंद क्रांति करने की आड़ में मानवविरोधी सत्ता संरचनाओं की उनमें बड़े पैमाने पर घुसपैठ होने लगी है। इस तरह प्रतिगामी शक्तियों ने हथियारबंद इन्कलाबों को अपना बंधक बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और उनके जनधर्मी रूप की विजय की संभावनाओं को नष्ट कर दिया है।

अब प्रजातांत्रिक तरीके से समाज में व्यापक परिवर्तन लाने के नए तौर-तरीकों पर विचार करना जरूरी हो गया है। इससे यह बात साबित होती है कि हमारा समय अब सामाजिक विकास के उस दौर में पहुंच गया है, जहां सांस्कृतिक क्रांति सत्ता मूलक क्रांति से भी बड़ी जरूरत बन गई है। पूरी दुनिया के विविध समाजों की चेतना में रूपांतर के लिए प्रयास किए बिना अब दुनिया को बदलना मुमकिन नहीं रह गया है। दुनिया को बदलने का मतलब यह है कि दुनिया अधिक न्याय पूर्ण और मानवीय सरोकारों वाली हो। इसके लिए जिस सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत होगी, उस पर सोचते हुए हम इस विचार तक पहुंच सकते हैं कि हमारे मौजूदा वैश्विक दौर में संस्कृति का स्वरूप बहुलता मूलक हो गया है। विविध संस्कृतियों की आपससदारी द्वारा ही वैश्विक संस्कृति के स्वरूप को तय करने की बात सामने आ गई है।

धार्मिक समुदायों के आधार पर दुनिया की संस्कृति के व्यापक परिदृश्य की व्याख्या अब मुमकिन नहीं रह गई है। पूरी दुनिया को अपनी निगाह में रखेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर देश बहु-धार्मिक हो गए हैं। यही नहीं, अधिकांश देशों के विविध धार्मिक जनसमूहों या समाजों के बीच वैज्ञानिक चेतना वाले तथा गैर-धार्मिक चेतना वाले लोगों की तादाद भी काफी बढ़ रही है। ऐसे में हमें क्या करना होगा, इस पर विचार करने का समय आ गया है।

हम अपने देश के सांस्कृतिक परिदृश्य का सरसरी तौर पर जायजा लेना चाहें, तो कह सकते हैं कि औपनिवेशिक दौर में प्रचारित यह विचार हमारे दिलोदिमाग पर आज भी छाया हुआ है कि भारत अतीत में महानता से युक्त रहा है। इस महानता की सम्यक व्याख्या के अभाव में आधुनिक पुनर्जागरण के दौर में यह विचार पुनरुत्थानवादी होने की वजह से अप्रासंगिक हो गया। उसके सामने मौजूद था, पश्चिम में घटित होने वाला पुनर्जागरण और उसके गर्भ से प्रकट होने वाली प्रजातांत्रिक और समाजवादी क्रांतियां, जो मुकाबलतन अधिक प्रासंगिक लगने लगी थीं। इनका आधार जिस वैज्ञानिक विकास में था, उसके मुकाबले हम न सिर्फ पिछड़ गए अनुभव कर रहे थे, बल्कि अपने भावी विकास के लिए पश्चिम के ऋणी होने की स्थिति में आ चुके थे। औपनिवेशिक गुलामी के दौर में हमने अपने संसाधनों की नृशंस लूट-खसूट के बावजूद भौतिक विकास के नए रूपों को न सिर्फ स्वीकार किया, आजाद होने के बाद भी उन्हें एक विवशता भरी सुविधा की तरह ओढ़ लिया और इस पश्चिमपरस्ती को अपना विकास-धर्म ही बना लिया। पूंजीवादी विकास के समाजवादी मॉडल को हमने रूस की मदद से अपने सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगीकरण के लिए अपने तरीके से अपनाया।

भौतिक विकास के पूंजीवादी मॉडल के अंतर्विरोधों और दुष्परिणामों को देखते हुए महात्मा गांधी उसे भारत के लिए अहितकर मानते थे। वे उसे प्रकृति-विरोधी और मनुष्य की आध्यात्मिक मुक्ति की संभावना को नष्ट करने वाला मानते थे। तथापि ग्रामकेंद्रित अर्थतंत्र में वापसी को कुदरती विकास का हेतु बना सकने की उनकी दृष्टि को अव्यावहारिक मान कर खारिज कर दिया गया। व्यावहारिक रूप में गांधीवाद, पश्चिमी पूंजीवाद और मार्क्सवाद के मुकाबले इसलिए पिछड़ गया, क्योंकि वह ग्राम, प्रकृति और मनुष्य के प्रति समर्पित होने के बावजूद, इनसे ताल्लुक रखने वाली सामंतवादी जकड़बंदियों से निजात दिलाने के लिए कोई स्पष्ट और ठोस विचार हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया। गांवों के अर्थतंत्र और समाज-सांस्कृतिक तानेबाने में सामंती संरचनाएं गहरी जड़ें जमा कर बैठ गई हैं। यह वह क्षेत्र है, जिसकी चुनौतियों के सामने बेबस होकर हमारा 'स्वदेशी चिंतन और विकास मॉडल' अधिक मानवीय प्रतीत होने के बावजूद परंपरा पोषक और आदर्शवादी ही नहीं, पुनरुत्थानवादी भी लगने लगता है।

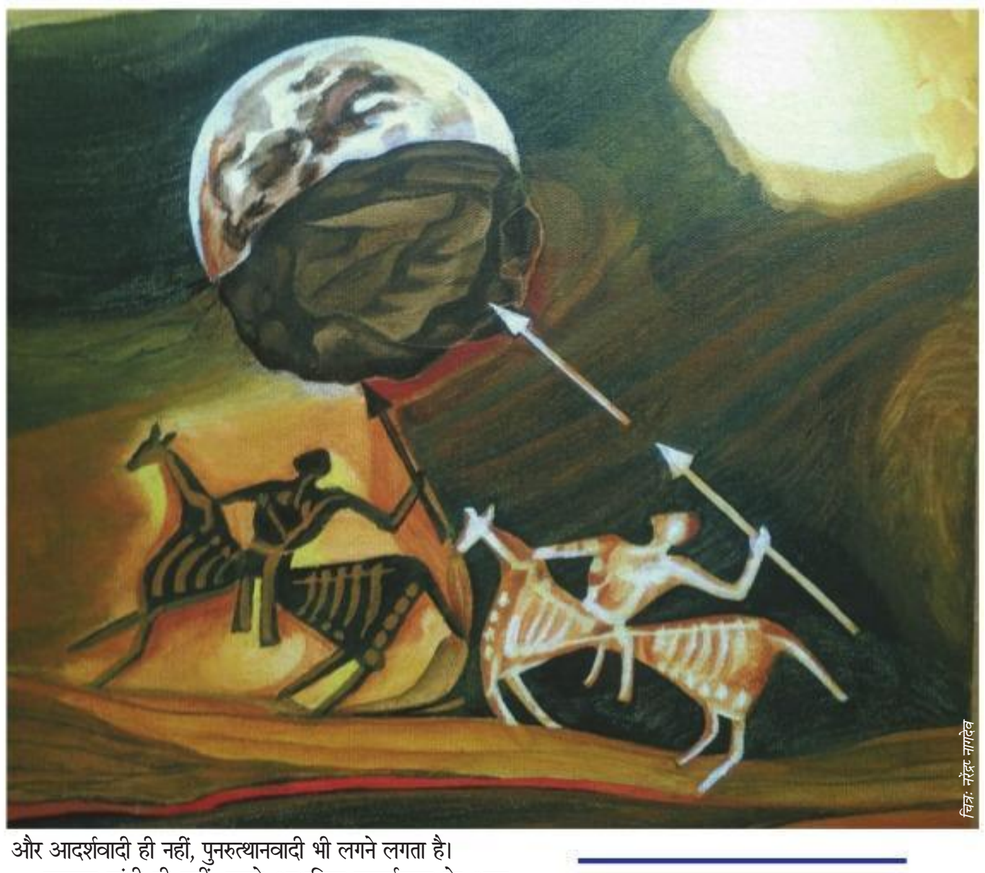
चित्र: नरेंद्र नागदेव

महात्मा गांधी ही नहीं, हमारे आधुनिक पुनर्जागरण के अन्य महान लोग भी इसमें बराबर के हिस्सेदार और जवाबदेह लगते हैं। दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विवेकानंद और अरविंद घोष जैसे महान चिंतक, मुख्यतः समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। वे मानवमुक्ति के अपने महान आदर्शों का जोर-शोर से प्रचार भी करते हैं, पर उनके गैर-सामंती समाज-सांस्कृतिक पुनर्गठन के लिए अपनी परंपरा के पुनर्पाठ को स्थगित बनाए रखते हैं। ऐसा करने के बजाय वे तात्कालिक दबावों के बरक्स अधिक जरूरी प्रतीत होने वाले सामाजिक सुधार करते हुए अपना काम चलाते हैं।

अब हमारे सामने उत्तराधुनिक दौर की नई तरह की चुनौतियां प्रस्तुत हैं। गांधी इस लिहाज से एक भविष्यद्रष्टा जैसे मालूम पड़ते हैं। ऐसे में हम अब एक और विकसित चेतना वाले नवजागरण की जरूरत महसूस कर रहे हैं। पर यह तभी घटित होगा, जब हम पश्चिम में घटित और अपने यहां प्रकट आधुनिक पुनर्जागरण के अधूरे रह गए कार्यों को पूरा करने के लिए अपने आप को पूरी ताकत और सामर्थ्य से झोंक देने के लिए सामने आएंगे। ❑

अब हमारे सामने उत्तराधुनिक दौर की नई तरह की चुनौतियां प्रस्तुत हैं। गांधी इस लिहाज से एक भविष्यद्रष्टा जैसे मालूम पड़ते हैं। ऐसे में हम अब एक और विकसित चेतना वाले नवजागरण की जरूरत महसूस कर रहे हैं। पर यह तभी घटित होगा, जब हम पश्चिम में घटित और अपने यहां प्रकट आधुनिक पुनर्जागरण के अधूरे रह गए कार्यों को पूरा करने के लिए अपने आप को पूरी ताकत और सामर्थ्य से झोंक देने के लिए सामने आएंगे।

सुरक्षित मातृत्व का हक

मोनिका शर्मा

मुद्दा

सेहतमंद और सुरक्षित मातृत्व के लिए गर्भावस्था के दौरान सही संभाल और प्रसव उपरांत देखभाल से जुड़ी बातों के प्रति सजगता, मां और बच्चे दोनों के लिए जरूरी है। हमारे यहां आज भी ऐसी स्थितियां नहीं बन पाई हैं, जो मां बनने के जज्बाती सफर को जागरुकता से जोड़ सकें। चिंतनीय है कि मां को पूजनीय दर्जा देने वाले हमारे देश में आज भी महिलाओं के लिए मातृत्व का यह सफर बेहद पीड़ादायी बना हुआ है। 'जच्चा-बच्चा' सर्वेक्षण- 2019 की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लगभग आधी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है। मां बनने वाली महिला को जरूरत से कम खाना नसीब होता है। गौरतलब है कि गर्भावस्था और मां बनने वाली महिलाओं की समस्याओं को समझने के लिए देश के छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) में यह सर्वेक्षण किया गया था। सही पोषण नहीं मिलने के कारण गर्भावस्था के दौरान उनका वजन तय मानक के अनुरूप नहीं बढ़ता। यह सर्वेक्षण बताता है कि महिलाओं को गर्भावस्था और उसके बाद की सावधानियों के बारे में भी बहुत कम जानकारी है। उत्तर प्रदेश में 48 फीसद गर्भवती महिलाओं को पता ही नहीं था कि गर्भावस्था के दौरान उनका वजन बढ़ना भी जरूरी है। चिंतनीय है सर्वेक्षण में सिर्फ 31 फीसद महिलाएं ही ऐसी पाई गईं, जो गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन कर रही थीं। कुछ महिलाएं शारीरिक रूप से इतनी कमजोर थीं कि प्रसव के समय तक उनका वजन 40 किलो से कम था। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं को अतिरिक्त आराम नहीं मिलता है। घरेलू जिम्मेदारियों के चलते वे उसी तरह नियमित काम करती रहती थीं। वहीं 63 फीसद महिलाएं तो ऐसी थीं, जिन्होंने प्रसव के दिन तक काम किया था, जिसका सीधा सा अर्थ है कि अधिकतर घरों में मां बनने जा रही महिला के भोजन, आराम, स्वास्थ्य की संभाल और विशेष जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इन छह प्रांतों के 10-12 आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं और छह महीने पहले ही शिशु को जन्म देने वाली मांओं से बातचीत पर आधारित इस अध्ययन में झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हालत बेहद निराशाजनक पाई गई है। हिमाचल प्रदेश को सार्वजनिक सुविधाओं में अग्रणी पाया गया।

मां के रूप में महिलाएं न केवल पारिवारिक-सामाजिक मूल्यों और रिश्तों की पोषक होती हैं बल्कि देश के भावी नागरिक भी गढ़ती हैं। ऐसे में देश के हर हिस्से, हर तबके की महिलाओं के लिए सुरक्षित मातृत्व पाना एक बुनियादी अधिकार है। इतना ही नहीं यह सीधे-सीधे उनकी सेहत से जुड़ा मसला भी है, जो महिलाओं के सबलीकरण से जुड़ा सबसे अहम पक्ष है। बावजूद इसके सामाजिक-पारिवारिक हालातों के अधिकतर पहलुओं पर आए बदलावों के बावजूद मां बनने जा रही महिला आज भी उचित पोषण और देखभाल से वंचित है। परिवार के सदस्य हों या खुद महिला में भी यह सजगता नहीं है कि भावी मांओं को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। सबसे चिंतनीय स्थिति तो देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की है। यहां सर्वेक्षण में शामिल शारीरिक रूप से कमजोर महिलाओं का वजन सिर्फ गर्भावस्था के दौरान सात किलोग्राम ही बढ़ा है। जबकि बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) के मुताबिक किसी महिला का वजन गर्भावस्था के दौरान 13 से 18 किलोग्राम तक बढ़ना चाहिए। ऐसे में यह कहना गलत न होगा कि इसकी वजह सही पोषण और आराम की कमी ही है। इतना ही नहीं घरेलू कामकाज का दबाव गर्भवती महिलाओं में तनाव भी पैदा करता है, जिसके चलते उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। विचारणीय है कि गर्भवती महिलाओं के खान-पान और सेहत की खैरियत से जुड़े ऐसे सभी कारक मां ही नहीं बच्चे की सेहत पर भी असर डालते हैं। बीते दिनों समग्र राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण में भी मां और बच्चे दोनों की पोषण की चिंतनीय तस्वीर आई है। इस सर्वे के मुताबिक पांच वर्ष तक के 35 फीसद बच्चे नाटे कद के हैं, 17 फीसद कमजोर, 33 फीसद कम वजन वाले और 11 फीसद भयंकर कुपोषित। राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण का सर्वे बताता है कि बच्चे की पोषणता की स्थिति का मां की पोषणता और शैक्षणिक स्तर के बीच गहरा संबंध है। साक्षरता और घर की संपत्ति मां और बच्चों के सेहत पर प्रभाव डालती है। निस्संदेह, आर्थिक समानता, शिक्षा और सजगता बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित मातृत्व से जुड़े अहम कारक हैं। अफसोस कि बड़ी संख्या में महिलाएं आज भी इन कारकों के मोर्चे पर पीछे ही हैं।

दरअसल, सेहतमंद मातृत्व और सुरक्षित प्रसव बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सही पोषण से सुनिश्चित किए जा सकते हैं। हमारे यहां तो प्रसव से जुड़ी परेशानियां इतनी हैं कि केवल बच्चे को जन्म देते समय ही महिलाएं काल कवलित नहीं होतीं। गर्भधारण के बाद सही पोषण, स्वास्थ्य देखभाल की उचित सलाह और टीकाकरण के अभाव में भी महिलाएं अपनी जान गंवाती हैं। यूनीसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मातृत्व मृत्यु दर का एक बड़ा कारण कुपोषण ही है। हमारे देश में एनीमिया और आयोडीन की कमी मां बनने वाले महिलाओं में बहुत आम है। कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को संतुलित आहार भी नहीं मिल पाता है, न ही उनके पास प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक सकुशल पहुंचने की परिवहन सुविधा ही होती है। इन महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व से सम्बंधित सरकारी योजनाओं की जानकारियों का अभाव भी होता है। महिलाओं की सेहत के प्रति जागरुकता की कमी और पारिवारिक अनदेखी आज भी सुरक्षित प्रसव और सेहतमंद मातृत्व के लिए चुनौती बने हुए हैं। दूर-दराज के गांवों में आज भी संस्थागत प्रसव के प्रति जागरुकता नहीं है। 2001 से 2011 के बीच हुई जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से भारत में हर वर्ष करीब 1.9 करोड़ प्रसव होते हैं , ऐसे में हर साल लगभग 34 हजार महिलाएं प्रसव से संबंधित कारणों से अपना जीवन खो देती हैं। विचारणीय है कि ये आंकड़े केवल संख्या भर नहीं हैं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में आधी आबादी की उस तस्वीर को दिखाते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मातृत्व को जीने के पहले ही महिलाओं का यूं काल कवलित हो जाना सरकार और समाज दोनों के लिए चिंतनीय है। इन पर न केवल विमर्श होना जरूरी है बल्कि इन आंकड़ों को कम करने हेतु गंभीर कवायदों की भी दरकार है।

दुखद है कि आज भी चिकित्सा सुविधाओं की कमी, कुपोषण, सामाजिक-आर्थिक असमानता, पारिवारिक सहयोग की कमी और जागरुकता का अभाव जैसे कारण महिलाओं से मातृत्व की खुशी को जीने के सुखद पल को छीन रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं संक्रमण, बाधित प्रसव और मानसिक तनाव जैसी अन्य पेंचिदगियों का भी शिकार होती हैं। अशिक्षा, परिवारजनों के सहयोग और समझ की कमी इन हालातों को और भी पेंचीदा बना देती हैं। यही वजह है कि मातृत्व सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सुधार के साथ ही सामाजिक सोच में बदलाव लाने की भी दरकार है। साथ ही जननी सुरक्षा के लिए चल रही सरकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वन किया जाना भी आवश्यक है। हैरत नहीं होनी चाहिए कि मातृत्व से संबंधित नीतियों का सही पालन न होने के चलते भी जरूरतमंद महिलाओं तक समुचित लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। आधी आबादी के बड़े हिस्से को आज भी जीवन की इस सबसे सुखद भूमिका को जीने के लिए उचित सरकारी नीतियों, स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं, सही पोषण और पारिवारिक स्तर पर संवेदनशील देखभाल की जरूरत है। ■

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

जन्म : 10 दिसंबर, 1878
निधन : 25 दिसंबर, 1972

शख्सियत

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सब राजाजी कहते थे। वे स्वतंत्रता सेनानी, वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के द्वितीय गर्वनर और पहले भारतीय गर्वनर जनरल थे।

जीवन और शिक्षा

इनका जन्म मद्रास के थोरापल्ली गांव में वैष्णव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नलिन चक्रवर्ती था। पांच साल के होने पर इनका परिवार होसूर चला आया। इनकी प्राथमिक शिक्षा होसुर के सरकारी स्कूल से हुई। 1894 में बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज से स्नातक किया। फिर 1897 में मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज से कानून की पढ़ाई। 1897 में इनका विवाह अलामेलू मंगलम्मा से हुआ। वकालत से इन्होंने खूब नाम कमाया। फिर राजनीति में आए और इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए।

राजनीतिक जीवन

अठाईस साल की उम्र में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। गांधी के छुआछूत आंदोलन और हिंदू-मुस्लिम एकता के कार्यक्रमों ने इन्हें बहुत प्रभावित किया। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने पर राजाजी गांधी जी के अनुयायी बन गए।1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया तो इन्होंने नागपट्टनम के पास वेदरनयम में नमक कानून भी तोड़ा। इसके लिए इन्हें जेल भी हुई। मंदिरों में जहां दलित समुदाय का जाना मना था, इसका इन्होंने जमकर विरोध किया। इन्हीं के फलस्वरूप मंदिरों में दलितों का प्रवेश संभव हो सका।

1937 में राजाजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कौंसिल का चुनाव जीता। इन्हें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी चुना गया। अंतिम गवर्नर माउंटबेटन के बाद राजगोपालाचारी भारत के पहले गवर्नर बने थे। 1950 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में इन्हें गृहमंत्री भी बनाया गया। 1952 में राजाजी को मद्रास प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया गया। वे 1952-1954 तक मुख्यमंत्री रहे। राजाजी दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। किंतु पंडित नेहरू से कई मसलों पर असहमति होने के कारण वे कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। कांग्रेस से अलग होकर 1959 में 'स्वतंत्र पार्टी' का गठन किया।

हिंदी प्रेम

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा। देश के गैर-हिंदीभाषी राज्यों में से एक तत्कालीन मद्रास प्रांत में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कराने का श्रेय उन्हें जाता है। राजाजी का मानना था कि हिंदी ही एकमात्र भाषा है, जो देश को एक सूत्र में बांध सकती है।

राजनीतिज्ञ के साथ लेखक भी

राजगोपालाचारी तमिल के साथ-साथ अंग्रेजी के भी बेहतरीन लेखक थे। जेल में रहने के दौरान इन्होंने 1922 में 'मेडिटेशन इन जेल' के नाम से एक किताब भी लिखी। वे सलेम लिटरेरी सोसायटी के संस्थापक थे। इन्होंने कई कहानियां भी लिखी। इतना ही नहीं कुछ दिनों तक महात्मा गांधी के अखबार 'यंग इंडिया' का संपादन भी किया। 1951 में, राजाजी ने अंग्रेजी में महाभारत का एक संक्षिप्त वर्णन लिखा, इसके बाद 1957 में रामायण का। 1961 में, इन्होंने कांबर के तमिल रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1958 में, इन्हें 'रामायण- चक्रवर्ती थिरुमगम्' के तमिल भाषा में काम करने के लिए साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

भारत रत्न

स्वतंत्रता संग्राम से लेकर बाद तक देश की सेवा करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार 'भारत रत्न' से नवाजा गया।

निधन : बीमारी के चलते बानवे वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ■

सर्दी का स्वाद

सर्दी में कुरकुरी, मसालेदार और चटपटी चीजें खाने का आनंद ही कुछ और होता है। मगर हर रोज मूंगफली, पकौड़े और बाजार की डिब्बाबंद चीजें खाते-खाते जी ऊब जाता है। ऐसे में कुछ ऐसी चीजें घर में बना कर रख ली जाएं, जो सभी को पसंद आएं और न सिर्फ स्वादिष्ट हों, बल्कि नाश्ते का विकल्प भी हों। फिर इस मौसम में उपलब्ध फलों-सब्जियों से नए-नए व्यंजन बना कर उनका आनंद न लें, तो सर्दी का मजा कुछ अधूरा रह जाता है। इस बार कुछ ऐसी ही चीजें।

दाना-पानी

मानस मनोहर

भाखरवाड़ी

यह महाराष्ट्र और गुजरात में आमतौर पर खाई जाने वाली एक प्रकार की नमकीन है। यह अपने आप में पूरा नाश्ता भी है। इसे कुछ लोग बाखरवड़ी भी कहते हैं। खाने में इसका स्वाद कुछ नमकीन, कुछ मीठा और थोड़ा चटपटा होता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के मसालों का उपयोग होता है। इसे चाय के साथ खाने पर स्वाद कुछ और बढ़ जाता है।

भाखरवाड़ी बनाना बहुत आसान है। इसे बना कर लंबे समय तक रखा जा सकता है। खाने में कुरकुरा होता है। इसे बनाने के लिए कुछ ज्यादा चीजें जुटाने की मश्क्कत भी नहीं करनी पड़ती। आमतौर पर घरों में उपयोग होने वाले मैदे, बेसन और मसालों के इस्तेमाल से बहुत कम समय में तैयार हो जाती है।

भाखरवाड़ी बनाने के लिए डेढ़ सौ ग्राम या डेढ़ कप मैदा और पचास ग्राम या आधा कप बेसन लें। इसमें आधा चम्मच नमक डालें और सारी चीजों को अच्छी तरह मिला सें। अब पचास ग्राम से कुछ अधिक या एक कलछी देसी घी गरम करके मोयन के रूप में डालें और पहले चम्मच से अच्छी तरह मिला लें। जब कुछ ठंडा हो जाए तो हाथ से मसलते हुए आटे में घी को ठीक से मिला लें। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सामान्य आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा पतला हो और न ज्यादा कड़ा। अब आटे को थोड़ी देर के लिए ढंक कर रख दें।

अब इसमें डालने का भरावन तैयार कर लें। भरावन तैयार करने के लिए दो बड़े चम्मच धनिया, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लें। इन सबको गरम तवे पर चलाते हुए सेंक लें। जब ये मसाले ठंडा हो जाएं, तो ग्राइंडर में डालें, ऊपर से दो चम्मच चीनी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और छह-आठ काली मिर्चें डाल कर महीन पीस लें। इस मसाले को अलग कटोरे में रखें।

अब कड़ाही में आधा चम्मच घी गरम करें और उसमें एक से डेढ़ चम्मच बेसन डाल कर चलाते हुए हल्का बादामी रंग आने तक भून लें। इसमें गांठें न पड़ने पाएं, इसलिए चम्मच से मसलते हुए भूनें। जब बेसन भुन जाए तो उसे पिसे हुए मसालों में डालें और सारी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। ठंडा हो जाए, तो हाथ से मसल कर मिला लें।

अब भाखरवाड़ी बनाने के लिए गुंथे हुए आटे को एक बार और गूंथ लें और रोटी से थोड़ी बड़ी लोई लेकर चकले पर रोटी की तरह बेल लें। कोशिश करें कि गोल बेलने के बजाय रोटी चौकोर बने, क्योंकि इसे हमें लपेटना है। रोटी की मोटाई न तो अधिक होनी चाहिए और न पतली। रोटी बिल जाए, तो उस पर पहले इमली की खट्टी-मीठी चटनी की पतली परत लगाएं। इससे भाखरवाड़ी का स्वाद थोड़ा चटपटा हो जाता है। अगर चटनी नहीं है, तो सिर्फ पानी लगा सकते हैं। फिर उस पर बेसन और मसालों को मिला कर तैयार मिश्रण की बराबर मोटाई की परत बिछाएं और हल्के हाथों से बेलन चलाते हुए दबा दें। ध्यान रखें कि मसालों की परत बिछाते समय किनारों पर थोड़ी जगह छोड़ दें, ताकि इसे बंद करने में आसानी हो।

अब एक किनारे से पकड़ कर रोटी को गोल घुमाते हुए लपेटें। जहां किनारा खत्म होता हो, वहां पानी लगा कर ठीक से बंद कर दें। एक बार गोल रोटी को हथेली के हल्के दबाव के साथ ठीक से आगे-पीछे घुमाते हुए रोल कर लें। इस रोल के छोटे-छोटे टुकड़े काटें और फिर उन्हें मसाले वाले हिस्से की तरफ से अंगूठे से ठीक से दबा दें, ताकि तलते समय मसाले बाहर न निकलें।

अब एक कड़ाही में तेल या घी गरम करें और उसमें इन कटी हुई भाखरवाड़ियों को तलने के लिए डाल दें। ध्यान रखें कि आंच मध्यम हो, नहीं तो तेज आंच पर ये जल जाएंगी और कुरकुरापन भी नहीं आएगा। इसे चाहें तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं।

अमरूद की चटनी

अमरूद को फल के रूप में तो सभी खाते हैं, पर इसकी चटनी खाकर देखें, बहुत लाजवाब होती है। इस मौसम में बहुत अच्छे अमरूद मिलते हैं।

चटनी बनाने के लिए हरे और बड़े आकार वाले नरम अमरूद लें। पीले और पिलपिले अमरूद की चटनी अच्छी नहीं बनती। चाहें तो अमरूद के बीज वाला हिस्सा अलग निकाल सकते हैं। न भी निकालें, तो कोई बात नहीं। गूदा निकालने से एक फायदा यह होता है कि उसके बीज बाहर निकल जाते हैं, जो खाते वक्त मुंह में नहीं आते। दूसरे, चटनी की मिठास कम हो जाती है। कुछ लोग चटपटी चटनी पसंद करते हैं, उन्हें उसमें मिठास पसंद नहीं होती। इसलिए गूदे को निकाल कर वैसे ही खा लें।

अमरूद के छोटे-छोटे टुकड़े काटें। उसे मिक्सर में डालें और ऊपर से अमरूद के वजन से आधे वजन की मात्रा में हरा धनिया, स्वाद के मुताबिक हरी मिर्चें, नमक, साबुत सौंफ, जीरा और साबुत धनिया डाल कर बिना पानी डाले पीस लें। अगर आपको पुदीने का स्वाद पसंद है तो कुछ पत्तियां उसकी भी डाल सकते हैं। यों सर्दी में पुदीने का जायका वैसा नहीं आता, जैसा गरमी में आता है। लहसुन भी डाल सकते हैं। अगर खटास अधिक पसंद करते हैं, तो नीबू का रस भी डाल सकते हैं। ■

खांसी-सर्दी के घरेलू उपाय

सेहत

मौसम बदलते ही ज्यादातर लोग खांसी-सर्दी की चपेट में आ जाते हैं। वहीं सर्दी में यह समस्या और बढ़ जाती है। बढ़ती ठंड अपने साथ खांसी सर्दी, जुकाम और फ्लू लेकर आता है। डॉक्टरों की मानें तो सर्दी-जुकाम, गले में दर्द या खांसी की ये समस्याएं बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन, एलर्जी या साइनस के कारण होते हैं। वहीं इससे बच्चे या वे लोग ज्यादा परेशान रहते हैं जिनकी प्रतिरोधी (इम्युनिटी) क्षमता कम होती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान है तो हम आपको कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं जिससे खांसी-सर्दी फुर्र हो जाएगी।

अदरक वाली चाय

सर्दी के मौसम में चाय की चुस्की का अपना ही मजा है। वहीं सर्दी व खांसी होने पर चाय में अदरक, तुलसी और काली मिर्च मिला कर पीने से बहुत आराम मिलता है।

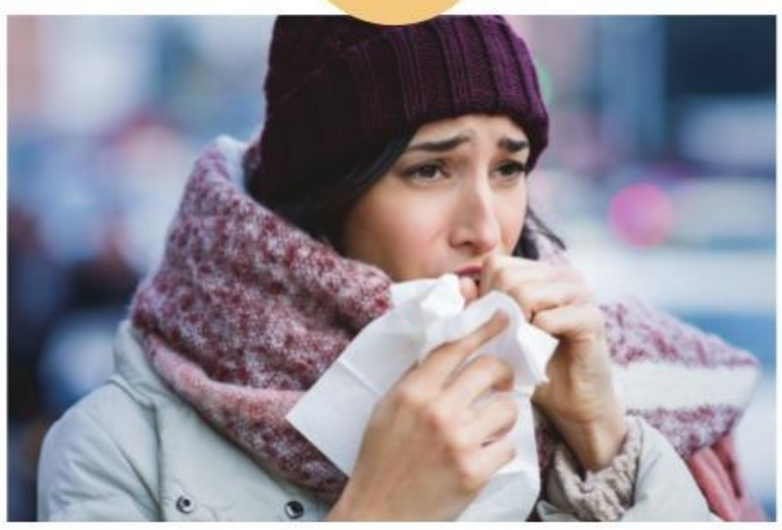

इसके अलावा अदरक के टुकड़े को पानी में उबाल कर पीना भी अच्छा होता है। कई शोध इस बात को प्रमाणिक करते हैं कि अदरक शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, जिसे आप कम बीमार पड़ते हैं।

दूध में तुलसी

एक गिलास दूध में एक चम्मच चीनी, तुलसी की कुछ पत्तियां, अदरक और हल्दी डालकर अच्छी तरह पकाएं। जब दूध एक गिलास से एक कप हो जाए तो उसे चाय की तरह चुस्की लेकर पीएं। इससे कफ ढीला होता है जिससे गले में दर्द और खरास में आराम पहुंचता है।।

शहद और सितोपलादि चूर्ण

शहद खांसी दूर करने में काफी सहायक है। शहद में एंटीबैक्टिरियल और एंटीमाइक्रोबाइल गुण मौजूद होता है। अगर आप कई दिनों से खांसी और सर्दी से परेशान है तो एक चम्मच शहद में दो सितोपलादि चूर्ण मिलाकर सुबह-शाम लें। शहद में अदरक का अर्क मिलाकर खाने से भी खांसी में आराम मिलता है।

तुलसी और लौंग

खांसी में तुलसी की पांच से छह पत्तियों के साथ दो लौंग, एक इलाइची, शहद या गुड़ को मिलाकर खाने से खांसी में राहत मिलती है। इतना ही नहीं सुबह के समय तुलसी के तीन-चार पत्तों को खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है।

गर्म पानी के गरारे

खांसी या गले में खरास होने पर गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिला कर गरारे करने से गले को आराम मिलता है। वहीं गले में दर्द या खरास होने पर गुनगुना पानी पीना से भी गले में जमा कफ खुलता है और अच्छा महसूस करते हैं। दिनभर में कम से कम तीन बार गरारे करें।

अदरक और तुलसी

अदरक के रस या अदरक को तुलसी की पत्तियों के साथ सेवन करें,आप चाहे तो इसमें शहद भी मिला सकते है। अगर आपको सुरसुरी खांसी हैं या फिर खांसी रूकने का नाम ही नहीं ले रही है तो अदरक के छोटे से टुकड़े को मुंह में दबा कर रखें, ऐसा करने से खांसी रूक जाती है।

गुनगुने पानी का सेवन

सर्दी में पीने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। अगर गर्म पानी से आपकी प्यास नहीं मिटती तो पानी को गर्म कर ठंडा कर पीएं। गर्म पानी से सर्दी में आराम मिलता है वहीं इसका एक बड़ा फायदा यह है कि इससे आपकी अतिरिक्त चर्बी कम होती है।

काली मिर्च

अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं। इससे खांसी में राहत मिलती है।

हल्दी वाला दूध

हल्दी वाला दूध सर्दी-जुकाम में फायदेमंद होता है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण मौजूद होते हैं, जो संक्रमण से लड़ते है। रात में सोने से पहले एक गिलास दूध में हल्दी मिलाकर पीने से आराम मिलता है। हल्दी मिले दूध से खांसी और जुकाम के कारण होने वाले बदन दर्द में भी आराम पहुंचता है।

भाप (स्टीम) लेना

कफ से गला और नाक बंद होने पर भाप या स्टीम जरूर लें। इससे सर्दी-जुकाम एवं खांसी में तुरंत राहत मिलता है। भाप लेने के लिए एक पतली में पानी तेज गर्म करें फिर उसमें विक्स डालें और अपने चेहरे को पतीले से एक निश्चित दूरी पर रखते हुए तौलिया ओढ़कर अंदर की ओर सांस लें। दिन में दो से तीन स्टीम लें।

विटामिन सी का सेवन

विटामिन सी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाती है, इसलिए इस मौसम में विटामिन सी युक्त फल जैसे कि संतरा, नींबू, ब्रोकली और किवी को खाना चाहिए। ■

सर्दियों में करें कपड़ों की खास तैयारी

सर्दियां आते ही कई लोग फैशन को बाय-बाय कर देते हैं तो कुछ लोगों को लगता है, इस मौसम में भला क्या फैशन करना, जब महीने के पांच-छह महीने स्वेटर और शॉल में छुप कर ही बिताने हैं तो। जबकि ऐसा नहीं है, आज बाजार में रंग-बिरंगे, नए लुक, नए डिजाइन के स्वेटर, ऊनी जैकेट और ओवर कोर्ट की भरमार है, जो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाने को तैयार हैं। ऊनी कपड़ों के साथ स्टाइलिश लुक की जानकारी दे रही हैं सुमन बाजपेयी।

सर्दियों का आगमन होते ही जहां सारे ऊनी कपड़े बाहर निकल आते हैं, वहीं यह ख्याल भी परेशान करता है कि अब थोड़ा हटकर स्टाइलिश दिखने का मौका नहीं मिलेगा। डिजाइनर परिधान मोटे-मोटे गर्म कपड़ों के नीचे छिप जाएंगे। लेकिन अपने ऊनी कपड़ों के साथ भी आप स्टाइलिश लग सकती हैं और ठंड का लुत्फ उठा सकती हैं। सर्दियों में इस साल ज्यामितीय डिजाइन, चौखाने, और फूलों वाले प्रिंट देखने को मिलेंगे, साथ ही अलग-अलग तरह के कपड़े भी आप पहन सकेंगी। हल्के वजन के स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, कोट, स्टोल पहन आप सर्द मौसम में भी फैशनेबल महसूस कर सकेंगी।

विकल्प हैं ढेर सारे

फैशन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार सर्दियों में पूरी बांहों वाली टी-शटर्स, स्वेटर, जैकेट्स, हॉट और कूल लुक देंगी। पुराने दौर की याद दिलाती टर्टल नेक शटर्स इस बार फिर फैशन में रहेंगी। बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने इसे नए अंदाज में पहनकर फैशन सिंबल बनाया है। सिंपल फैब्रिक या फिर वुलेन से तैयार ये टर्टल नेक टी-शटर्स जैकेट या फिर लंबे कोट के साथ पहनी जा सकती हैं। इसे जींस या कॉटन ट्यूनिक के साथ भी पहना जा सकता है। इसके साथ प्लेटफॉर्म बूट्स जंचते हैं।

जैकेट्स व कोट के अलावा नेवी ओवर कोट भी फैशन में रहेंगे। कम लंबाई के परिधानों पर नेवी ऑवर कोट एक स्टाइलिश लुक देता है। इन्हें लैगिंग के साथ पहनें।

लैगिंग के साथ घुटनों तक लंबाई वाला स्वेटर और ट्यूनिक भी पहनी जा सकती है। साथ ही जींस के साथ लंबा स्वेटर पहनने का भी इन दिनों चलन में है। इस बार सर्दियों में फर का स्टोल एक बार फिर फैशन की दौड़ में शामिल होगा। अलग-अलग रंगों और डिजाइन में यह बाजार में उपलब्ध हैं और इन्हें पहनकर अपने परिधान के साथ आप कई तरह के प्रयोग कर सकती हैं। लंबे कोट के साथ स्टोल अच्छा लगता है।

आप क्रॉप्ड यानी लंबाई में छोटे ब्लेजर भी पहन सकती हैं, क्योंकि इनका चलन भी देखने को मिल रहा है। क्रॉप्ड ब्लेजर को सही तरह से स्टाइल करना थोड़ा जटिल है पर अगर आपने इस चलन को ठीक तरह से अपना लिया, तो आपके अंदाज के सब कायल हो जाएंगे। क्रॉप्ड ब्लेजर सबसे ज्यादा अच्छे तब लगते हैं, जब इन्हें, इनसे मेल खाते किसी परिधान के साथ पहना जाए। ब्लेजर के रंग से मेल खाती लैंगिंग या ट्राउजर के साथ इसे पहना जा सकता है।

ऊनी कपड़ों का नया अंदाज

इन सर्दियों में फैशन के नए अवतार के लिए पुराने फैशन की और लौट कर ही आप ट्रेंड में बनी रह सकती हैं। फैशन विशेषज्ञों का कहना है कि बूट कट जींस और 1980 के दशक के फ्लोरल प्रिंट जैसे कई पुराने फैशन ट्रेंड फिर से लौट आए हैं। जॉर्जट और साटन जॉर्जट की घेरदार स्कर्ट, मैक्सी, गाउन और इवनिंग ड्रेस जैसे परिधान फिर से लौट आए हैं। प्लाजो भी इन दिनों काफी चलन में है, जिसे इस मौसम में लंबे कुर्तों के साथ पहना जा सकता है और ऊपर लंबा कोट पहन लें, तो आकर्षण बढ़ जाएगा।

स्कर्ट का क्रेज तो हमेशा से ही नई पीढ़ी के बीच रहा है। लेकिन इन सर्दियों में स्कर्ट को एक नया लुक देने के लिए स्कर्ट के साथ लैगिंग स्टाइल लोकप्रिय हो रहा है। बाजार में स्कर्ट के अनेक डिजाइन भी उपलब्ध हैं, जैसे फ्रिल स्कर्ट, फिश कट स्कर्ट, शौर्ट स्कर्ट, रैप राउंड। मनचाही स्कर्ट के साथ आप उसी से मिलती लैगिंग पहन सकती हैं। वूलन लैगिंग भी पहनी जा सकती हैं।

शॉर्ट जैकेट्स हमेशा चलन में रहती हैं क्योंकि इन्हें किसी भी ड्रेस, चाहे जींस हो या कुरता, के साथ पहना जा सकता है। पर अगर भारी-भरकम जैकेट आपको ठंड से दूर रखने के साथ फैशन से भी दूर रखती है तो लेयरिंग को अपना फैशन स्टेटमेंट बनाइए। हल्के और पतले स्वेटर के साथ फैशनेबल टॉप पहनिए। इसके अलावा पूरी बाजू वाली टी-शर्ट के ऊपर एक और पतली टी-शर्ट पहनकर स्वेट-शर्ट पहनकर उसके ऊपर लंबा स्वेटर पहन कर आप एक अलग लुक पा सकती हैं। इस तरह सर्दी नहीं लगेगी और आप फैशनेबल भी दिखेंगी। इसे लेयरिंग करना कहा जाता है। लेयरिंग के लिए थमोकोर्ट खरीद सकती हैं, जो बाजार में पतले से पतले फैब्रिक में मौजूद हैं। लेयरिंग से एक फायदा और होता है कि आप गर्मी के बैकलेस टॉप आदि को भी पतले स्वेटर के ऊपर पहन सकती हैं।

ऊनी ड्रेस का आजकल काफी ट्रेंड है। यह वुलन ड्रेसेस स्टाइलिश और फैशनेबल है। वुलन ड्रेसेस पार्टी वियर से लेकर कैजुअल वियर, फॉर्मल वियर तक बड़ी रेंज में बाजार में उपलब्ध हैं।

शॉल का कमाल

यदि साड़ी पहन रही हैं तो उसके साथ लांग कोट पहनें। लांग स्वेटर भी आप पहन सकती हैं। लेकिन तब शॉल व स्टोल का इस्तेमाल न करें। शॉल तभी पहनें जब आपने लांग स्वेटर न पहना हो। शॉल को लपेटकर ओढ़ने के बजाए उसे अलग-अलग स्टाइल से लें। जैसे शॉल की तह बनाकर एक साइड कंधे पर रखें और शॉल के दूसरे छोर को पीछे से लेते हुए स्टाइल से हाथ में लें। या फिर दुप्पटे की तरह पीछे से आगे की ओर लें। पारंपरिक कश्मीरी शॉल प्लेन सूट या साड़ी के ऊपर बेहद जंचती है। यदि ज्यादा ठंड नहीं है तो शॉल की जगह आप स्टोल का इस्तेमाल कर सकती हैं। स्टोल वजन में शॉल से हल्का होता है। इन दिनों शॉल से ज्यादा स्टोल फैशन में है।

स्कार्फ के साथ भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसे आप जैकेट के ऊपर से डालकर बेल्ट से बांध सकती हैं।

चटकीले रंगों की बहार

गहरे लाल गुलाबी रंगों, गहरा नीला और गहरा हरा जैसे रंगों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लाल, आसमानी, पीला, बैंगनी, मैरून जैसे चटकीले रंगों की बहार इस बार भी सर्दी के मौसम में देखने को मिलेगी। सफेद व काले का संयोजन भी खूब देखने को मिलेगा।

तरह-तरह के फैब्रिक

सर्दियों में सबसे ज्यादा ऊनी, मोटा सूती, खादी, मखमल, लेनिन और सिल्क के कपड़े पसंद किए जाते हैं। ब्लेंडेड फैब्रिक का भी चलन रहेगा। इसमें ऊन के साथ उन फैब्रिक को मिलाया जा रहा है, जो गरम प्रभाव वाले होते हैं। जैसे ऊन के साथ जूट को मिलाकर नए तरह का फैब्रिक बाजार में देखे जा सकते हैं। ब्लेंडेड फैब्रिक के साथ लेदर पहनने से भी आप फैशनेबल दिखेंगी।

ट्रेंडी बूट्स

बूट्स का फैशन सर्दियों की सबसे खास बात होती है। स्टाइलिश जैकेट और बूट्स आपको बेहतरीन लुक देने के लिए काफी होते हैं। चाहें घुटने तक वाले बूट्स हों या फिर घुटनों तक लंबे बूट्स सभी में आप खूबसूरत लगते हैं। चमड़े के स्कर्ट के साथ चमड़े के बूट हों या डेनिम के जूते दोनों ही काफी अच्छे लगते हैं। क्योंकि एक छत के नीचे होने के बावजूद आजकल लोग नजर मिला कर एक-दूसरे से बात नहीं करते या नहीं कर पाते हैं। चेहरे को देख कर कही हुई बातें ज्यादा असरदार होती हैं। ❑

नन्ही दुनिया

घमंड का नतीजा

इंद्रजीत कौशिक

समुद्र से उठने वाली वाष्प से बने उस बादल को हवा में उड़ते हुए बहुत मजा आ रहा था। आकाश में उड़ते हुए उस काले बादल को देख कर जमीन पर रहने वाले लोगों को बड़ा हर्ष हुआ, उन्हें लगा कि अब बरसात होने ही वाली है।

बादल भैया, बादल भैया, जल्दी से पानी बरसाओ न, देखो गर्मी के मारे हम सब सूखते जा रहे हैं। बगिया के पौधों ने बादल को नीचे से गुहार लगाई। बादल ने मुरझाए हुए फूलों और पौधों को देखा तो वह रूका नहीं बल्कि हंसता हुआ आगे बढ़ गया। यह देख कर पौधे निराश हो गए।

बादल उड़ता हुआ आगे बढ़ा तो एक जगह लोगों का झुंड पानी के लिए तरस रहा था। उनके पास ना तो प्यास बुझाने के लिए पानी बचा था ना नहाने धोने के लिए। बादल को देख कर वे बहुत खुश हुए। उन सबने भी बादल से बरसने का आग्रह किया पर बादल ने उनकी भी न सुनी।

इस तरह प्यास से परेशान लोगों को पीछे छोड़ता हुआ बादल आगे बढ़ता गया। दूसरे बादलों ने उस नए बादल को बहुत समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों की प्यास बुझाने में ही हमारे जीवन की सार्थकता है।

पर बादल ने उनकी सलाह सुनी अनसुनी कर दी। वह उसी तरह अपने घमंड में चूर आगे बढ़ता हुआ एक जगह पहुंचा तो उसने देखा कि एक कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाकर सूखने के लिए रख रहा था। बादल को न जाने क्या सूझी कि उसने कच्चे मिट्टी के घड़ो पर पानी बरसा दिया। पानी गिरा तो कच्चे घड़े गल गए। कुम्हार की मेहनत पर पानी फेर कर बादल को बहुत मजा आया।

यह तुमने क्या किया मूर्ख? कुछ गरीब कुम्हार की मेहनत मिट्टी में मिलाकर तुम्हें क्या मिला? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया। आकाश में उड़ रही उस पतंग ने बादल को डांटा तो बादल को गुस्सा आ गया।

उसमें पानी के कुछ छींटे कागज की बनी पतंग पर भी डाल दिए। पानी गिरा तो कागज भीगने से पतंग भी फट गई और वह नीचे जमीन पर जा गिरी। उसका यह हाल देखकर बादल ने घमंड से इतराते हुए ठहाका लगाया और आगे बढ़ गया।

एक-एक करके सभी ने समझाया पर उस बादल ने किसी की एक न सुनी। अब तो उसे लोगों को परेशान करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने में मजा आने लगा था। हवा बहुत देर से बादल की कारस्तानियों को देख रही थी।

मूर्ख बादल, इतना घमंड करना उचित नहीं। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य प्यासे लोगों की प्यास बुझा ना है ना की पहले से परेशान लोगों को दुखी करना। अभी भी वक्त है संभल जाओ और किसी खेत में जाकर बरसो ताकि खेत हरा भरा हो सके। आसपास बह रही हवा ने बादल को प्यार से समझाया तो उसने फिर से जोर से ठहाका लगाया।

लगता है तुम ने पतंग की हालत देखकर भी कोई सबक नहीं सीखा जो मुझे समझाने चली हो। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं जो तुम्हारे हुक्म का पालना करूं, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बादल ने उल्टे हवा को डांटा।

तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मेरी मदद से उड़ रहे हो अगर मैं तुम्हारी सहायता ना करूं तो तुम एक इंच भी आगे पीछे नहीं हो सकते। इसलिए मेरी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है। अब जल्दी से इस प्यार से खेत पर बरस जाओ ताकि इन्हें गर्मी से राहत मिले और तुम्हारा जीवन भी सफल हो।

बहुत उपदेश हो गया, अब तुमने एक शब्द भी कहा तो इसका अंजाम बुरा होगा। गुरुर से भरे बादल ने गुस्से से कहा तो हवा ने उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। उसने अपना रुख पास के पहाड़ की तरफ कर लिया तो बादल तेजी से उसकी तरफ उड़ चला। पहाड़ी से टकराने से बचने के लिए बादल ने बहुत हाथ पाव मारे पर हवा के जोर के आगे उसकी एक न चली।

आखिर वही हुआ जिसका डर था। पहाड़ी से टकराते ही बादल का अस्तित्व समाप्त हो गया। घमंड बादल को ले डूबा। बिन पानी के बादल के उन टुकड़ों ने प्रण लिया कि आगे से वह कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। घमंड करने का नतीजा बुरा होता है यह बात उसे समझ में आ चुकी थी। ❑

कहानी

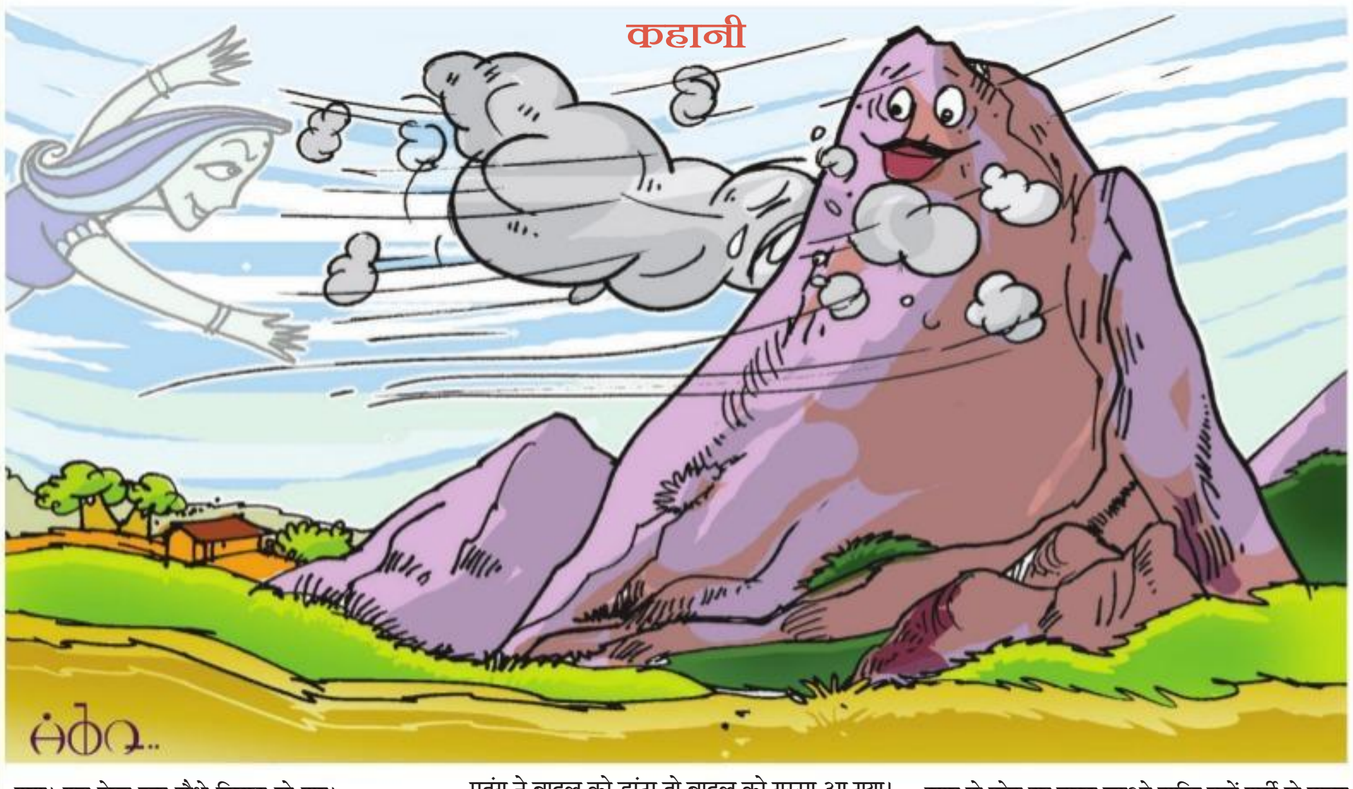

कविता

जितेश कुमार

निंदिया रानी आओ न

निंदिया रानी आओ न
मुझे भी सुलाओ न,
मीठे-मीठे प्यारे सपने
मुझको भी दिखाओ न।

प्यारी थपकी देकर मुझको
और जरा सहलाओ न,
जम्हाई जब आने लगे तो
झूम-झूम कर आओ न।

दौड़-धूप से मैं थक जाऊं
कुछ आराम दिलाओ न,
शीतल-शीतल मंद हवा-सी
तुम सुकून बन जाओ न।

दूर देश के परीलोक में
मुझको भी ले जाओ न,
मुझको भी दो पंख लगाकर
अंबर तक पहुंचाओ न,
हाथ में जो है छड़ी परी के
उसको जरा दिलाओ न।

छड़ी हाथ की घुमा कहूंगा
जग, सुंदर बन जाओ न।

जब सुंदर बन जाए दुनिया
सबको खूब हंसाओ न,
थोड़ी-थोड़ी मन बहलाने
निंदिया रानी आओ न।

शब्द-भेद

कुछ शब्द एक जैसे लगते हैं। इस तरह उन्हें लिखने में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। इससे बचने के लिए आइए उनके अर्थ जानते हुए उनका अंतर समझते हैं।

अनर्थ / अनर्थक

बहुत बुरी और अनुचित बात या भारी अन्याय को **अनर्थ** कहते हैं। अनर्थ का मतलब विरुद्ध या उल्टा अर्थ भी होता है। जबकि निरर्थक, अर्थरहित, व्यर्थ, बेफायदा या बेकार की बात को **अनर्थक** कहते हैं। जैसे अनर्थक बातों के पीछे किसी को भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

काठ/ काठी

पेड़ का स्थूल भाग जो कटकर सूख गया हो या लकड़ी को **काठ** कहते हैं। जबकि **काठी** शब्द का इस्तेमाल शरीर की गठन या बनावट से करते हैं। जैसे अरबी लोगों की कद-काठी भारतीय से ऊंची होती है। साथ ही **काठी** का अर्थ घोड़ों की पीठ पर कसने की जीन भी होता है।